

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

9 सितम्बर, 2013
खण्ड 2, अंक 2
अधिकृत विवरण



विषय सूची

सोमवार, 9 सितम्बर, 2013

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(2)1
इंडियन नैशनल लोकदल तथा भारतीय जनता पार्टी के निलम्बित सदस्यों को वापस बुलाने के लिए निवेदन	(2)3
वाक आउट	(2)13
तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)13
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)30
अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)33
सी.डी. घोटाले सम्बन्धी स्पष्टीकरण	(2)46
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— विद्यालयों में परोसे जा रहे मिड-डे-मील के मामले सम्बन्धी	(2)79
वक्तव्य— शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(2)80

मूल्य :

384

(ii)

	पृष्ठ संख्या
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 को अस्थगित करना	(2)87
अनुपस्थिति सम्बन्धी सूचना	(2)88
वर्ष 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-2011 के लिए अनुदानों/प्रभारों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान	(2)88
वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना	(2)91
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)92
वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)92



हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 9 सितम्बर, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Hon'ble Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 6.9.2013 से लेकर आज तक हमारे बीच में से कुछ और महान विभूतियां हमें छोड़कर चली गई हैं। मैं इनके बारे में शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ :-

शोक प्रस्ताव संख्या 1

श्रीमती गुरबरिन्द्र कौर बराड़, भूतपूर्व संसद सदस्या

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री हरचरण सिंह बराड़ की पत्नी श्रीमती गुरबरिन्द्र कौर बराड़, भूतपूर्व संसद सदस्या के 7 सितम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 अगस्त, 1922 को हुआ। वे 1972 में पंजाब विधान सभा की सदस्या चुनी गईं और 1973-77 के दौरान राज्य मंत्री रही। वे पंजाब विधान सभा में विपक्ष की नेता भी रही। वे 1980 में लोक सभा के लिए चुनी गईं। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं तथा उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश एक सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

शोक प्रस्ताव संख्या 2

श्री शिवलाल शर्मा, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन जिला महेन्द्रगढ़ के गांव चंदपुरा के स्वतंत्रता सेनानी, श्री शिवलाल शर्मा के 6 सितम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री शिवलाल शर्मा का जन्म 14 जनवरी, 1924 को हुआ। वे 1942 में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए।

उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

शोक प्रस्ताव संख्या 3

सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, एक वीर सैनिक

यह सदन जिला भिवानी के गांव हिंडोल के वीर सैनिक, सहायक उपनिरीक्षक, श्री सुरेन्द्र सिंह के 5 सितम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनके निधन से देश एक वीर सैनिक तथा हरियाणा एक महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करती हूँ और हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री हरचरण सिंह बराड़ की पत्नी श्रीमती गुरब्रिन्द कौर बराड़, भूतपूर्व ससंद सदस्या के निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करती हूँ। इसी तरह से श्री शिवलाल शर्मा, स्वतन्त्रता सेनानी के दुःखद निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करती हूँ। सहायक उप निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह, वीर सैनिक के दुःखद निधन पर भी मैं गहरा शोक व्यक्त करती हूँ व अपनी एवं अपने दल की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ।

Smt. Renuka Bishnoi (Adampur) : Speaker Sir, on behalf of my party, I express deep sense of sorrow on the sad demise of former Members of Parliament Smt. Gurbrinder Kaur Brar, wife of Shri Harcharan Singh Brar, former Governor of Haryana, on September 7, 2013.

She was born on August 12, 1922. She was elected to Punjab Legislative Assembly in 1972 and remained Minister of State during 1973-77. She also remained the Leader of Opposition in the Punjab Legislative Assembly. She was elected to the Lok Sabha in 1980. She was an active social worker and worked for the empowerment of women.

In her death, the Country has lost a parliamentarian and an able administrator. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I also express deep sorrow on the sad demise of Shri Shiv Lal Sharma, freedom fighter of village Chandpura, district Mahendergarh on September 6, 2013.

Shri Shiv Lal Sharma was born on January 14, 1924. He joined the Azad Hind Fauj in 1942.

इंडियन नैशनल लोकदल तथा भारतीय जनता पार्टी के निलम्बित (2)3
सदस्यों को वापस बुलाने के लिए निवेदन

In his death the Country has lost a great freedom fighter. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

I also express deep sense of sorrow on the sad demise of Assistant Sub-inspector Surender Singh, a brave soldier of village Hindol, district Bhiwani on September 5, 2013.

In his death the Country has lost a brave soldier and Haryana a noble son. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself to the obituary references made by the Hon'ble Chief Minister and feelings expressed by other Members of the House. I deeply feel grieved on the sad demise of Smt. Gurbrinder Kaūr Brar, Former Member of Parliament, wife of Shri Harcharan Singh Brar, former Governor of Haryana on 7th September, 2013. She served the State of Punjab as MLA as well as Minister of State and Leader of Opposition in Punjab Vidhan Sabha. He also elected to the Lok Sabha in 1980. She was a dedicated social worker who worked for the upliftment of the weaker sections of the society.

I also feel deeply grieved on the sad demise of Shri Shiv Lal Sharma, Freedom Fighter. He was a Member of Azad Hind Fauj and work hard for the freedom of this Country.

I also feel deeply grieved on the sad demise of Assistant Sub-Inspector Shri Surender Singh, a brave soldier.

I pray to the Almighty to give peace to the departed souls and I will convey the feelings of this House to the bereaved families and I now, request you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

इंडियन नैशनल लोकदल तथा भारतीय जनता पार्टी के निलम्बित
सदस्यों को वापस बुलाने के लिए निवेदन

श्री धनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के बगैर कोई भी सदन चलाना बिल्कुल मुश्किल कार्य होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके आप सभी सस्पेंडिड मैम्बर्ज को सदन में वापस बुला लीजिए।

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य सदन से बाहर गये हैं अगर वे ये एश्योर करें कि वे चेयर की आज्ञा का पालन करेंगे और सदन को सही चलने देंगे तो मुझे उनको वापस बुलाने में कोई एतराज नहीं है। मैं इस बारे में पहले ही ब्यान दे चुका हूँ कि If they promise to behave properly in the House they will be allowed to come in. For their

[श्री अध्यक्ष]

behaviour they should also apologize not to me but to the entire house and to the people of Haryana.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की मांग नाजायज नहीं थी। पहले दिन तो एक सी.डी. का मामला था लेकिन अब तो सात सी.डीज. आ चुकी हैं इसलिए उनकी जांच करवाई जानी चाहिए।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक विनती है मेरी काबिल साथी अगर कोई विषय उठाना चाहती हैं तो वे क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर में उठा सकती हैं क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आवर इन्होंने ही रोका था। वे कृपा करके रूलज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्ट्रैक्ट ऑफ बिजनैस को जरूर पढ़ लें। इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना मेरी काबिल माननीय साथी को शोभा नहीं देता। जीरो आवर में वे जो भी बात कहना चाहें कह सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आवर को जरूर चलने दें। अगर ये निर्णय ही करके आये हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना तो यह विल्कुल भिन्न बात है।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, आप हमें आश्वासन दें कि क्वेश्चन आवर के बाद आप विपक्ष के सदस्यों को बुला लेंगे।

श्री घनश्याम दास गर्ग : स्पीकर सर, पहले जो मैम्बर्स सस्पेंड किये गये हैं उनको सदन में बुला लिया जाये, उसके बाद ही क्वेश्चन आवर शुरू करें। क्वेश्चन आवर के बाद ही हम अपनी बात कह लेंगे।

Mr. Speaker : I will only talk about it after the question hour. (विघ्न)
इसका मतलब तो यह है कि आप क्वेश्चन आवर को नहीं चलने देना चाहते।

श्री घनश्याम दास गर्ग : स्पीकर सर, * * *

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, * * *

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करके एक नई प्रथा डाल रहे हैं। पहले दिन भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप क्वेश्चन आवर चलने देना चाहते हैं या नहीं।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, प्रश्नोत्तर बहुत बड़ा मुद्दा है, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री घनश्याम दास गर्ग : स्पीकर सर, * * *

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, * * *

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी काबिल साथी यह कह रही हैं कि अगर उन सदस्यों को नहीं बुलाओगे तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। यह उनके लिए शोभनीय नहीं है। एक सदस्य कोई यह नहीं कह सकता कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि इनको जरूर मौका दिया जाए पर जीरो आवर में ही यह मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर में आपको जरूर मौका दिया जायेगा। आपको और किस बात का आश्वासन चाहिए।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, हम आपसे यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या इन सी.डी.जी. की जांच करवाई जायेगी। जो सदस्य सस्पेंड किए गए हैं क्या उनको सदन में बुलाया जायेगा और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कड़ी सजा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है यह सब कुछ हो लेकिन आप मुझे आदेश तो नहीं दे सकते।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस दिन भी हाउस को नहीं चलने दिया और आज भी नहीं चलने दे रहे हैं। इनको जो पढ़ाया गया है ये वही बोल रहे हैं।

Mr. Speaker : Should I conclude that you have come here with the intention of disturbing the question hour and not to let this House function?

श्री वनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यों को पहले बुलाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, पहले विपक्ष के सदस्यों को सदन में बुलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, हो सकता है कि यह सब कुछ हो लेकिन आप मुझे आदेश तो नहीं दे सकती।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : अध्यक्ष महोदय, यह अजीब सी बात है कि ये चेयर को आदेश दे रही हैं। इन्होंने एक दिन भी सेशन चलने नहीं दिया और इस तरह करते रहे तो न ही ये आगे चलने देंगे और जो इनको पढ़ाया गया है ये वही बात यहां कह रही हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Should I conclude that you have come here with the intention of disturbing the question hour and not to let this House function?

श्रीमती कविता जैन : नहीं सर, हम हाउस को चलने देना चाहते हैं लेकिन आप हमें आश्वासन दें कि आप उस सी.डी. की जांच करवाएंगे। उस दिन भी हमारी यही मांग थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, क्या आप प्रश्न काल की महत्व नहीं समझती हैं? आप प्रश्न काल के बाद अपनी बात कह लें। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सारे विपक्ष के हैं और विपक्ष सदन में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट होते हैं। हर साल सेम क्वेश्चन लगते हैं लेकिन उन क्वेश्चनों का कोई सोल्यूशन नहीं होता। 4 सालों से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। (विष्ण)

श्री घनश्याम दास गर्ग : सर, हमारे प्रश्नों का कोई सोल्यूशन नहीं होता।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं कविता जी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 3 सदन में जो भी मांगें उठाई हैं, हमने उनको स्वीकार करके फिजीकली लागू कर दिया है। अगर ऐसा न हो तो ये मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलिज लेकर आएंगे। अगर मैं वादा खिलाफी कर रहा हूँ तो she should file breach of privilege against me. I am saying it with the sense of responsibility. अध्यक्ष महोदय, सदन में किए गए वायदों की हुकुमउदूली का मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलिज ये लेकर आएंगे। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ यह कह रहा हूँ। (विष्ण)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, जहां तक मुझे याद है आपने सोनीपत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का किसी स्कीम को चालू करने के लिए धन्यवाद किया था। (विष्ण)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज भी इनकी मांग पर इनके हल्के को 34 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आज इनका प्रश्न लगा हुआ है। सरकार इनके हल्के को 34 करोड़ रुपये देना चाहती है। इनकी मांग है और हमने इनकी मांग को स्वीकार किया है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ परंतु ये चाहती नहीं कि इनके हल्के को 34 करोड़ रुपये मिले। इनकी मांग है और हमने वह स्वीकार की है, यह बात मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ परंतु ये चाहती नहीं कि इनके हल्के को पैसा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, कविता जी से पूछ लिया जाए कि क्या ये अपने इलाके के विरुद्ध हैं। आज भी इनका प्रश्न लगा हुआ है और उस प्रश्न का जवाब हाँ में है इसलिए ये अपनी बात उठा सकती हैं। (विष्ण)

Mr. Speaker: I am requesting you to please sit down. Let the Question Hour be over.

श्री घनश्याम दास गर्ग : सर, मैं सदन से निकाले गए सदस्यों की तरफ से आश्वासन देता हूँ इसलिए आप उनको हाउस में बुलाओ।

श्री अध्यक्ष : आप उनकी तरफ से कैसे आश्वासन दे सकते हैं।

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप उनकी तरफ से आश्वासन दे सकते हो तो आप उनसे बात करके आओ। (विष्ण)

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे बात करके आया हूँ। अध्यक्ष महोदय मैंने सरकार को एक लैटर लिखा था और मेरे लैटर का कोई जवाब नहीं दिया गया और जो मेरी डिमांड थी वे भी पूरी नहीं की गई। (विष्ण)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कह लेना।

इंडियन नेशनल लोकदल तथा भारतीय जनता पार्टी के निलम्बित (2)7
सदस्यों को वापस बुलाने के लिए निवेदन

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, उस सी.डी. की जांच होगी, इस बारे में आपकी तरफ से आश्वासन आ जाए वह हमारे लिए मान्य होगा।

Mr. Speaker : I will do something about it. I will ask the members to explain.

श्रीमती कविता जैन : सर, डू समथिंग नहीं आप 100 परसेंट इश्योर करें।

Mr. Speaker : Please listen to me. आप क्वेश्चन आवर की सैगटिटी को डिस्टर्ब न करें। आप प्रश्नकाल को खत्म होने दें उसके बाद आपकी बात को सुन लेंगे। इससे बड़ा आश्वासन मैं क्या दे सकता हूँ। What more can I say?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये पहली लेजीस्लेटर हैं और ये आपके जिले की हैं इसलिए आप इतनी नर्मी से चल रहे हैं नहीं तो she is dictating the Hon'ble Chair. ये आनरेबल चेयर को हुक्म करती नजर आती हैं। ये कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नम्र निवेदन कर रही हूँ।

श्री अध्यक्ष : चेयर ने जब आपको कहा है कि आप क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद अपनी बात कहें, I will do something about it, then why do you not listen to me. इसका मतलब आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, आप उस सी.डी. की जांच करवाएं।

श्री घनश्याम दास गर्ग : अध्यक्ष महोदय, आप सी.डी. की जांच करवाओ और विपक्ष को सदन में बुलवाओ।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर खत्म हो जाने के बाद आपकी बात पर पूरा गौर करेंगे। क्वेश्चन आवर के बाद आप यही बात बोल लेना। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में विपक्ष के भी बहुत से प्रश्न हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, प्रश्न काल के बाद आप अपनी बात कहना आपको रिस्पोस मिलेगा। रेणुका जी, आप क्वेश्चन आवर की इम्पॉर्टेंस को नहीं समझ रही हैं क्योंकि 20 में से 17 क्वेश्चन अपोजीशन के लगे हैं। पहले आप प्रश्न पूछते उसके बाद जो करना चाहते कर लेते। (विघ्न)

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : सर, उनकी डिमांड भी तो जायज थी। आप पूरे सदन को आश्वासन देते हैं तो अपोजीशन को भी आश्वासन देना आपका फर्ज बनता है।

श्री अध्यक्ष : मैं जो सदन को चला रहा हूँ, क्या उसकी बात को मानना अपोजीशन का काम नहीं है?

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी तो देखना है कि सदन में

[श्रीमती रेणुका विश्वादी]

जो मैम्बरज बैठे हैं they should be entertained और रूलिंग पार्टी के मैम्बरज करश्चान फैला रहे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपोजीशन की भी बात सुनें।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, सबसे जरूरी बात यह है कि आज नेताओं से सबका विश्वास उठ चुका है। आज कोई भी युवा राजनीति में नहीं आना चाहता। सर, इस सी.डी. की जांच होनी चाहिए क्योंकि यह एक प्रमुख मुद्दा है।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने जरे-जरे में भ्रष्टाचार का तानाबाना खड़ा किया हो आज वही लोग सदन में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यह प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का यह भी दायित्व होता है कि जो लोक हित के प्रस्ताव होते हैं उनका समर्थन करें और सरकार को रचनात्मक सुझाव दें। अध्यक्ष महोदय, इनको इनकी पार्टी की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि सदन में चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण कार्यवाही हो उसमें विघ्न डालना है तथा सदन में आते ही वापस जाना है। (विघ्न) ये वापस जाने का बहाना ढूँढ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उन्हें सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप जा रहे हैं, you can go. रेणुका जी मैं एक एकैडमिक क्वेश्चन पूछता हूँ is it not the responsibility of the everyone present in this House to allow me to run this House? Is it my responsibility alone? Is it not the responsibility of the Opposition also? (Interruption) Everybody has to cooperate so that the House runs. (Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, अभी तो इनको नरेन्द्र मोदी पर ही विश्वास नहीं हुआ है, आप पर ये लोग विश्वास कैसे कर सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान) इनकी घोखाघड़ी का इतिहास भरा पड़ा है, प्रदेश में जितने भी मध्यावधि चुनाव हुए हैं वे इनकी पार्टी की देन है। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के सदस्य हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन की वैल में आकर नारे-बाजी करने लगे कि विपक्ष को वापस बुलाया जाए और सी.डी. की जांच कराई जाये।)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कविता जी कह रही हैं कि विपक्ष को बुलाओ पहले ये अपनी पार्टी के सदस्य श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को तो बुला लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी को सलाह है कि प्रश्न काल का समय है इसलिए आप लोक हित और अपने हल्के से संबंधित प्रश्न इस समय पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साधियों का यह तरीका ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let the Question Hour proceed. (Interruption) बैठिए,।

will not allow this, (Interruption) I will not allow this.

श्री भारत भूषण बलरा : अध्यक्ष महोदय, कविता जैन जी कहती हैं कि मैं चेयर की रिस्पैक्ट करती हूँ लेकिन इनको ऊपर से आदेश हुए हैं कि ये सदन की कार्यवाही में बाधा डालें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, जब आप सदन में आये हैं तो आप आदेशों की बात न किया करें। आपकी जो कॉशियस अलाऊ करे वही बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चार साल ऐसे ही कानाफूसी में काट दिए और कहकर आते हैं कि हम सदन में यूँ गये और यूँ आये। इससे पहली वाली सरकारों ने लूट-खसोट के सारे रिकार्ड तोड़ दिये थे जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं और यही वजह है कि इनके नेतृत्व में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। (शोर एवं व्यवधान) मैं मेरी बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी से लोक हित में मांग करें। मुख्यमंत्री जी भी इनको अपनी बहन समझते हैं इनका काम जरूर होगा। (शोर एवं व्यवधान) मेरी स्पीकर साहब के माध्यम से इन सभी से रिकवैस्ट है कि इन सभी को एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। इनको माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं मांगों को उनके ध्यान में लाना चाहिए और अपने सुझाव भी देने चाहिए। मैं इनको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे उदारदिल माननीय मुख्यमंत्री इनके सारे के सारे काम बिना किसी भेदभाव के करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप कृपया करके बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) कविता जी, रेणुका जी एवं श्री घनश्याम दास जी आप सभी भी अपनी-अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहिए। जिस प्रकार से आप सदन की बैल में आकर शोरगुल कर रहे हैं यह संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा एवं कार्यप्रणाली के पूर्णतः विरुद्ध है इसलिए मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहिए। (शोर एवं व्यवधान) कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। Please go back to your seats. (Interruption)

श्रीमती कविता जैन : * * * * *

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप अपनी सीट पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : * * * * *

श्री अध्यक्ष : रेणुका जी, आपको जो कुछ भी कहना है वह अपनी सीट पर जाकर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : * * * * *

श्री अध्यक्ष : कविता जी, मैं आपका किन शब्दों में घन्यवाद करूँ जब आपने शुरू में मुझे यह कह दिया था कि हमें भी सदन से सस्पेंड कर दीजिए हम बहार जायेंगे उसी

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

समय आपकी इंटेंशन क्लियर हो गई थी। जो माननीय सदस्य शुक्रवार को सदन से बाहर गये थे उनकी भी वही इंटेंशन थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास गर्ग : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please go back to your seats and whatever you want to say go there and say. यहां पर हाउस की वैल में आप कुछ नहीं बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास गर्ग : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Any thing said in the well will not be recorded. (Interruption) Please go back to your seats. (Interruption)

श्रीमती कविता जैन : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप रोहतक की लड़की हैं और सोनीपत की बहू हैं इसलिए आपको दोनों की बात मानते हुए और सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी सीट पर जाकर शांतिपूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आपको तो अपने कामों के बारे में आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके काम तो आपके आवाज उठाने से पहले ही हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please go back to your seats. I will request all of you to go back to your seats. (Interruption) Firstly you please go back to your seats and then ask me any question. (Interruption) Please go back to yours seats. (Interruption)

(श्री अध्यक्ष के बार-बार विनम्र अनुरोध करने के बावजूद भी श्रीमती कविता जैन, श्री घनश्याम दास गर्ग और श्रीमती रेणुका बिश्नोई हाउस की वैल में शोरगुल व नारेबाजी करते रहे और अपनी-अपनी सीटों पर वापस नहीं गये।)

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I want to say one thing. Is she ready to give me a complaint in writing just now? क्या मेरी बहन श्रीमती कविता जी अभी एक शिकायत सी.डी. प्रकरण के बारे में लिखकर दे सकती हैं? (शोर एवं व्यवधान) ये यह कह रही हैं कि सी.डी. प्रकरण की जांच करवाई जाये इसलिए मैं इनसे यह कह रहा हूँ कि ये इस बारे में एक कम्प्लेंट लिखकर दें। ये अपनी सीट पर जायें और इस बारे में एक कम्प्लेंट अभी लिखकर दें। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

इंडियन नैशनल लोकदल तथा भारतीय जनता पार्टी के निलम्बित (2)11
सदस्यों को वापस बुलाने के लिए निवेदन

Mr. Speaker : Kavita Ji, you give it in writing and immediately after the questions, hour I will take it up. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कविता जैन से मेरा अनुरोध है कि उन्होंने मांग की है कि सी.डी. की जांच करवाई जाये तो इस बारे में वे मुख्यमंत्री जी के नाम शिकायत लिख कर दे दें। ये अभी इसी समय हाउस में ही लिख कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This may be recorded that the Minister of Parliamentary Affairs has asked for a complaint in writing by Smt. Kavita Jain, Hon'ble Member and she is refusing. It is gone on record that she is refusing? (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये अभी लिख कर दें। जिन दो-दो फुट के गड्डों की ये बात कर रही हैं उनके लिए भी कॉलिंग अटेंशन मोशन अलग से दे दें तथा अगर ये इस एक्शन के लिए आई हैं तो उस बारे में लिख कर दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Kavita Ji, please give the complaint in writing in this regard. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये मना करेंगे, ये अभी लिख कर नहीं देंगी, क्योंकि इस बारे में इनको अभी बाहर से ब्रीफ होकर नहीं आया है कि क्या लिख कर देना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लिख कर दीजिए।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am offering on behalf of Government. (Interruption)

Mr. Speaker : It may be noted that I am second time offering but she is refusing to give a complaint in writing. The Hon'ble Member Smt. Kavita Jain is refusing to give a complaint for the investigation of the C.Ds. (Interruption)

श्रीमती कविता जैन : सर, पहले विपक्ष को बुलाओ, हम विपक्ष के सभी सदस्य एक साथ लिख कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Alright, it will be recorded that you are refusing to give it in writing. (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am offering on behalf of Government. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : कविता जी, सरकार ऑफर कर रही है और आप कम्प्लेंट नहीं कर रही हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : सर, विपक्ष को हाउस में बुला लिया जाए। हम सभी मिलकर साईन करके कम्प्लेंट देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सभी के साईन की जरूरत नहीं है। सर, मैं एक और ऑफर करता हूँ कि इस बारे में हमें श्रीमती कविता जैन अकेले ही हस्ताक्षर करके कम्प्लेंट दे दें हम उसको ऐन्टरटेन कर लेंगे। ये कम्प्लेंट लिख कर दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : सर, हम तो सभी मिलकर साईन करके कम्प्लेंट देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये तीनों ही साथी लिख कर दे दें हम उसको ऐन्टरटेन कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तीनों ही लिख कर दे दीजिए that is sufficient. एक मैम्बर इस बात को उठाये या पूरा विपक्ष उठाये बराबर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये तीनों ही साथी लिख कर दे दें ताकि किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो। ये अभी लिख कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Ghanshyam Saraff Ji, are you ready to give a complaint in writing? (Interruption)

श्री घनश्याम दास गर्ग : सर, पूरा विपक्ष हाउस में मौजूद होगा तभी हम लिख कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये अभी लिख कर दें Government will consider it. I am offering Sir, on behalf of the Government. What more can I do Sir?

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिए।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी जिस सीडी की जांच की मांग कर रहे हैं उस सीडी में हमारे कुछ गरीब भाइयों के बारे में उल्टी-सीधी बात दिखा दी और सदन का सारा काम रोका हुआ है। As per the constitution हमारे जो गरीब भाई दलित या पिछड़े वर्ग से चुन कर आये हुये हैं उनके बारे में विपक्ष ने नकली सीडी बना कर हमारे सदस्यों को बदनाम करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आप उस सीडी की जांच करवा लें लेकिन जो उस सीडी को बनाने में दोषी पाये जायें उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी आप श्रीमती कविता जैन से अवश्य ले लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास गर्ग : सर, उस सीडी की जांच होनी चाहिए।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I am offering on the floor of the House that he should give in writing just now. (Interruption)

वाक आउट

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, आप हमारी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, I am offering, it will be considered.

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष को हाउस में नहीं बुला रहे हैं इसलिए हम सदन से वॉक-आउट कर रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, फौज में एक पॉलिसी होती है सूट एण्ड स्कूट। इनको कोई जिम्मेवारी लेनी नहीं है इसलिए ये भाग रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये लिख कर दें। मैं इनको ऑफर करता हूँ कि ये जिस विषय को लेकर आये हैं उस बारे में लिख कर दे दें, हमें स्वीकार है। ये लिख कर तो दे नहीं रहे हैं बल्कि हाउस से भाग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा हरियाणा जनहित कांग्रेस की एक मात्र सदस्या विपक्ष को वापस हाउस में न बुलाने के कारण सदन से वॉक-आउट कर गये।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour.

Generation of Power

* 1673. Shri Bharat Bhushan Batra : Will the Power Minister be pleased to state—

- (a) the quantum of power being produced by the Haryana Government by own generation together with the power being procured from Central Pool or other sources during the last six months.
- (b) the ratio wise power being consumed in the urban, rural and domestic sectors including, industrial and agricultural sectors; and,
- (c) how many cases of theft have been detected, categorywise as stated above during the last six months in each sector and how much fine/revenue has been received by the Government an account of theft?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir,

- (a) The quantum of power being produced by the Haryana

[Capt. Ajay Singh Yadav]

Government through own generation Central Pool & other sources during the last six months is 946933.04 MW (227263.93 LUs).

- (b) The ratio wise power consumed in the urban sector is 36.43%, rural domestic sector is 20.71 %, industrial sector is 20.83% & agriculture sector is 22.03%.
- (c) 163 No. of theft cases were detected in Agriculture category, 10275 in rural domestic category, 11864 in urban category and 80 in industry category. The revenue received on account of theft was 15.55 lacs in agriculture category, 1090.99 lacs in rural domestic category, 2011.48 lacs in urban category & 60.01 lacs in industry category during the last six months.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, निश्चित रूप से मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले 6 महीनों से पावर की सप्लाई बड़ी अच्छी चल रही है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है और आम जनता बिजली की सप्लाई से बहुत खुश है। रिप्लाई में इण्डस्ट्री कैटेगरी में बिजली की चोरी से पिछले 6 महीनों के अन्दर टोटल 60 लाख रुपये का राजस्व दर्शाया गया है। जहां तक अर्बन कैटेगरी की बात है उसमें 2011.48 लाख रुपये का राजस्व दिखाया गया है। क्या वाक्य में ही इण्डस्ट्री एरिया में इतनी थैफ्ट बनती है क्योंकि इण्डस्ट्री बड़ा सैक्टर है। डोमैस्टिक के जो कनेक्शन हैं, स्मॉल सैक्टर है, इसलिए इण्डस्ट्री के एक्ज्युटिव फिगर में हमें डाऊट है पहले इसको क्लैरिफाई कीजिये। दूसरी बात यह है कि जो अनअथोराइज्ड कॉलोनीज हैं उनके अन्दर पावर का कनेक्शन किस इंस्ट्रक्शन के तहत नहीं दिया जाता। क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं कि अनअथोराइज्ड कॉलोनीज को पावर कनेक्शन न दिये जाएं? अनअथोराइज्ड कॉलोनीज में पावर कनेक्शन न देने से सरकार का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। क्योंकि अगर अनअथोराइज्ड कॉलोनीज में बिजली नहीं मिलती है तो वहां पर अनअथोराइज्ड कनेक्शन लगते हैं। तीसरी बात यह है कि बिजली की चोरी पकड़ने के लिये सारे हरियाणा में सब जगह आपने जूनियर इंजीनियरिंग को होली-सोली इन्वार्ज बनाया हुआ है। वे अपनी मर्जी से चाहे कैसे भी चैकिंग करें, जो मर्जी कार्यवाही करे। उनका नजरिया बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके द्वारा आम कंज्यूमर को तंग किया जाता है। उसकी न कोई अपील है, न ही कोई दलील है। 48 घंटे कंज्यूमर को बिना लोड की वैरीफिकेशन के जुर्माना भरने के लिए समय दिया जाता है। डिपार्टमेंट द्वारा कंज्यूमर के साथ ज्यादाती की जाती है जबकि उन्होंने कोई चोरी भी नहीं की होती। चोरी के पक्ष में नहीं हूँ चोरी तो पकड़नी चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लोड वैरीफिकेशन में कंज्यूमर के साथ डिपार्टमेंट द्वारा ज्यादाती की जा रही है। इस तरह कंज्यूमर को परेशान नहीं करना चाहिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इण्डस्ट्री सैक्टर में हमने कुल 80 थैफ्ट पकड़ी हैं। इस पर 60.01 लाख रुपये का राजस्व दर्शाया है जिसके आंकड़े बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात बतरा जी ने रखी कि अनअथोराइज्ड कॉलोनीज में कनेक्शन क्यों नहीं देते?

सर, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं उनमें हम न बिजली कनेक्शन दे सकते हैं और न हम पानी दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल लाने वाली है जिसमें इस चीज का समाधान किया जाएगा कि हम अनअथोराइज्ड कालोनीज को किस तरीके से वैध कर सकें। अभी पार्लियामेंट्री ऐफेयर्स मिनिस्टर उस मामले को लेकर प्रयास कर रहे हैं फिर यह समस्या दूर हो जायेगी। तीसरी बात जो बतरा जी ने रखी कि बिजली की चैकिंग जे.ई. वगैरह जाकर करते हैं। अब हमने यह आदेश दे दिया है कि अब नोर्मली एस.डी.ओ. खुद जाकर चैकिंग करेगा और कंज्यूमर से परमीशन लेकर ही उसके घर में जाएगा। आपने जो अपील की बात की है यह बिल्कुल सही है कि पहले अपील का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब हमने यह डिसाईड किया है कि अगर कोई चोरी पकड़ी जाती है तो बिजली चोरी के मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित एस.ई., एक्स.ई.एन. (आपरेशन) तथा वित्त अधिकारी (आडिट विंग) की तीन सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। यह टीम चोरी के मामलों की सुनवाई करेगी। अब बिजली चोरी का केस पकड़े जाने पर उपभोक्ता को जुर्माना अदा करने के लिए 48 घंटे के स्थान पर 72 घंटे का समय दिया जायेगा। इस अवधि में अगर वह जुर्माना दे देता है तो उस पर पुलिस केस दर्ज नहीं होगा।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, the only question is that within 72 hours or 48 hours. एक बार में ही लाखों रुपये बिजली चोरी की एंसेसमेंट के चार्ज कर लिये जाते हैं यानि पहले तो आदमी से 100 प्रतिशत पैसा जमा करवा लिया जाता है और फिर प्रोविजन किया गया है कि पैसे जमा करवाने के बाद वह तीन सदस्यीय टीम में अपील कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे उपभोक्ता को कोई फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही मेरी कंज्यूमर्स तथा आम लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है and it is my suggestion also that their should be some Authority जो यह वैरीफाई करे कि जो जे.ई. चोरी के केस में मौके पर जाता है उसने वाकई फाईन लगाया है या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मेरे माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में जो सेक्शन 152 है उसमें दिया हुआ है कि on the trial of the offence एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। हमने आपके कहने पर ही इसमें यह प्रावधान किया है कि 48 घंटे की बजाय हम संबंधित व्यक्ति को जुर्माने के पैसे जमा करवाने के लिए 72 घंटे का समय देंगे।

Shri Bharat Bhushan Batra : So nice of you, Sir.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इतने समय के अन्दर उसको पैसे तो जमा करवाने ही पड़ेंगे। अगर पैसे जमा हो गये तो ठीक है नहीं तो एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। इस तरह की प्रणाली का फायदा यह होगा कि किसी दोषी को बचाने के लिए जो बारगेनिंग हुआ करती थी उस पर अंकुश लग जायेगा। यदि संबंधित व्यक्ति समझता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो तीन सदस्यीय टीम जिसमें एस.ई., एक्सीयन तथा वित्त अधिकारी शामिल होता है, में अपील की जा सकती है।

Shri Devender Kumar Bansal : Speaker Sir, in Panchkula 140 Societies are existing. यहाँ पर सिंगल मीटर रीडिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है। जिससे लोगों में बड़ा आक्रोश है। The residents says that we are the consumers of electricity not of manufacturers and why we will provide the infrastructure for the purpose of supply of the electricity and for the purpose of metering the electricity as they have directed to arrange the transformer and other infrastructure. मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको रोक दिया जाये because in Panchkula about 90 percent people are paying the bill in Societies. There is no dispute of theft of the electricity power in Societies of Panchkula. स्पीकर सर, क्या कोई ऐसा प्रावधान होगा कि सिंगल मीटर रीडिंग का जो प्रोसेस है it may not be adopted because of the resentment in the residents.

Mr. Speaker : Mr. Minister, is this question clear to you?

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, यह एक सैपरेट क्वेश्चन है इसका सदन में चल रहे करंट विषय से कोई संबंध नहीं है।

Mr. Speaker : Bansal ji, question is not clear to him.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : स्पीकर सर, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया है वह वास्तव में सदन में चल रहे करंट विषय से ही कनेक्टिड है। मैं पुनः इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ। जिला पंचकूला में जो सोसायटीज हैं वहाँ पर सिंगल मीटर रीडिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है जिसके कारण लोग आक्रोशित हैं। (विच्च)

Mr. Speaker : Bansal ji, I think you should ask a separate question which pertains to Panchkula only. That will be better.

Shri Devender Kumar Bansal : Sir, it is a matter of complete Haryana. This policy is going to be adopted in whole Haryana.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ठीक है हम माननीय सदस्य की बात मान लेते हैं। वह सिंगल प्वायंट कनेक्शंस की ही बात कर रहे हैं। According to Haryana Electricity Regulatory Commission's instructions, single point connections are being provided. मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो सिंगल प्वायंट कनेक्शंस दिये जा रहे हैं वह हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की गाईडलाइन्स के हिसाब से ही दिये जाते हैं So, we cannot do anything about it. You should appeal to the Electricity Regulatory Commission.

Mr. Speaker : Mr. Bansal, you give it to me in writing. I will send it for comments.

Shri Devender Kumar Bansal : OK Sir.

प्रो. सत्यत सिंह : स्पीकर सर, जो आंकड़े मंत्री जी ने दिये हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार के समय में बिजली का उत्पादन बहुत बढ़ा है बल्कि आज तो बिजली का उत्पादन सरप्लस में भी पहुंच गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि आज बिजली की सरल डोमैस्टिक सेक्टर में 20.71 परसेंट कंजंप्शन है और जो दूसरे सेक्टर हैं जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर, अर्बन सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सेक्टर में बिजली की सबसे कम कंजंप्शन है। पहले गांवों में केवल 11 घंटे ही बिजली दी जाती थी लेकिन अब गांव को 14 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है इसके साथ ही साथ एक पिलर बॉक्स सिस्टम भी बनाया गया है। बिजली के क्षेत्र में ये कुछ ऐसे अच्छे कदम हैं कि I have all praise for that. पावर के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके लिए संबंधित विभाग के सी.एम.डी. तथा अधिकारीगण मुबारकबाद के पात्र हैं। मैंने देखा है कि डिफॉल्ट को हमेशा फायदा मिलता है चाहे कोई बैंक का डिफॉल्ट है या फिर बिजली के बिलों को न भरने वाला डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट की बजाय रेगुलर पेईज को फायदा होते हुए मैंने पहली बार देखा है जब पिछले साल आपने एक छूट दी थी कि जिन डोमैस्टिक कंज्यूमर्स ने बिजली के बिलों की अदायगी रेगुलर तरीके से 12 महीनों में यानि 12 किस्तों में की थी (चाहे 6 किस्तों में अदायगी हुई हो) उन उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत का रिबेट प्रेजेंट बिलों में दिया जाना एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि जिन गांवों में पिलर बॉक्स सिस्टम शुरू किया है वहां चोरी का लैवल जीरो पर आ गया है। लॉसिज होना अलग बात है वह तो टैक्नीकल लॉसिज हो सकते हैं लाइन या ट्रांसफार्मर की वजह से भी हो सकते हैं, बिलिंग की वजह से ट्रांसमीशन में लॉसिज हो सकते हैं वह एक अलग चीज है लेकिन अब लॉसिज कंज्यूमर की वजह से नहीं है। कट का और लॉसिज का लैवल जीरो पर आ गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस लैवल को इनकॉरेज करने के लिए इन एडिशन पिलर बॉक्स सिस्टम लगाएंगे क्योंकि अभी तक यह सिस्टम सिर्फ 20 गांवों में ही लग पाया है। मेरी इच्छा है कि यदि यह सिस्टम सारे गांवों में लग जाएगा तो हरियाणा प्रदेश में बिजली सरप्लस हो जाएगी। अभी मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में जो डिफॉल्टिंग अमाउंट बताया है और जो लोन ले रखा है इस सिस्टम को लागू किए बगैर ये कभी पूरे नहीं होंगे। यदि ये पिलर बॉक्स लगाए जाते हैं तो बिजली विभाग का सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके यहां पिलर बॉक्स लगे हैं, बिलों में दस प्रतिशत की ऐक्स्ट्रा रिबेट देगी? साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि इन बॉक्सिज के लग जाने से जैसे कोई डिफॉल्ट हो गया कंजंप्शन कट गया तो कुंडी नहीं लग पाएगी, कॉमर्शियल लॉस नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, it is a good suggestion. Please note down it.

प्रो. सत्यत सिंह : स्पीकर सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मेरा सवाल यह है कि जहां पिलर बॉक्स लगे हैं क्या वहां बिलों में दस परसेंट रियायत सरकार देगी ताकि सरकार की यह पॉलिसी कामयाब हो सके?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है, we will look into it. हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो पिलर बॉक्स की बात रखी है उसके लिए यदि गांव के लोग आगे आकर यह कहते हैं कि हम अपने मीटर्स को बाहर निकलवाकर रखवाना चाहेंगे तो उसके लिए हम स्कीम बना सकते हैं। सरकार ने थू आउट दि स्टेट उसके लिए पैसे का प्रावधान करके रखा हुआ है ताकि गांवों में शहरों की तर्ज पर बिजली मिल सके।

Prof. Sampat Singh : Sir, I appreciate your policy. I am campaigning like anything for your policy.

श्री भारत भूषण बलरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय हाईकोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर है कि अनजथोराइज्ड कालोनीज में डोमैस्टिक कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। I doubt it that there is some order of the High Court.

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बिजली, पानी, सीवरेज कोई भी कनेक्शन या कोई भी फैसिलिटी या अमैनिटीज अनजथोराइज्ड कालोनीज में नहीं दे सकते हैं।

श्री भारत भूषण बलरा : हाईकोर्ट के ऐसे ऑर्डर नहीं हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : कैप्टन साहब, बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन अभी भी उन कालोनीज में दे रहे हैं। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा यदि आप अनजथोराइज्ड कालोनीज को रेगुलेराइज कर दें। वैसे मेरे हल्के में सारे एरिया में अनजथोराइज्ड कालोनीज हैं और वहां सबमें कनेक्शन हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अब कोई कनेक्शन दे रहा है वह अलग बात है लेकिन हाईकोर्ट के आर्डर के मुताबिक वहां कोई अमैनिटी नहीं दे सकते हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : यदि आप किसी को रोटी दे रहे हैं तो क्या पानी नहीं देंगे। हर आदमी को जीने का अधिकार है।

Mr. Speaker : Alright, this is unending. Dangi Ji, what do you want to say?

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, संपत सिंह ने सारे महकमे की बढ़ाई कर दी है।

श्री अध्यक्ष : वैसे इस समय प्रदेश में बिजली की सिचुएशन में काफी इम्प्रूवमेंट है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, इम्प्रूवमेंट तो हुई है लेकिन साथ-साथ दिक्कतें भी हैं। जहां तक अनजथोराइज्ड कालोनीज में कनेक्शन देने की बात है तो सभी लोग डिवैल्पमेंट चार्जिज भी देते हैं, पानी के बिल देते हैं सभी किस्म के बिल पे करते हैं तो उनके लिए यह फैसिलिटीज क्यों नहीं हैं? वे वोटर्ज हैं और सभी प्रकार के बिल पे करते हैं उसके बावजूद उनको सुविधायें नहीं मिलती हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन रखा था कि जो थैप्ट के क्रेसिज पकड़े जाते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि बिजली विभाग वाले रात को छापा मारते हैं, सुबह चार बजे घरों में जाकर छापा मारते हैं। जब लोग अपने घरों में कुण्डी लगाकर सोए हुए होते हैं तो घरों की कुण्डी

खटखटाते हैं अगर कुण्डी नहीं खोलते तो चारदीवारी को फांद कर घर के अन्दर जाते हैं। इसके लिए इनको ऐसा करना चाहिए कि जब गांव में जाते हैं तो पंचायत के मेम्बर को या सरपंच को साथ लेकर घर में छापा मारें और अगर शहर में छापा मारते हैं तो उस इलाके के पार्श्व को साथ लेकर छापा मारें। अगर ऐसा करते हैं तो इनकी जान बच सकती है वरना इनको बड़ी दिक्कत हो सकती है।

Mr. Speaker : Will you not agree with me that most of the electricity theft is done in the night?

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आदमी ही जेल में पड़े हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं वे दिन में भी चोरी करते हैं और विभाग को बदनाम करते हैं। इस प्रकार की बातों पर विशेष ध्यान देकर इस स्कीम को लागू करना चाहिए।

Mr. Speaker : The suggestion may be noted.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कई बार बिल्कुल नाजायज छापा डाला जाता है और उसी वक्त 50000, 60000 और 70000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। गरीब आदमी इतना पैसा कैसे दे सकता है। जितनी कन्जम्पशन हो उसके हिसाब से ही जुर्माना किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई बिजली की चोरी पकड़ी जाती है तो उस पर कम्पाउंड इन्स्ट्रुट लगता है जैसे उद्योग सैक्टर में 20000 किलोवॉट के हिसाब से, कॉमर्शियल सैक्टर में भी 10000 किलोवॉट के हिसाब से, एग्रीकल्चर सैक्टर में 2000 प्रति हार्स पावर के हिसाब से और दूसरी प्रकार की सर्विसिज पर 4000 के हिसाब से पूरे साल का पैसा कैल्कुलेट किया जाता है, उसके बाद जो बिल भरा है उसका हिसाब लगाकर उसके लोड फैक्टर को कैल्कुलेट करते हैं। यह सब हमारे एक्ट में दिया हुआ है। इसलिए जो भी चोरी करता है तो उसको यह पैसा देना होता है क्योंकि पूरे साल का पैसा कैल्कुलेट करके उस पर जुर्माना लगाया जाता है इसलिए यह ज्यादा पैसा बन जाता है। (विष्णु)

Mr. Speaker : This is becoming a debate.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, अगर बिजली की चोरी पकड़ी जाती है तो उसके लोड फैक्टर को देखकर ही जुर्माना लगाना चाहिए। जो आदमी एक बल्ब जलाता है उस पर इतना ज्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं लगता।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बिजली की डोमैस्टिक सप्लाई होती है उसमें हम 25 प्रतिशत लोड फैक्टर कैल्कुलेट करते हैं और जो नॉन डोमैस्टिक बिजली की सप्लाई होती है उसमें 80 प्रतिशत लोड फैक्टर कैल्कुलेट किया जाता है। जैसे रेस्टोरेंट या औद्योगिक ईकाई हैं उनमें 80 प्रतिशत लोड फैक्टर कैल्कुलेट करते हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। जब छापा डालते हैं और जुर्माना लगाते हैं तो उस पैसे को तो 24 घंटे में ही भरवा लेते हैं। कोई अभील का प्रावधान है ही नहीं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने एक कमेटी बना दी है जो अब अपील सुना करेगी। अगर लोड फैक्टर में कोई खामी होगी तो वे एस.ई. को अपनी अपील कर सकते हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कोई कानून है, अगर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है जो पब्लिक के हित में नहीं है तो हम यहां पर किस लिए बैठे हैं। हम यहां रूलज बनाने के लिए और उसमें अगर कोई गलत है तो उसमें बदलाव करने के लिए ही बैठे हैं। हमें ऐसे रूलज को बदल देना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister will look into all these aspects.

Skill Development Programme

*1677. Shri Aftab Ahmed : Will the Technical Education Minister be pleased to state—

- (a) the steps being taken by the Government for introduction of more skill development programmes for youths in the State for generating more employment opportunities; and
- (b) how many new curriculum/courses introduced for skill development viz-a-viz demand from the industry or organized and unorganized sector.

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री नहेन्द्र प्रताप सिंह) : (क) एवं (ख) श्रीमान जी, जानकारी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

स्टेटमेंट

(क) प्रधानमंत्री की कुशलता विकास राष्ट्रीय परिषद् (अब एन.एस.डी.ए. राष्ट्रीय कुशलता विकास प्राधिकरण) के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान 17 लाख युवाओं को कुशलता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से हरियाणा के विभिन्न विभागों की गति-विधियों का समन्वय करने के लिए 2009 में कुशलता विकास मिशन का गठन किया है, हरियाणा राज्य कुशलता विकास नीति दिनांक 30.1.2009 को अधिसूचित की गई थी।

विभिन्न विभागों द्वारा सामूहिक रूप से लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा, जैसे कि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, शहरी स्थानीय निकायों, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम और ग्रामीण विकास विभाग।

विभिन्न विभागों में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में वर्तमान कुशलता निर्माण क्षमता का अवलोकन नीचे विस्तृत है —

क्रम सं.	विभाग का नाम	क्षमता
1.	तकनीकी शिक्षा	143000
2.	चिकित्सा शिक्षा/पराचिकित्सा शिक्षा	20000

3.	पशुचिकित्सा	7000
4.	उच्च शिक्षा	200000
5.	औद्योगिक प्रशिक्षण (आई.टी.आई.)	50000
6.	स्कूल शिक्षा	4800
7.	बहुतकनीकियों के द्वारा सामुदायिक विकास की योजना (सी.डी.टी.पी.) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में लागू किया जा रहा है।	10000
8.	हरियाणा राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार सृजन के अवसरों का सृजन (सी.ई.जी.ओ.) योजना समाज कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।	
9.	औद्योगिक प्रशिक्षण, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण विकास	40000
10.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.) सोनीपत (भारत सरकार)	280
11.	क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आर.एल.आई.) फरीदाबाद (भारत सरकार)	60
12.	फुटवेयर डिजाइन एवं डिजिटलमैट संस्थान (एफ.डी.डी.आई.) रोहतक	270
13.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.) मुरथल, सोनीपत (भारत सरकार)	460
कुल		475870

नोट : 1. प्रदर्शित आंकड़े भर्ती क्षमता दर्शाते हैं न कि आउटटर्न तथा सिस्टम की दक्षता पर निर्भर करते हैं तथा भिन्न हो सकते हैं।

2. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.) सोनीपत की स्थापना अगस्त 2012 में हुई थी, फुटवेयर डिजाइन एवं डिजिटलमैट संस्थान (एफ.डी.डी.आई.), रोहतक की स्थापना सितम्बर 2011 में हुई थी एवं केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.), मुरथल सोनीपत की स्थापना डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 2006 में पानीपत में हुई थी, जोकि 2013 में मुरथल में अपनी इमारत में स्थापित है। नये कुशलता विकास संस्थान विभिन्न विभागों में स्थापित किये जा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में तकनीकी शिक्षा 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 10 पॉलीटेक्निक, सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था, कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और पंचकूला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने जा रहा है।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

रणनीतिक योजना :

भारत सरकार द्वारा वर्तमान प्रथाओं के आधार पर विभिन्न मॉडलों और दृष्टिकोणों को सुझावित किया गया है।

(1) सामुदायिक कॉलेज --

इन कॉलेजों का उद्देश्य स्थानीय उद्योग एवं वहां के समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाभकारी रोजगार के लिए माध्यमिक स्तर के ऊपर एवं डिग्री स्तर के नीचे उपयुक्त कुशलता प्रदान करना है, जिससे अपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सके और आगे व ऊपर बढ़ सके। वर्टिकल मोबिलिटी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए सुविधा प्रदान करती है, जबकि होरीजोन्टल मोबिलिटी बाजार में प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं कुशलता विकास के लचीलेपन है, इसमें प्रवेश के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। नियमित संस्था के साथ समवर्ती नामांकन की अनुमति प्रदान करता है। कार्यक्रम की पेशकश ज्ञान और कुशलता मॉड्यूल और ऋण का मिश्रण के प्रावधान के साथ सीखने के आधार पर प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं अग्रिम डिप्लोमा का प्रावधान है।

(2) बहु कुशलता विकास केन्द्र :-

बहु कुशलता विकास केन्द्र की अवधारणा जर्मन मॉडल से आयात की गई है। भारत सरकार के माध्यम से भारत के संदर्भ में इसे सिद्ध करने के लिए कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सहायता के साथ बंगलौर और गुलबर्गा में दो केन्द्रों में स्थापित किया है। मॉडल की उत्पत्ति विशेष रूप से निर्माण प्रथाओं में प्रौद्योगिकी की गति में तेजी से परिवर्तन पर आधारित है। इसका उद्देश्य उच्च तकनीकी विषयों में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए है, तीन बहु कुशलता विकास केन्द्र पायलेट के आधार पर जिला सिरसा, रोहतक एवं झज्जर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भूमि की पहचान जिला सिरसा एवं रोहतक में कर ली गई है, पायलेट स्कीम के परिणाम के आधार पर 100 बहु कुशलता विकास केन्द्रों की स्थापना तहसील, उपतहसील एवं ब्लॉक स्तर पर कुशलता प्रदान करने के लिए की जा सकती है।

(3) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क :-

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं ए.आई.सी.टी.ई. ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की योजना लागू की है, जोकि एक वर्णनात्मक ढांचा है, जोकि योग्यता को कुशलता एवं ज्ञान के आधार पर आयोजन करता है। व्यावसायिक एवं नियमित कार्यक्रमों में यह होरीजोन्टल एवं वर्टिकल मोबिलिटी प्रदान करता है, जिसमें दसवीं से पी.एच.डी. करने का प्रावधान है। राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए राजकीय विश्वविद्यालय / सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के बुनियादी ढांचे के साथ ही प्रशासनिक संरचना के मामले मजबूत करने होंगे। स्कूल एजुकेशन विभाग द्वारा 40 स्कूलों में प्रायोगिक स्तर पर स्कूली बच्चों (कक्षा 9 से 12) को कुशलता प्रदान की जा रही है, जिसमें 4800 बच्चे रिटेल, ऑटोमोबाइल, सिक्स्योरिटी एवं आई.टी. सैक्टर में कुशलता ग्रहण कर रहे हैं।

(4) सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड :-

राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत कुशलता विकास के कार्यक्रम निजी कुशलता प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से एन.एस.डी.सी. की तर्ज पर रुपये 15000/- प्रति प्रशिक्षण की अस्थायी औसत लागत पर पेश किये जा सकते हैं।

(ख) हरियाणा राज्य के लिए कुशलता अंतराल की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) द्वारा सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है, नये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरम्भ किये जायेंगे। यह काम अप्रैल 2013 में के.पी.एम.जी. को अलाट कर दिया गया है। रिपोर्ट द्वारा कुशलता अंतराल के आधार पर हर जिले के लिए नये पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे। पाठ्यक्रम एन.एस.डी.सी. की अन्तिम रिपोर्ट आने के बाद शुरू कर दिये जायेंगे। हालांकि सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.), सोनीपत, फुटवेयर डिजाइन एवं डिवैल्पमेंट संस्थान (एफ.डी.डी.आई.) रोहतक एवं केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपी.ई.टी.), मुरथल, सोनीपत में कुशलता विकास पाठ्यक्रमों की स्थापना की है, जोकि संबंधित उद्योगों की मांग पूरी करेगा, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता 1070 है। अन्तिम रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में आने की सम्भावना है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह स्किल डिवैल्पमेंट मिशन वर्ष 2009 में स्थापित कर दिया था लेकिन अभी तक यह आईडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि कौन से कोर्सिज इसके तहत पढ़ाये जायेंगे। रिप्लाइ में लिखा गया है कि सर्वे आगे जाकर करेंगे। स्किल डिवैल्पमेंट की इतनी ज्यादा महत्ता प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार ने दिखाई है। अगर 4 साल बाद सर्वे करके पता चलेगा कि कौन सी जगह कौन कौन से कोर्सिस शुरू करेंगे तो स्किल डिवैल्पमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या रह जाएगी।

श्री महेन्द्र प्रताप : माननीय सदस्य की कुछ चिंता जायज भी है लेकिन शायद वे इसको पूरी तरह समझ नहीं पाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्किल डिवैल्पमेंट का हर क्षेत्र में विशेष तौर पर टेक्नीकल क्षेत्र में विशेष महत्त्व पहले भी रहा है और आज के दिन तो यह महत्त्व और ज्यादा बढ़ गया है। यह जो सवाल है यह प्रधानमंत्री कुशलता विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है जिसके अनुसार हमने 2009 में स्किल डिवैल्पमेंट की पोलिसी बनाई है। इसमें तकरीबन अन्य 16-17 विभाग भी शामिल हैं। उसका पूरा विवरण हमने दिया है। तकनीकी संगठित क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, औद्योगिक, स्कूल शिक्षा आदि क्षेत्र आते हैं। बाकी विभाग मिक्स और असंगठित क्षेत्र में आते हैं जिनकी अब तक की स्थिति का विवरण पटल पर दिया गया है। माननीय साथी ने यह विवरण देखा भी होगा। लेकिन टेक्नीकल क्षेत्र के विषय में मैं कहूँ तो तकनीकी क्षेत्र में 2005 के बाद बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इसको मुख्यमंत्री जी की सोच कहिए या इनका दूरदर्शी फैसला कहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में उद्योग यानि कॉमर्स का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। उसके मुताबिक हमारे पास तकनीकी ज्ञान भी उसी तेजी से होना चाहिए। 2005 में इनके कुल संस्थान 161 के करीब थे और इनमें इनटैक 28 हजार कुछ के करीब था। लेकिन 8 साल में इनका इतनी तेजी से विस्तार हुआ है। गवर्नमेंट और

[श्री महेंद्र प्रताप सिंह]

प्राइवेट सैक्टर में आज ये टैक्नीकल संस्थान 682 हो गए हैं और इनमें स्टूडेंट्स का इनटैक डेढ़ लाख के करीब है। मेरे माननीय साथी यह कह रहे थे कि इसमें आखिर में दिया गया है कि सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट आने के बारे में ये कह रहे हैं तो इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह बात असंगठित क्षेत्र के विषय में कही गई है। आप यह देखेंगे कि हमारे जो टैक्नीकल कोर्सिज हैं जैसे बी.ई., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., फार्मसी और डिप्लोमा कोर्सिज इनका अलग-अलग इनटैक है और ये कोर्सिज आज चल रहे हैं। इनका जो सवाल था वह भी यही था कि अधिक दक्षता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि दक्षता के क्षेत्र में तो ये कोर्सिज चल रहे हैं। माननीय साथी यह भी पूछ रहे हैं कि हम इसके लिए क्या करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसमें कम्युनिटी कालेज एक विशेष प्रोग्राम असंगठित क्षेत्र के लिए है जिसमें जिले के उद्योग की प्रोफाइल उपलब्धता के आधार पर यह प्रशिक्षण होगा। यह पायलट स्कीम के तौर पर हम शुरू करना चाहते हैं। अगर यह पायलट स्कीम शुरू हुई तो इसका विस्तार और जगह भी शुरू करेंगे। बहुकुशलता विकास केन्द्र की अवधारणा जर्मनी का मॉडल है। हमारे देश में भी एक आध जगह शायद कर्नाटक में भी यह बहुकुशलता विकास केन्द्र शुरू किए गए हैं। मॉडल की उत्पत्ति विशेष रूप से निर्माण प्रथाओं में प्रौद्योगिकी की गति में तेजी से परिवर्तन पर आधारित है। इनका उद्देश्य समय की मांग के अनुसार उच्च तकनीकी विषयों में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। जहां तक माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि और कौन से कोर्सिज चला रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिन कोर्सिज के बारे में हम आगे विचार कर रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। जिनको रिपोर्ट आने के बाद हम शुरू करेंगे। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी है। हरियाणा राज्य में कुशलता अंतराल की पहचान के लिए राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम का सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में यह पहचान की जायेगी कि किस क्षेत्र में डिमांड और कुशलता को व्यापक रूप देने की आवश्यकता है। उस आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा। माननीय सदस्य का जो सवाल है उसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिटी डिवेलपमेंट के थ्रू स्किल्ड डिवेलपमेंट के प्रोग्राम हमारे संस्थानों में चल रहे हैं। जिनमें माननीय सदस्य की उदाहरण की पोलिटैक्निक भी आती है। यदि आप इजाजत दें तो मैं सारे का जिक्र कर दूँ। पोलिटैक्निक फॉर वूमैन, सिरसा में कम्प्यूटर, डाटा एंट्री आपरेटर, कम्प्यूटर आफिस, इंटरनेट, ड्रेस मेकिंग इम्ब्रायड्री आदि के कोर्सिज चल रहे हैं। इसी तरह से अम्बाला पोलिटैक्निक में 9 कोर्सिज चल रहे हैं। एक-एक साल के कोर्सिज हैं जिनकी मार्केट में आवश्यकता है। इस तरह के कोर्सिज दक्षता के लिए हम चला रहे हैं। सबको पढ़ने की बजाय मैं माननीय साथी के उदाहरण पोलिटैक्निक की जानकारी दे देता हूँ। वहां पर वैल्विंग, फैबरीकेशन, पलम्बर, सैनेटरी, गारमेंट मेकिंग, मोटर वाईडिंग, हाउस वायरिंग, कारपेंटरी, फर्नीचर मेकिंग, कम्प्यूटर आपरेटिंग आदि कोर्सिज चल रहे हैं। इस तरह के कोर्सिज हम हमारे 16 संस्थानों में चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बात यह भी बताना चाहूंगा और ये मानेंगे भी कि मेवात क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र में जितना विकास दूसरे क्षेत्रों में हुआ है। उसके साथ-साथ बहु तकनीकी क्षेत्र में भी 4 प्राइवेट और 4 सरकारी संस्थान बनेंगे। उदाहरण में तो इस समय

से कोर्सिज चालू हैं लेकिन इन्ट्री और मालब वगैरह में भी जल्दी ये कोर्सिज शुरू करने जा रहे हैं। आज प्रदेश में स्थिति यह है कि जितने संस्थान प्रदेश में हैं उनमें एडमिशन में दिक्कत हो रही है और स्थिति यह है कि अलग-अलग संस्थानों में एक तिहाई से भी ज्यादा सीटें खाली हैं। जहां कभी पहले इनमें जगह नहीं मिलती थी। इसका कारण उद्योग क्षेत्र में प्रोडक्शन और खपत में गिरावट आना है। ऐसे में नौकरियों में भी कमी आना स्वाभाविक है। हमने इस क्षेत्र में काफी तेजी से कदम बढ़ाये हैं और माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि स्किल डिवेलपमेंट की स्कीमें जो सेंटर और स्टेट की हम चला रहे हैं उनसे आने वाले समय में हरियाणा में दक्षता का अपना ही एक मुकाम होगा।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी से संबंधित प्रश्न डाला था लेकिन अनफोरचुनेटली लग नहीं पाया। जिज्ञासा सभी मैबरों की है कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 475870 सीटें तकनीकी संस्थानों में शिक्षा देने के लिए अवेलेबल हैं लेकिन अंत में समाप्त करते हुए कह गए कि एक तिहाई भर पाई हैं, बाकी खाली हैं। मैं

15.00 बजे यह कहना चाहता हूँ कि कहीं ये संस्थान केवल सर्टीफिकेट प्रोवाइडर बनकर न रह जायें। अगर यहां स्किल डिवेलपमेंट होगी तो क्या हम सोच सकते हैं कि वह आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा चाहे वह प्राइवेट काम करेगा, किसी इण्डस्ट्री में काम करेगा और अगर उसे अपनी स्टेट में काम नहीं मिलेगा तो वह किसी दूसरी स्टेट में काम कर लेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार सही मायनों में इसके लिए तैयार है कि प्रदेश की संस्थाओं को सर्टीफिकेट प्रोवाइडर न बनाकर उनको स्किल प्रोवाइडर बनायें यानि वे स्किल पैदा करें। आज हमारा आई.टी.आई. सर्टीफिकेट होल्डर है। इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी ने 2 लाख ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के आंकड़े दिये हैं। इसी प्रकार से 1.43 लाख टैक्नीकल एजुकेशन के दे दिये और इसी प्रकार से 40 हजार दूसरे दे दिये। ये जो आपने संख्यायें दी हुई हैं इनमें से सिर्फ निफ्टम की तरह के दूसरे संस्थानों के 10-15 हजार को छोड़कर बाकी के सर्टीफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जब ये काम करने के लिए जाते हैं तो इनमें से न तो कोई प्लम्बरी कर सकता है, न कोई इलैक्ट्रिशियन का काम कर सकता है क्योंकि इनको कोई काम आता ही नहीं है बल्कि वे इनअबसैसिया काम करते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इन संस्थानों में से युवाओं का इंटेस्ट क्यों खल हुआ। अगर सरकार सही मायनों में स्किल डिवेलपमेंट करेगी तो कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। जैसे मंत्री जी ने कहा कि वे पी.पी. मोड के तहत 15000 हजार रुपये देकर बच्चों को ट्रेनिंग देने की प्रपोजल बना रहे हैं। इस मामले में मंत्री जी यह देखें कि किसी भी महीने किसी भी इण्डस्ट्री से जो ट्रेनर बुलाये हैं क्या उनके द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उनको जब ट्रेनिंग देने की बात आती है तो उनसे लेबर का काम लिया जाता है जिस कारण वे दूसरे दिन भाग जाते हैं जबकि होना तो यह चाहिए कि जो टैक्नीशियन है या इलैक्ट्रिशियन है तो उनको इलैक्ट्रिशियन का काम देना चाहिए और अगर कोई मोटर मैकेनिक का काम करता है तो उसको मोटर मैकेनिक का काम सिखाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तब तो ठीक है।

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, is it a question?

प्रो. सम्पत सिंह : सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर गौर कर रही है? क्या इनकी स्किल को डिवैल्प करने का काम किया जायेगा या फिर हमारे संस्थान महज सर्टीफिकेट प्रोवाइडर का ही काम करेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप : स्पीकर सर, (विचन)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, no need to answer.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, आई.टी.आई. से रिलेटिड हमारे माननीय सदस्य इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और गलत स्टेटमेंट ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस दे रहे हैं, I want to make a clarification on it. सर, इस समय जो हमारी सरकारी और प्राइवेट आई.टी.आई. चल रही हैं उनमें हमने सोसाइटील मोड पर इण्डस्ट्रीज के साथ टाई-अप किया हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे इंडिया में हमारी आई.टी.आई., कुरुक्षेत्र और आई.टी.आई., कैथल को बैस्ट आई.टी.आई. डिक्लेयर किया हुआ है। अभी हमारी 250 से ऊपर की प्लेसमेंट केवल मात्र आई.टी.आई., कैथल से हुई है। मैं सरकारी आई.टी.आई. की बात कर रही हूँ। इसके बाद जो हमारी रोहतक की मॉडल आई.टी.आई. है उससे प्लेसमेंट हुई। हमने मैक्सिमम आई.टी.आई. को सोसाइटील मोड पर इण्डस्ट्रीज के साथ टाई-अप किया हुआ है। हम उनसे केरीकुलम डिजाइन करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जितना बैटर स्किल डिवैल्पमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर आज हरियाणा प्रदेश में है उतना पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। मैं on the floor of the House यह बात कह सकती हूँ। जहां तक स्कूलों में नैशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क की बात है हमने प्रारम्भ में यह कार्यक्रम 8 जिलों में शुरू किया है। चाहे इसमें ऑटोमोबाइल की बात हो या चाहे आई.टी. क्षेत्र की बात हो उनकी हमारे पास बहुत ज्यादा डिमाण्ड आई है। Because Haryana is the piloting State in the India इसलिए माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर ने स्वयं यहां पर आकर उसको लांच किया था। इसलिए मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि हमारे टेक्नीकल एजुकेशन संस्थान केवल डिग्री या कागज के टुकड़े नहीं दे रहे हैं बल्कि जो हमारे पास अवेलेबल ह्युमन रिसोर्सिज हैं वाकई मैं ही उसको स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स में कंवर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा जोर लगाया हुआ है।

Prof. Sampat Singh : I stand by with my statement. There is no wrong statement.

Smt. Geeta Bhukkai Matanhail : He is making a wrong statement on the floor of the House.

Prof. Sampat Singh : I cannot say you are making a wrong statement but I can say I am making a right statement.

Mr. Speaker : When there is no opposition then it comes within.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : सर, जो हमारे टेक्नीकल एजुकेशन मिनिस्टर ने आंकड़ों के साथ बताया है मैं भी being an Education Minister on the floor of the House यह कहना चाहती हूँ कि जो हमारी आई.टी.आई. हैं जहां पर हमने डी.सी. रेट

पर इंस्ट्रक्टर लगाये हुए थे उनके लिए हमने रेगुलर पोस्टें निकाली हैं जिनके लिए हमने क्लज भी अलग से बनाये हैं। इसके साथ-साथ हम अपने सभी प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने अपनी मैक्सिमम आई.टी.आईज. में स्वयं इंस्ट्रक्टर लेकर स्टूडेंट्स की ड्रेस को बदल दिया है जिसमें अब वे बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं और अब वे स्मार्टली काम कर रहे हैं। मैं यह मानती हूँ कि हमारी यहां शार्टेज थी जिसको दूर करने के लिए हमने बहुत सारी पोस्टें एडवरटाईज की हैं। इस समय मैं यह कह सकती हूँ कि हमारी 66 गवर्नमेंट आई.टी.आईज. हैं उन्हें हमारी इण्डस्ट्रीज ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टेक-अप किया हुआ है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 78 आई.टी.आईज. को सोसायटीज ने टेक-अप किया हुआ है। आपको इस बात की तकलीफ हो सकती है कि आई.टी.आईज. में सबसे ज्यादा गरीब बच्चों, बी.पी.एल.एस.सीज. और वूमैन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इनके लिए हमने सबसे ज्यादा आई.टी.आईज. खोली हैं। उनको हम सैल्फ इम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको हम मशीनरी भी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी श्री आफताब अहमद जी यहां पर उपस्थित हैं, उनको पता है कि मेवात के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपये भारत सरकार ने माइनोरिटी विभाग के लिए दिये हैं। जिससे मेवात में हमने हर ब्लॉक में मॉडर्न आई.टी.आई. खोली हैं। पुनहाना, पिन्गवा, तावडू, नूह, पुनहाना फोर वूमैन, फिरोजपुर क्षिरका, उजीना आदि सभी जगह काम चल रहा है। जहां पर हम एस.सी., बी.सी. के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको किट प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम यह इन्श्योर भी कर रहे हैं कि हम पढ़े-लिखे बेरोजगार यूथ पैदा न करें ताकि वे गलत राह पर न जाये। आज हमारे पास 60 प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की है जिसको हम यंगिस्तान कहते हैं। हमारी राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह इच्छा है कि हम उनको प्रोपर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनायें। हम उनको जो स्कॉलरशिप, फीस और रिफंड कर रहे हैं वह हम 1000 से ज्यादा की किट दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात on the floor of the House कह सकती हूँ कि हम और प्रयास करेंगे कि हमारे जो नॉर्मल जाब ओरिएन्टेड कोर्सिज हैं उसमें जो प्लेसमेंट के लिए अलग सैल है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे और हम सभी इण्डस्ट्रीज से टाईअप करेंगे ताकि जो हमारे पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनको अच्छे ढंग से रोजगार मिल सके।

तारांकित प्रश्न संख्या 1597

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती कविता जैन सदन में उपस्थित नहीं थी इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Bus Depot at Panchkula

*1708. **Shri Devender Kumar Bansal** : Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Bus Depot for district Panchkula and to modernize the Bus stand of Panchkula; and

[Shri Devender Kumar Bansal]

- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to start direct Bus service from Panchkula to Delhi and other States?

Chief Minister (Bhupinder Singh Hooda) :

- (a) No Sir,
 (b) The direct bus service from Panchkula to Delhi and some other States is already available.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पंचकुला में 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य करवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पंचकुला में केवल मात्र एक बस डिपो की समस्या रह गई है जिसके कारण लोग सफरर हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर बस डिपो कब तक बना दिया जायेगा जिससे बसों की आवाजाही सुचारु रूप से चलाई जा सके?

Mr. Speaker : Pointed question is whether a Bus Stand will be constructed or not?

Shri Randeep Singh Surjewala : It is not about Bus-stand but it is about Bus Depot.

Shri Devender Kumar Bansal : My second supplementary is that for the benefits and for the facilities of the students as well as to the senior citizens and to the residents and to that of the villagers also क्या लोकल बसिज के लिए पंचकुला को 50 नई बसों का बंदा दिया जायेगा ताकि ये सुविधाएं हमारे पंचकुला में ज्यादा मिल सकें?

Mr. Speaker : This question is in two parts and the third is a demand. (Interruption) Mr. Bansal, you are asking for 50 buses. It is a demand.

Shri Devender Kumar Bansal : Sir, my third supplementary is

Mr. Speaker : Question cannot be a demand and demand cannot be a question.

Shri Devender Kumar Bansal : Sir, it is not a demand. It is my third supplementary. सर, तीसरी सप्लीमेंट्री है कि बस स्टैंड के साथ ही लगते सैक्टर-7 और सैक्टर-8 की सड़क पर जो कट था वह बंद कर दिया गया है जिसके कारण वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसों की आवाजाही से जाम की स्थिति बन जाती है तथा पूरे पंचकुला में कंजेशन पैदा हो जाता है। क्या उस कट को खोल दिया जायेगा? इसी तरह से सैक्टर-12ए में जो ओवरब्रिज है उसमें एक छोटा कट बना हुआ है क्या उसको बड़ा कर दिया जायेगा?

Mr. Speaker : It is a very pointed question. You just answer to the demands.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, three questions have been asked by my friend including demands. The first was whether or not we will have a separate bus depot for Panchkula. My friend knows and I know also, we both are residents of the City, Chandigarh and Panchkula Depot are one. It is not far away and there is a distance of few hundreds and it is not at the distance of 50-60 and 70 kilometres. Haryana Roadways traditionally right from its inception has been maintaining the Depot at Chandigarh. Why at Chandigarh? Because that where all the wherewithal already stands created. Either we uproot everything and take it to Panchkula. Which purpose would it serve, Sir? Sir, for all Chandigarh and Panchkula, there is one depot at Chandigarh and that serves sufficiently and efficiently the maintenance and other repairs of the buses at Panchkula. Regarding my learned friend's demand of there being local bus service, I cannot agree with it more. It is a very fair demand. Panchkula is one of our front line cities. It is expended. I have noted it. I am going to pass it on to the Department to see as to how better local services for commutation purposes for Panchkula residents can be enhanced. Regarding his third demand that because of the cut having been stopped, now some of the buses plying stopped on the wrong side and he is 100% right on that also. However, that cut was stopped, he will recollect because three or four children died. That cut was stopped because three or four children died and there was a demand then from the residents to stop it. I would request my learned friend to re-assess it because there cannot be a traffic cop 24 x 7 hours. It can again lead to some accidents. If somebody is violating the traffic law, we can ensure that such a particular person is punished. So kindly have a look and have an assessment and please write back.

श्री राजेन्द्र सिंह जून : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में बस स्टैंड शहर के बीच में है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार साल पहले बाई पास पर शिफ्ट करने के आदेश दिये थे लेकिन विपक्ष के साथियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। सरकार पिछले महीने यह केस जीत गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह बस स्टैंड कब बनाना शुरू करेंगे और कब तक वह बनकर तैयार हो जाएगा। डी.सी. झज्जर ने उस जमीन का कब्जा ले लिया है। मैं मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूँ कि कब तक इस बस स्टैंड को कम्पलीट कर देंगे और कब तक इसको स्टार्ट कर देंगे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, while it is a separate question, my learned friend may give a separate notice. This matter, to my knowledge is under active consideration of the Government.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

**नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित
प्रश्नों के लिखित उत्तर**

Expansion of Nari Niketan Building at Karnal

*1648. Smt. Sumita Singh : Will the Women & Child Development Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to expand the building of the Nari Niketan, Karnal or to construct a new building for it?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेत) : हां, नारी निकेतन करनाल अर्थात् 'उत्तर रक्षा गृह, कन्या' की इमारत के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव है। 39.28 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तीन कमरे, ट्रेनिंग हॉल, डॉक्टर रूम, बरामदा व शौचालय के निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

Supply of electricity to village Dipalpur

*1654 Sh. Jai Tirath Dahiya : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration to supply electricity to village Dipaipur (Rai) from the 440 KV Sub-station set up at village Dipalpur (Rai)?

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : नहीं श्रीमान।

To construct the Building of Sub-tehsil Mohna

*1647. Sh. Raghbir Singh Tewatia : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Sub tehsil Mohna, District Faridabad; if so, the details thereof?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : यह सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

श्रीमान जी, उप-तहसील मोहना कार्यालय भवन के निर्माण बारे उपयुक्त जगह/भूमि चिह्नित की जानी विचाराधीन है। जैसे ही उपयुक्त जगह उपलब्ध होगी, उप-तहसील भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस समय उप-तहसील मोहना का कार्यालय मार्किट कमेटी मोहना के भवन में कार्यरत है।

Construction of Roads

*1694. Shri Ghanshyam Dass Garg : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the condition of the following roads in Bhiwani is very bad :

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित (2)31
प्रश्नों के लिखित उत्तर

- (i) Circular road of Bhiwani city;
 - (ii) Bhiwani to Khark;
 - (iii) Bhiwani to village Kont road;
 - (iv) Jain Chowk to Dadri Gate Chowk; and
 - (v) Hallu Bazar to Patram Gate Chowk;
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re-construct the abovesaid roads togetherwith the time by which these roads are likely to be re-constructed; and
- (c) whether it is a fact that the road from Bhiwani to Narnaul is in very bad condition; if so, the time by which the said road is likely to be re-constructed?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : क और ख के लिए — श्रीमान् जी, सड़क अनुसार उत्तर निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	सड़क का नाम	भाग	मलकीयत	स्थिति	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	सरकुत्तर सड़क भिवानी शहर	रोहतक द्वार में हांसी द्वार से होते हुए देवसर द्वार तक (ल. 2.85 कि.मी.) रोहतक द्वार से दादरी द्वार होते हुए उपरगामी पुल तक सड़क (ल. 2.85 कि.मी.)	लो.नि. विभाग (भवन एवं सड़क) सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (राजमार्ग-709 होने के कारण)	संतोष-जनक संतोष-जनक नहीं है	इस समय इस की मरम्मत की जरूरत है। इस सड़क का पुनः निर्माण मजबूतीकरण द्वारा 31.12.13 तक पूरा करने की संभावना है।
2.	भिवानी से खरक	भिवानी से खरक	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (राजमार्ग-709 होने के कारण)	संतोष-जनक नहीं है	इस सड़क की मरम्मत करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं फिर भी इस बड़ी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
3.	भिवानी से गांव कौंट सड़क	भिवानी से गांव कौंट सड़क	लो.नि. विभाग (भवन एवं सड़क)	सड़क की स्थिति संतोष-	सड़क के इस भाग पर मरम्मत का कार्य

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

1	2	3	4	5	6
				जनक है सिवाय कि सड़क कटाव के कारण है। कि.मी. 0.85 से 1.56 में जहां गहरी सिवर लाइन डाली गई हैं	30.11.2013 तक पूरा होने की संभावना
4.	जैन चौक से दादरी द्वार चौक सड़क	जैन चौक से दादरी द्वार चौक सड़क	लो.नि. विभाग (भवन एवं सड़क)	सन्तोष- जनक	इस समय इस सड़क की मरम्मत की जरूरत नहीं है।
5.	हालू बाजार से पतराम द्वार चौक सड़क	हालू बाजार से पतराम द्वार चौक सड़क	नगर-परिषद	सन्तोष- जनक नहीं है	नगर परिषद के माध्यम से इस सड़क की मरम्मत के प्रयत्न किए जाएंगे। फिर भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) के लिए

श्रीमान जी, यह सड़क डी.बी.एफ.ओ.टी. आधार पर चार मार्गीय परियोजना रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा) से नारनौल-महेन्द्रगढ़-दादरी-खरक कोरीडोर, का भाग है। रियायतीय-समझौता 30.11.2012 को किया गया था परन्तु कन्वेंशनियर द्वारा वित्तीय बन्दी अभी तक प्राप्त नहीं की गई हैं। इस घड़ी, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर भी इस सड़क की मरम्मत पैच कार्य तथा सतह सुधारकार्य द्वारा की जा रही हैं। अलग-अलग भाग का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	सड़क का नाम व स्ट्रेच	स्थिति	प्रस्ताव
1.	भिवानी से हालुवास (कि.मी.) 103.760 से कि.मी. 100.300)	सन्तोषजनक नहीं है।	इस सड़क की मरम्मत का कार्य 30.11.2013 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

1	2	3	4
II.	हलुवास से दादरी (कि.मी. 100.300 से कि.मी. 76.40)	सन्तोषजनक	इस समय इस सड़क की मरम्मत की जरूरत नहीं है।
III.	दादरी से पालड़ी (कि.मी. 76.40 से कि.मी. 59.46)	सन्तोषजनक नहीं है।	इस भाग की मरम्मत का कार्य 31.12.2013 तक किये जाने की संभावना है।
IV.	पालड़ी से कुक्शी (कि.मी. 59.46 से कि.मी. 27.60)	सन्तोषजनक नहीं है।	इस भाग की मरम्मत का कार्य 31.12.2013 तक किये जाने की संभावना है।
V.	कुक्शी से हिरोहाम्डा चौक नारनौल (कि.मी. 27.60 से कि.मी. 13.88)	सन्तोषजनक नहीं है।	यह कार्य ठेकेदार को आबंटित किया गया था। परन्तु कार्य पूरा करने में असफल होने के कारण उसे टर्मिनेशन नोटिस 30.08.2013 को जारी किया है। इस बड़ी, समय अवधि नहीं दी जा सकती।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

The Amount of Sundry Charge & Fuel Surcharge

468. Smt. Kavita Jain : Will the Power Minister be pleased to state :—

- the district-wise and year-wise details of the amount of sundry charge and fuel surcharge charged from the consumers by the Bijli Vitran Nigams during the period from the year 2005 to 2013; and
- whether any interest is being given to the consumers on sundry charge?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

श्रीमान, प्वाईट अनुसार उत्तर निम्न प्रकार है :-

- जिला अनुसार आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। यद्यपि, वर्ष 2005 से 2013 तक की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से चार्ज किए गए ईंधन अधिशुल्क की धनराशि का सर्कलवार तथा वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है। फुटकर प्रभार के विवरण के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि फुटकर प्रभार एस.ओ.पी. (सेल ऑफ पावर), ई.डी. (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी),

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

एम./टैक्स (म्युनिसिपल टैक्स), ईंधन अधिशुल्क आदि का अभिन्न अंग है। ये उस धनराशि के बारे में बताते हैं जो संबंधित बिलिंग सर्किल में चार्ज नहीं किए गए थे/कम चार्ज किए गए थे/चार्ज किए जाने के लिए छोड़े गए थे तथा बाद में एस.सी.ए.आर. रजिस्टर के माध्यम से उत्तरवर्ती बिल में चार्ज किए गए थे।

(ख) यद्यपि फुटकर प्रभार उपभोक्ताओं से वसूली करने योग्य है, इसलिए उपभोक्ताओं से इस धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

उपभोक्ताओं से चार्ज किए गए ईंधन अधिशुल्क का सर्कलवार तथा वर्षवार विवरण :-

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं. सर्कल का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
1. अम्बाला	0.00	4.46	20.12	23.47	29.55	26.68	25.98	69.30	199.57
2. यमुनानगर	0.00	3.23	14.45	16.10	21.72	20.72	20.19	44.46	140.87
3. सोनीपत	0.00	5.58	22.11	26.32	28.27	25.24	34.26	60.92	202.71
4. करनाल	0.00	6.63	21.86	25.51	28.66	27.59	30.27	71.42	211.94
5. पानीपत	0.00	2.19	14.49	19.63	24.24	20.69	20.82	49.56	151.62
6. कुरुक्षेत्र	0.00	1.63	6.10	7.75	9.37	8.64	8.66	21.79	63.94
7. कैथल	0.00	0.80	3.74	4.76	6.58	6.74	7.41	19.35	49.38
8. जीन्द	0.00	1.12	5.94	6.69	8.52	11.07	22.71	15.87	71.91
9. रोहतक	0.00	1.89	8.34	12.65	15.18	14.56	21.23	35.83	109.68
10. झज्जर	0.00	3.35	13.36	13.33	16.21	18.54	16.92	35.25	116.94
योग	0.00	30.86	130.50	156.20	188.33	180.48	208.45	423.74	1318.56

दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम

क्र.सं. सर्कल का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
1. भिवानी	0.00	4.05	18.08	22.41	26.44	22.45	24.20	57.00	174.65
2. फरीदाबाद	0.00	10.36	47.51	62.33	75.75	72.31	74.53	137.51	480.29
3. गुड़गांव	0.00	11.96	55.76	75.66	99.24	95.67	100.18	193.08	631.55
4. हिसार	0.00	7.47	38.02	47.58	61.18	45.27	48.43	88.16	336.10
5. नारनौल	0.00	6.26	26.43	32.72	44.67	35.06	39.18	74.80	259.12
6. सिरसा	0.00	3.58	16.62	22.42	30.96	25.12	26.75	55.99	181.43
योग	0.00	43.68	202.42	263.12	338.24	295.88	313.27	606.54	2063.15
कुल योग	0.00	74.54	332.92	419.32	526.57	476.37	521.72	1030.28	3381.71

To Shift the Dumping Ground

478. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Dumping ground from Sector 23, Panchkula and also to setup a Solid Waste Management plant ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान जी। सैक्टर 23, पंचकुला से डम्पिंग ग्राउंड स्थानांतरित करने और गांव झूरीवाला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

New Master Plans for Districts

508. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state :

- (a) the number of Master Plans introduced in various Districts of State during the last 8 years together with the district-wise details alongwith necessity of framing such master plans; and
- (b) whether old Master Plans were implemented completely before the introduction of new Master Plans together with the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

- (क) पिछले 8 वर्षों में 71 विकास योजनाएं (48 प्रारूप, 23 अन्तिम) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 41) की धारा 5 के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अव्यवस्थित तथा अवमानक विकास को रोकने तथा नियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु घोषित नियंत्रित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार नियंत्रित क्षेत्र के घोषित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में विकास योजनाएं तैयार करनी होती है।

जिलेवार विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	जिला	अधिसूचित की गई विकास योजनाएं		
		अन्तिम	प्रारूप	कुल
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	1	2	3
2.	भिवानी	0	0	0
3.	फरीदाबाद	0	1	1

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5
4.	फतेहाबाद	1	4	5
5.	गुड़गांव	7	2	9
6.	हिसार	1	2	3
7.	झज्जर	2	3	5
8.	जीन्द	1	3	4
9.	कैथल	0	1	1
10.	करनाल	0	7	7
11.	कुरुक्षेत्र	1	2	3
12.	महेन्द्रगढ़	1	1	2
13.	मेवात	0	3	3
14.	पलवल	1	2	3
15.	पंचकूला	3	1	4
16.	पानीपत	1	2	3
17.	रिवाड़ी	1	2	3
18.	रोहतक	0	4	4
19.	सिरसा	1	1	2
20.	सोनीपत	0	3	3
21.	यमुनानगर	1	2	3
कुल योग		23	48	71

नोट : जहां अंतिम योजनाएं अधिसूचित हो चुकी है, उस स्थिति में प्रारूप योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) यह आवश्यक नहीं कि नई विकास योजना तैयार करने से पूर्व पुरानी विकास योजना को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि योजना एक गतिशील एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा नई परिस्थितियों के मद्देनजर विकास योजनाओं में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। भूमि, एक सीमित संसाधन होने के कारण, के उपयुक्त उपयोग हेतु सरकार द्वारा 14.7.2009 को विकास योजनाओं में जनसंख्या घनत्व 80 व्यक्ति प्रति एकड़ से 100 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा 100 व्यक्ति प्रति एकड़ से 120 व्यक्ति प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार सभी विकास योजनाएं संशोधित की गई/ की जा रही हैं, ताकि उक्त निर्णय को लागू किया जा सके, चाहे पुरानी विकास योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं या नहीं। इसी प्रकार जब सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि विशेष आर्थिक जोन शुरू नहीं हो रहे हैं तथा जिन किसानों/भूस्वामियों की भूमि

इन विशेष आर्थिक जोन के लिए प्रस्तावित है और वह उस भूमि को अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार द्वारा किसानों/भू-स्वामियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि के लिए उपयुक्त भू-उपयोग प्रस्तावित कर दिए जाएं जिसके कारण भी एक केस में विकास योजना में परिवर्तन किया गया।

Construction of Nalwa Minor

428. Sh. Sampat Singh : Will the Irrigation Minister be pleased to state: —

- (a) when the work on Nalwa minor was started;
- (b) the type of work that has been completed on this minor togetherwith the details thereof; and
- (c) the target date of the completion of the aforesaid minor and whether the work is being done accordingly togetherwith the actual time likely to be taken for its completion?

वित्त मंत्री (श्री हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) :

- (क) नलवा माईनर जिसका नाम ओ.पी. जिन्दल नलवा डिस्ट्रिब्यूटरी है का निर्माण कार्य सितम्बर, 2012 के दौरान शुरू हुआ।
- (ख) 95% मिट्टी का कार्य, 85% लाईनिंग कार्य और 26 पुलों का निर्माण कार्य मौके (साईट) पर पूरा किया जा चुका है।
- (ग) कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.1.2014 है और कार्य को समय से पहले पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

To Deploy More Police Force in Panchkula

479. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to deploy more police force in Panchkula in order to check the incidents of theft and snatching ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान जी।

The Amount Spent on Construction of Roads

509. Smt. Renuka Bishnoi : Will the PW(B&R) Minister be pleased to state :—

- (a) the total expenditure incurred by the State Government on the construction of roads in Adampur Constituency during the last

[Smt. Renuka Bishnoi]

8 years togetherwith the details of the Central sponsored schemes and the State Government Financed Scheme and ;

- (b) whether the Government is aware of this fact that the roads of Adampur Mandi and the area across the railway line are in bad condition; if so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government thereon?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- (क) श्रीमान जी, गत 8 वर्षों के दौरान आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण पर कुल 669.99 लाख रुपये का खर्चा किया गया है। इसमें एच.एस.ए.एम. बोर्ड द्वारा किया गया 346.17 लाख रुपए का खर्चा सम्मिलित है।
- (ख) नहीं, श्रीमान जी, सभी सड़कें अच्छी अवस्था में हैं, केवल एक को छोड़कर जो आदमपुर झांसल से नई मण्डी आदमपुर को रेलवे लाईन के साथ-साथ है। रेलवे अधिकारी, विभाग को इस सड़क की मरम्मत करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह उनके मार्गाधिकार में है।

Children Suffering from Stunting, Underweight etc.

430. Shri Sampat Singh : Will the Health Minister be pleased to state—

- (a) the average percentage of children who are suffering from stunting, underweight and wasting in Haryana as compared to National Average;
- (b) the status of Haryana State in case of Infant Mortality Rates(IMR) as compared to other big States;
- (c) the status of Neo Natal Mortality (NNM), Early Neo Natal MR, Peri-Natal MR, the still born birth rate MR, under 5 MR in Haryana as compared to other big States; and
- (d) the Per Capita Public expenditure and Private expenditure on Health in Haryana as compared to other big States in the country and National Average?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान्, सदन के लिए कथन प्रस्तुत है।

विवरण

- (क) नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - 3 (2005-06) के अनुसार, हरियाणा राज्य में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (Height-for-age) का औसत प्रतिशत 43.3 अंडरवेट (Weight-for-age) का औसत प्रतिशत 38.2 तथा वेस्टिंग (Weight-for-height) का औसत प्रतिशत 22.4 है जबकि

इनकी तुलना में स्टैंडिंग (Height-for-age) अंडरवेट (Weight-for-age) तथा वेस्टिंग (Weight-for-Height) का राष्ट्रीय औसत 48.0, 42.5 तथा 19.8 प्रतिशत है।

- (ख) सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2011 (SRS 2011) के अनुसार, हरियाणा राज्य में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार जीवित जन्म (44/1000 live birth) है (तालिका 1)।

तालिका 1. शिशु मृत्यु दर की अन्य बड़े राज्यों से तुलनात्मक स्थिति
(स्रोत: एस.आर.एस. 2011)

क्र.सं.	राज्य	शिशु मृत्यु दर
	भारत (राष्ट्रीय)	44
1.	केरल	12
2.	तमिलनाडु	22
3.	महाराष्ट्र	25
4.	दिल्ली	28
5.	पंजाब	30
6.	पश्चिम बंगाल	32
7.	कर्नाटक	35
8.	झारखंड	39
9.	गुजरात	41
10.	जम्मू और कश्मीर	41
11.	आंध्र प्रदेश	43
12.	बिहार	44
13.	हरियाणा	44
14.	छत्तीसगढ़	48
15.	राजस्थान	52
16.	आसाम	55
17.	उड़ीसा	57
18.	उत्तर प्रदेश	57
19.	मध्य प्रदेश	59

(स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन 2011 - प्रकाशित 2012)

- (ग) सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2011 (SRS 2011) के अनुसार, हरियाणा में नवजात शिशु मृत्यु-दर (Neonatal Mortality Rate) 28, प्रारंभिक नवजात शिशु मृत्यु-दर (Early Neonatal Mortality Rate) 24, पैरी-नैटल मृत्यु-दर (Perinatal Mortality Rate) 32, मृत जन्म दर (Still Birth) 9 तथा पांच वर्ष से नीचे बाल मृत्यु दर (Under 5 Mortality Rate) 51 प्रति हजार जीवित जन्म (per 1000 live births) है (तालिका-2)।

[राव नरेन्द्र सिंह]

तालिका 2. विभिन्न मृत्यु-दरों की अन्य बड़े राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति

(स्रोत : एस.आर.एस. 2011)

राज्य	पांच वर्ष से नीचे बाल मृत्यु दर	नवजात शिशु मृत्यु-दर	प्रारंभिक नवजात शिशु मृत्यु-दर	पैरी-नेटल मृत्यु-दर	मृत जन्म दर
भारत (राष्ट्रीय)	55	31	24	30	6
आंध्र प्रदेश	45	28	24	30	6
आसाम	78	30	25	34	9
बिहार	59	29	25	28	3
छत्तीसगढ़	57	34	25	36	12
दिल्ली	32	18	12	19	7
गुजरात	52	30	22	29	7
हरियाणा	51	28	24	32	9
जम्मू और कश्मीर	45	32	26	34	8
झारखण्ड	54	29	25	26	1
कर्नाटक	40	24	20	33	14
केरल	13	7	5	10	6
मध्य प्रदेश	77	41	32	38	7
महाराष्ट्र	28	18	15	21	6
उड़ीसा	72	40	13	38	8
पंजाब	38	24	18	25	7
राजस्थान	64	37	29	34	5
तमिलनाडु	25	15	11	20	9
उत्तर प्रदेश	73	40	30	35	5
पश्चिम बंगाल	38	22	18	24	6

(घ) हरियाणा में वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 642.00 रु. था और वर्ष 2013-14 में अनुमानित खर्च 734.00 रु. है। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति निजी खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। National Commission on Macroeconomics and Health की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य पर अन्य बड़े राज्यों के प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च के नवीनतम

आंकड़े केवल वर्ष 2008-09 तक ही उपलब्ध हैं। इस अवधि में हरियाणा में औसत खर्च 280.00 रु. पाया गया। अन्य बड़े राज्यों के साथ इसका तुलनात्मक विवरण तालिका-3 में दिया गया है।

तालिका 3. बड़े भारतीय राज्यों में 2008-09 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च

राज्य	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च (राज्यों में)
आंध्र प्रदेश	410
आसाम	471
बिहार	173
छत्तीसगढ़	378
दिल्ली	798
गुजरात	270
हरियाणा	280
जम्मू और कश्मीर	845
झारखण्ड	328
कर्नाटक	419
केरल	454
मध्य प्रदेश	235
महाराष्ट्र	278
उड़ीसा	263
पंजाब	360
राजस्थान	287
तमिलनाडु	410
उत्तर प्रदेश	293

स्रोत : Report of National Commission on Macroeconomics and Health, GOI.

Damaged Roads

480. **Shri Devender Kumar Bansal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the roads constructed by HUDA in Sector-20 and in Mansa Devi, near Swastik Vihar Complex and the road from Sec-12A Industrial Area which leads to Chandigarh have been got damaged in six months; if so, whether any action will be taken against contractor and the officials of HUDA Department?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान जी,

Sewerage system in Adampur Mandi

510. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- whether the Government is aware of the fact that the sewerage system in Adampur Mandi is in bad condition;
- if so, whether the Government has formulated any scheme to lay down the sewerage system in Adampur Mandi together with the amount allocated for the aforesaid purpose along with the details thereof;
- if not, the reasons thereof; and
- the expenditure incurred for setting up of aforesaid sewerage system in Mandi Adampur during the last 8 years?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

- नहीं श्रीमान जी, आदमपुर मण्डी में सीवरेज सिस्टम सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।
- कोई योजना तैयार नहीं की गई और न ही कोई राशि आबंटित की गई क्योंकि यह आवश्यक नहीं है।
- लागू नहीं।
- क्षतिग्रस्त सीवर को प्रतिस्थापन करने के लिए 30.51 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

Beneficiaries of Drinking Water

432. Shri Sampat Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- the number of households which are beneficiaries of drinking water supplied by Public Health Engineering Department in rural areas of Haryana together with the number of such households which are having sanctioned drinking water connections;
- the total amount of arrears of drinking water connections which are pending against consumers in Haryana, in urban and rural areas separately;
- the number of drinking water connections provided free of cost to the households of scheduled castes under the Indira Gandhi Drinking Water Scheme in rural and urban areas in Haryana; and

- (d) the total number of houses in rural areas of the State which are using drinking water from the taps without stop caps?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

- (क) हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति के लाभानुभोगी परिवारों की संख्या 2651330 है तथा 938955 परिवारों के पास स्वीकृत पेयजल कनेक्शन हैं।
- (ख) हरियाणा में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक उपभोक्ताओं के विरुद्ध पेयजल के कनेक्शनों की राशि का बकाया निम्नानुसार है :
- | | |
|-----------------|-------------------|
| शहरी क्षेत्र | 4640.27 लाख रुपये |
| ग्रामीण क्षेत्र | 2820.67 लाख रुपये |
- (ग) हरियाणा में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के परिवारों को मुफ्त उपलब्ध करवाए गए पेयजल कनेक्शनों की संख्या निम्नलिखित है :
- | | |
|-----------------|------------------|
| शहरी क्षेत्र | 1,55,134 कनेक्शन |
| ग्रामीण क्षेत्र | 8,53,369 कनेक्शन |
- (घ) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,45,208 घर ऐसे हैं जो बिना रोक टॉपी (स्टोप कैप्स) के नलों से पेयजल का प्रयोग कर रहे हैं।

Facility of Streets

481. Shri Devender Kumar Bansal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide facilities of streets and Sulab Sochayla in Rajeev Colony and Indira Colony?

मुख्यमंत्री (श्री मूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान। फिर भी राजीव कालोनी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये धन से सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा निर्मित दो सुलभ शौचालय (शौचालय) कार्यरत हैं।

To Narrow Gender Gap

433. Shri Sampat Singh : Will the Health Minister be pleased to state—

- (a) the steps taken by Health department to narrow the gender gap specially in the Districts of Narnaul and Rewari which is 800-1000, Sonapat and Jhajjar 800-830, Panipat and Rohtak 830-850 etc; and

[Shri Sampat Singh]

(b) the action taken under PNDT Act regarding sealing of machines and cancellation of licenses?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) महोदय, इस संबंध में उत्तर अनुबंध - क पर है।

(ख) महोदय, इस संबंध में उत्तर अनुबंध - ख पर है।

अनुबंध - क

(क) लिंग अंतर को संकीर्ण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गए उपाय निम्नलिखित हैं :-

1. पंजीकृत और अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की मैपिंग सभी जिलों में की जा रही है और अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के खिलाफ पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत उचित कार्यवाही की जा रही है।
2. पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत शिकायतों के पंजीकरण के लिए टोल फ्री नं. 102 माह अप्रैल, 2013 से शुरू किया गया है।
3. सभी जिलों में गर्भवती महिलाओं के पते को सत्यापित करने के लिए गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने के समय उनका निवास आई.डी. प्रूफ का प्रयोग किया जाता है सिर्फ कुछ आपातकालीन मामलों को छोड़कर।
4. जिला समुचित प्राधिकारी, जिला नोडल अधिकारी और राज्य कानूनी सेवा के अधिकारियों (पंचकूला जोन) को पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधान के कार्यान्वयन के बारे में शिक्षित करने के लिए पंचकूला में 27/04/2013 को राज्य स्तरीय सर्वेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. 2012-13 में अवैध गतिविधियों के मुखबिर को प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक जिलों अम्बाला, फतेहाबाद, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में 20000/- रुपये की राशि दी गई।
6. टी.वी., रेडियो जिंगल, विज्ञापन, रैलियों, कार्यशालाओं, सैमीनारों, दीवार पेंटिंग, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं, केबल स्ट्रिप्स, टी.वी. पर वृत्तचित्र 'बेटी की विदाई' आदि के माध्यम से राज्य में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।
7. वर्ष 2012-13 में लिंग अनुपात में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में दो बेहतरीन गांवों को 1 लाख व 25000/- रुपये का पुरस्कार और जिला फतेहाबाद में गांव मेहुवाला को 5 लाख रुपयों का राज्य पुरस्कार दिया गया है।
8. उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी जिलों में जिला टस्क फोर्स की बैठकों का

आयोजन किया जा रहा है जिसमें लिंग अनुपात में सुधार लाने और पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत अदालतों में दर्ज मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए रणनीति बनाई जाती है।

9. अब तक जुलाई, 2013 तक अदालतों में 93 मामले पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट एवं 25 मामले एम.टी.पी. एक्ट के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 में 20 मामले अदालतों में दर्ज किये गए, जो कि अब तक के किसी भी वर्ष में सबसे ज्यादा थे।
10. अब तक 32 अभियुक्तों को पी.सी. और पी.एन.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत दोषी करार दिया गया है, जिनमें से दो अभियुक्तों को अगस्त, 2013 में दोषी करार किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रैल 2012 से जून 2013 तक लिंग अन्तर को संकीर्ण करने के लिए जिला नारनौल, रिवाड़ी, सोनीपत, झज्जर, पानीपत और रोहतक में की गई कार्यवाही इस प्रकार है :-

क्र.सं.	कार्यवाही	नारनौल	रिवाड़ी	सोनीपत	झज्जर	पानीपत	रोहतक
1.	निरीक्षण	107	224	119	214	70	131
2.	जिला सलाहकार समिति	8	6	7	8	8	9
3.	अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील/जब्त	0	0	1	0	0	0
4.	केन्द्रों का पंजीकरण निलंबन/स्थगित	2	5	5	0	2	1
5.	छापे	1	2	1	0	0	0
6.	पी.एन.डी.टी. कोर्ट केस	1 जुलाई 2013	3	2	0	0	0
	एम.टी.पी. कोर्ट केस	0	0	0	0	0	1
	प्रथम सूचना रिपोर्ट एम.टी.पी. के तहत	0	2	0	0	0	0
7.	मुखवीर के लिए प्रोत्साहन	0	0	20000 रुपये	0	0	0
8.	सबसे अच्छा गांव पुरुस्कार						
	रुपये 1 लाख	पथेरा	गोहरा	लाथ	कनौदा	नूरवाल	मकरीली
	रुपये 25000	धनौदा	झारंडा	बरोदा	सिवाना	खोतपुरा	मौखरा
9.	जिला टास्क फोर्स की बैठकें	2	1	1	0	1	0

[राव नरेन्द्र सिंह]

अनुबंध - ख

(ख) पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत लाइसेंस रद्द करने एवं सील करने की कार्यवाही निम्नलिखित है --

हरियाणा राज्य में पी.सी. और पी.एन.डी.टी. के तहत माह जुलाई, 2013 तक 231 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील और 400 पंजीकृत केन्द्रों के लाइसेंस रद्द किये जा चुके हैं।

सी.डी. घोटाले संबंधी स्पष्टीकरण

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, इनेलो नेता माननीय साथी विधायक अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा मेरे खिलाफ साजिश के तहत एक सी.डी. रिलीज की गई है। मैं उसके बारे में हाउस के सामने, हरियाणा के लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूँ। जीवन एक संघर्ष है और इसमें व्यक्ति को अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कई बार व्यक्ति को दूसरे से कुछ जलन, दुर्भावना होती है उसी के तहत इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठा षड्यंत्र, एक झूठी सी.डी. बनाकर प्रैस में रिलीज की है। इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई, मेरे परिवार को बड़ा दुःख हुआ, मेरे बच्चे के लोगों को बड़ा दुःख हुआ और खास कर दलित समाज को जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ उनको दुःख हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे दादा, मेरे पिता जी और हमारी मेहनत, लगन और ईमानदारी से मैं यहां तक आया हूँ। लोगों के आशीर्वाद से मैं यहां आया हूँ। स्पीकर सर, एक कहावत भी है कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।" भ्रष्टाचार, लूट व खसोट से लिप्त विपक्ष के इन लोगों का नाम लेने में भी मुझे नफरत महसूस होती है लेकिन मजबूरन मुझे इन नेताओं के नाम इस सदन में लेने पड़ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के शासनकाल में इसके परिवार ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को लूटकर, ट्रस्टों के माध्यम से, चंदे में मिले पैसे के द्वारा तथा गांव के लोगों से प्राप्त पैसों की मालाओं के द्वारा हजारों-हजार करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई। फर्जीवाड़े करके ज्यादा सम्पत्ति इकट्ठा करने के कारण ही आज ओम प्रकाश चौटाला, उसका लूटेरा बेटा अजय सिंह चौटाला तथा उसके नजदीकी साथियों को 17 साल की कैद हो गई है और आज ये लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कभी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और आज विपक्ष का नेता है। स्पीकर सर, इन लोगों की 3-4 पीढ़ियों ने इस देश और प्रदेश में झूठ और लूट-खसोट के बल पर बहुत लंबी राजनीति की है। ये लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं लेकिन आज इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। आज ये कहते फिरते हैं कि इनके खिलाफ जो इन्क्वियरी की गई है वह बिल्कुल गलत है और इनके खिलाफ फर्जीवाड़ा किया गया है। अरे भई, अगर इन्क्वियरी गलत है तो आप कोर्ट में जाकर अपनी बात कहें? आज तो कोर्ट ने ही इनको 17 साल की कैद कर दी है। आज ओमप्रकाश चौटाला अस्पताल में भर्ती है और हर रोज कोई न कोई

बहाना बनाते हैं। कभी कहते हैं कि मेरी टांग खराब है, कभी कहते हैं कि मेरा हार्ट फेल है, कभी कहते हैं कि मेरा शरीर खराब है। जब इस प्रदेश को लूट रहे थे तब यह सब चीजें कहां थीं? अब जब सजा हुई है तो बहाने बनाते हैं। कोर्ट का फैसला तो हर हालत में मानना ही मानना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने ईमानदारी व मेहनत करके आज यह मुकाम पाया है। मुझे लोगों ने तीन बार विधायक चुना है। हरियाणा के इतिहास में बहुत कम ही ऐसे विधायक हुए हैं जो लगातार तीन बार विधायक बनकर इस महान सदन में आये हैं। इस परिवार की मेरे से जलन है क्योंकि मैं एक दलित परिवार से संबंध रखता हूँ। मैं ही नहीं मेरे से पहले जिन हरिजन व बैकवर्ड क्लास के लोगों ने राजनीति में ऊपर आने की कोशिश की उनके खिलाफ इस परिवार के लोगों ने जुल्म और ज्यादती करके उन्हें दबाने की कोशिश की है। चाहे श्री कृपा राम जी पुनिया हों, चाहे तपासे जी हों (जो उस समय मौजूदा गवर्नर थे) चाहे जय नारायण खुंडिया हों, चाहे जय नारायण वर्मा जी हों या चाहे और कोई दूसरा दलित व बैकवर्ड समाज से संबंध रखने वाला नेता हो, इन्होंने कोशिश की है कि गरीब व दलित समुदाय का नेतृत्व करने वाले हर नेता को दबाया जाये। इनके दिमाग में केवल यही बात रहती है कि अगर इन दलित और बैकवर्ड लोगों को नहीं दबाया गया तो यह लोग अपने समाज को शिक्षित करने की तथा समाज में अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करेंगे, इसलिए इन लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे इन दलित व बैकवर्ड लोगों को दबाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा हरिजन व बैकवर्ड का जो गरीब समाज है, दूसरे समाज के लोगों की तरह शिक्षित हैं और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। आज दलित व बैकवर्ड समाज समझ चुका है कि कौन आदमी ठीक है और कौन गलत है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने अभय सिंह चौटाला द्वारा इस हाउस के अन्दर हमारे बाल्मिकी समाज से संबंध रखने वाले श्री जयवीर जी बाल्मिकी को कहा गया था कि तुम बाहर आओ वहां तुम्हें देखेंगे, उनको जातिसूचक गालियां देना इनके बुरे व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। दो दिन पहले तो हाउस में इन्होंने मेरे को ही कहा कि तू बाहर आ जा तेरे को वहां देखेंगे। अरे क्या बाहर आ जा, तुम मेरे को क्या देखोगे? तुम्हारा तो फैसला हो ही गया है। तुम लोगों को 17 साल की सजा हो गई है। तुम्हें तो सारी जिन्दगी के लिए बाहर कर दिया गया है। आज हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। मैं तो इस मौके पर इस बात को साबित करने के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार चौधरी देवी लाल ने कहा था कि पंजाबी और बनियों का वोट का अधिकार छीन लो और हरिजनों को तो वोट का अधिकार देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो कहा करते थे कि ऐसा मुख्यमंत्री ही क्या जिसके डर से कोई आदमी रात को सोते सोते फड़क कर पलंग से न गिर जाए। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो सी.डी. जारी की गई है यह फर्जी सी.डी. जारी की गई है और वह सी.डी. इनके लोगों द्वारा, इनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा बनाई गई है और उससे साबित होता है कि वे चाहते हैं कि गरीब आदमी को, आम आदमी को बदनाम किया जाए, वे सोच रहे हैं कि ये लोग कैसे ऊपर आ रहे हैं इनको ऊपर नहीं आने दो। जैसे मेरे साथी सदस्य श्री जरनैल सिंह हैं उनको भी मेरी तरह यह भी नहीं पता कि सी.एल.यू. किस चीज का

[श्री रामकिशन फौजी]

नाम है उनकी सी.डी. बनाई है। मेरे दूसरे साथी श्री राम निवास घोड़ेला जी जो कुम्हार जाति से संबंध रखते हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बार विधायक बने हैं उनके खिलाफ सी.डी. बनाई है, तीसरे मेरे साथी माई विनोद भ्याना जी जो कि पंजाबी बिरादरी से हैं उनके खिलाफ सी.डी. बनाई है, चौथे साथी श्री नरेश सेलवाल जी हैं जोकि एस.सी. समुदाय से हैं, हरिजन हैं इनको भी नहीं पता कि सी.एल.यू. कहते किसको हैं। मेरे तो बाप दादा ने भी कभी प्रॉपर्टी का काम नहीं किया। एक इन्होंने मेरे साथी श्री जलेब खान के खिलाफ सी.डी. बनाई है वे इतने शरीफ आदमी हैं। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता को इनके कारनामों का पता है। इन्होंने हरिजन, मौमडन, सरदार भाइयों के खिलाफ ऐसा काम किया है इससे साबित होता है कि इनके परिवार की सोच क्या है, इनकी नीतियां क्या हैं, इस बात को सारे हरिजन भाई और गरीब समाज के लोग जानते हैं। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में ये तो पांच करोड़ रुपये की बात करते हैं मैंने कभी पांच रुपये भी लिए हों, यह साबित कर दें तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जिन लोगों को कोर्ट से 17 साल की सजा हुई हो उन्होंने विपक्ष के नेता पद से आज तक इस्तीफा नहीं दिया, आज वो मुझसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के केस भी इनके खिलाफ दर्ज हैं। सी.बी.आई. ने चार्जिज भी फ्रेम कर दिये हैं और ये राम किशन फौजी से इस्तीफा मांगते हैं। इनकी इस सारी की सारी साजिश के बारे में बताने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का 2-3 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने मेरे खिलाफ ये आरोप लगाए तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं बताना चाहूंगा कि अजय सिंह चौटाला को कोर्ट से सजा हुई और वे अब जेल में बंद हैं उन्होंने जब भिवानी लोकसभा का इलैक्शन लड़ा तब मैंने इनकी ठोककर खिलाफत की और इनके खिलाफ लोगों को जागरूक किया, इनको हराने की पूरी कोशिश की और उस कोशिश में हम कामयाब भी हुए। इसके परिणामस्वरूप दूसरे परिसीमन के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र बयानीखेड़ा को हिसार लोकसभा में शामिल कर दिया गया। जब लोकसभा का इलैक्शन आया तो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला ने इनैलो पार्टी से वहां से इलैक्शन लड़ा, उसमें भी हमने हिम्मत करके, कोशिश करके मैंने गांव गांव जाकर के इनकी पार्टी के विरोध में प्रचार किया। हालांकि उस चुनाव में हमारी पार्टी भी चुनाव नहीं जीती, हमें उम्मीद है कि हम अगली बार जीतेंगे, लेकिन इनको धूल चटाई और फिर लोकसभा के इलैक्शन हुए उसके बाद हमारे लोकसभा क्षेत्र से हम पांच विधायक चुनकर आये।

श्री अध्यक्ष : आप उस लोक सभा क्षेत्र से पांच विधायक चुनकर आये हैं।

श्री रामकिशन फौजी : हां जी, हम पांच विधायक उस एरिया से हैं। अध्यक्ष महोदय, एक उनके प्लानिंग बनाने वाले नेता श्री बड़शामी जी जो उनके साथ ही जेल में बंद हैं। अब उनके दूसरे प्लानिंग वाले नेता श्री अशोक अरोड़ा जी जो एक शरीफ आदमी हैं लेकिन चौटाला जी ने ब्यान दे दिया है कि यह तो कैबिनेट का फैसला था और श्री अशोक अरोड़ा जी भी उस समय कैबिनेट के मंत्री थे शायद उनको भी ये अन्दर करवा दें। चौधरी सम्पत सिंह जी जो एक ईमानदार आदमी हैं हम तो पैदा भी नहीं हुए थे ये

तब से राजनीति में है। इन्होंने भी यह समझा कि जुल्म के साथ लड़ाई लड़ेंगे और ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये। आज उनके बेटे का नाम भी लिया गया। भाई जरनैल सिंह जो भाई इलैक्शन में एम.एल.ए. बनकर आये हैं क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पहले वाले विधायक साथी एक्सपायर हो गये थे। जब यह भाई इलैक्शन हुआ तो हमने अपनी पार्टी का प्रचार किया और जनता ने हमारी बात को माना और इनको चुनकर विधानसभा में भेज दिया। चौटाला जी की सरकार में भी श्री जरनैल सिंह जी विधायक थे उस समय तो ये दूध के घोये थे और बहुत ईमानदार आदमी थे लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये तो इनका सी.एल.यू. कराने वालों में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, इससे साबित होता है कि इन लोगों ने झूठ की राजनीति की है। मैं यह कहता हूँ कि यह सब फर्जीवाड़ा सबके सामने आ जायेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस फर्जीवाड़े को जनता के सामने लाना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब चौटाला जी की सरकार थी उस समय मैं और बाबू जी हमारी पार्टी के दो ही विधायक थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस समय हमारे साथ विधायक थे। उस समय चौटाला जी ने हमारी खानक के पहाड़ पर पूरा कब्जा कर लिया था। आज विधान सभा में एक सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ऐसा विधायक है जिससे हमारी संस्कृति मेल नहीं खाती जिसे हमारे प्रदेश के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्योंकि हमारे मां-बाप और बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं कि हम बुराई से बच कर रहें। जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय ये एक कैसीनो के नाम से बिल लेकर आये थे लेकिन हमने उस बिल का डटकर विरोध किया था। हम सभी एम.एल.ए. और माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर महोदय से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इस बिल को बिल्कुल भी पास नहीं करूँगा और उन्होंने उस बिल को वापस भेज दिया। उस बिल के माध्यम से यह हरियाणा में लूट खसौट मचाना चाहते थे। मैं उस बिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारी बहन बेटियां यहां पर बैठी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के बवानीखेड़ा में पीने के पानी की समस्या थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी है। मैंने चौटाला की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जब उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे और मेरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन मैंने भी दावा किया था कि चौटाला साहब आपको मेरे हल्के की सड़कों से टपने नहीं दूंगा। जब मेरा नाम उनकी पार्टी ने सी.डी. में घसीटा है तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। एक कहावत है कि छाज तो बोले बोले छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद हैं। चोर मचाए शोर वाली बात हो रही है। दांगी साहब ने तो भुगतता है जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं और कोई तालुकात नहीं। ये ईमानदार आदमी हैं लेकिन मैं ज्यादा बात न करके एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने तो ईमानदारी से काम किया है। इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है उसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। न मेरी गुड़गांव में कोई दुकान और न कोई प्लाट, न कोई रिश्तेदार, मैं न कभी गुड़गांव गया और गया तो अपने काम से गया और वापस आ गया और मैं वहां न कभी ठहरा। सौ सौ गज के प्लाट देने वाली बात से तालुकात रखने वालों से ऊपर 5-5 करोड़ रुपये की रिश्त का इल्जाम लगा दिया, इससे झूठ बात और क्या हो सकती है इसलिए यह सी.डी. वाली बात नाजायज है और निराधार है। जिस दिन यह सी.डी. जारी की गई उस दिन चौटाला साहब की जमानत रिजैक्ट हो गई।



[श्री रामकिशन फौजी]

पत्रकार हाईलाईट करते हैं चौटाला को जमानत जब्त। वह खबर आती तो इनैलो वाले पार्टी को छोड़-छोड़ कर भाग जाते। उनको पार्टी में रोकने के लिए और यह खबर हाईलाईट न हो इसलिए मेरा फोटो लगा दिया और साथ में सी.डी. भी लगा दी। उस सी.डी. का कोई मतलब नहीं था। मैं दावा कर सकता हूँ और इसमें कोई इन्क्वायरी की बात नहीं है। इन्क्वायरी तो मुख्यमंत्री महोदय और सरकार करेगी। मैं दावा करता हूँ कि मैंने 5 रुपये भी लिए हों और यह बात कोई साबित कर दें तो आज ही मैं रिजाइन् कर दूंगा। इसमें किसी प्रकार की इन्क्वायरी की जरूरत नहीं। यह साजिश थी। हमारे पास कोई भी सीधा आदमी या गरीब आदमी इसलिए आ जाता है क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं जबकि चौटाला परिवार के पास कोई आता है तो तीन बार तलाशी होगी। तू किस काम आया है तू उधर चल। तू किस काम आया है तू उधर चल। तू किस काम आया, तेरी जेब में कुछ है तू इधर चल। तू बैला लेकर आया, तू इधर चल क्योंकि इनका यह सिस्टम था जबकि हम तो आम आदमी हैं। हमारे पास तो कोई रात के 9 बजे भी आ सकता है। (विध्व) अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ये अपने टाइम में सी.एल.यू. कराते थे और पैसा इकट्ठा करते थे वह काम इनका बंद हो गया है जबकि हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो साबित करें। इन्होंने तो जो किया या नहीं किया वह अलग बात है लेकिन मैं एक खुलासा करने जा रहा हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है और मैं समझता हूँ कि ढाई साल पहले 28.4.2011 को मेरी सी.डी. बनाई गई और सौभाग्य से उस दिन मेरा जन्म दिन भी था। उस दिन मैं पैदा हुआ था। मैं उस दिन खुशी मना रहा था और ये लोग साजिश रच रहे थे। मैं बच्चों के साथ और परिवार के साथ खुशी मना रहा था और कार्यकर्ता साथी मुझे मुबारिकबाद दे रहे थे। ढाई साल तक क्या ये सी.डी. को दूध पिला रहे थे या धी खिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मुझे यह बात समझ में नहीं आई। अगर ऐसी कोई बात आती है तो दूसरे ही दिन उसको फारिख करना चाहिए था। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको धाने में ले जाओ। मेरे हाथ में पैसे दिखाएं या कुछ और दिखाएं तब तो बात है इसलिए यह सी.डी. झूठ और आधारहीन है। मुझे जहाँ तक पता लगा है वैसे तो सरकार के पास पता करने के बहुत स्रोत होते हैं और पता कर लेंगे। परमिन्द्र सिंह दुल इनैलो का विधायक, उनके पिता चौधरी दल सिंह थे, उनकी एक बेटी कमला है उसकी शादी गांव धीरनवास के चौधरी शोभाचंद से हुई। सम्पत सिंह जी, यह भाई आपके हल्के नलवा में धीरनवास गांव में रहता है। मैं तो वहां कभी गया नहीं और मुझे पता भी नहीं। उसका बेटा धर्मेन्द्र कुहाड़ सपुत्र शोभा चंद, गांव धीरनवास, जिला हिसार, हल्का नलवा और पार्लियामेंट लोक सभा क्षेत्र हिसार का रहने वाला है। इससे साबित होता है कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इनैलो पार्टी के विधायक ने सी.डी. बनवाई है। इनैलो पार्टी का विधायक परमिन्द्र दुल उसका मामा है। चोर का मामा चोर, चोर का मामा चोर। (हंसी) यह रिश्तेदारी बहुत लम्बी मिलेगी। इसका सम्पर्क केवल दुल से ही नहीं बल्कि अजय सिंह चौटाला का गुर्गा और अभय सिंह चौटाला का दलाल यह सारी साजिश रचने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और सरकार इसकी इन्क्वायरी भी करेगी। इन्क्वायरी होने के बाद सब सच सामने आ जायेगा। अगर इस आदमी की एक कनाल

जमीन भी गुड़गांव में हो, एक कनाल की सी.एल.यू. हो और यह आदमी मेरे पास सी.एल.यू. कराने आया हो तो जो सजा मुख्यमंत्री जी और जनता मुझे देगी वह मंजूर होगी और कानून तो जो देगा वह देगा ही। मैं चाहता हूँ कि इस सी.डी. की ईमानदारी से जांच चाहे लोकायुक्त से, रिटायर्ड जज से या इस सदन की कमेटी से करवा ली जाये। यदि कोई भी यह साबित कर दे कि वे लोग मुझे पांच रुपये भी देकर गये हों तो मैं उसी दिन रिजार्डिन कर दूंगा। केस बाद में चलता रहेगा। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि जब लोग चौटाला सरकार के समय में रात को सोते थे तो लोगों को चौटाला दिखा करता था और अब जब ये लोग रात को जेल में सोते हैं तो इनको राम किशन फौजी दिखाता है। पता नहीं मैंने इनका क्या ले लिया है। मेरा इनसे न जमीन का, न प्लाट का और न ही किसी दूसरी तरह का झगड़ा है। इसका एक कारण केवल यही है कि ये लोग हरिजन, बैकवर्ड और गरीब को देखकर खुश नहीं हैं। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए जो विकास कार्य किए हैं वे इनको सहन नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहता हूँ कि मैं चौथी बार भी जीतकर आऊंगा। मैं हरिजन का लड़का हूँ और रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता हूँ। मुख्यमंत्री जी मुझे अलाऊ कर दें मैं इनके यहां से चुनाव लड़ूंगा और जीतकर आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि चाहे किसी भी तरह की इन्क्वायरी करवाई जाये मैं तैयार हूँ। यह जो सी.डी. का प्रकरण है यह निराधार है, आधारहीन है। यह बिल्कुल झूठ है। अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. वाले साथी भी सी.डी. की बात कर रहे थे इनकी तो बहुत सारी सी.डी. बनी हुई हैं। इनकी सी.डी. का तो पर्दा-फाश हो चुका है और इनके नेता पैसे लेते हुए पकड़े गये थे। ये लोग तो चौटाला सरकार में पार्टनर थे। ये चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। एक वो बहन जी जो नई जीतकर आई हैं उनको मैं क्या कहूँ, उसका जो ससुर था उसके बारे में भी मैं क्या कहूँ। सी.डी. इनकी बना करती थी, हमारी झूठी सी.डी. पता नहीं कहां से बना दी। यह बात मेरी तो समझ में नहीं आई। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सेलवाल जी, आप क्या कहना चाहते हो?

श्री नरेश सेलवाल : अध्यक्ष महोदय, सी.डी. काण्ड में मेरा भी नाम जुड़ा है इसलिए मैं भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जैसा माननीय साथी श्री राम किशन फौजी जी ने अभी सी.डी. प्रकरण के बारे में बताया कि जो इनलो पार्टी की तरफ से स्टिंग आपरेशन किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि षडयंत्र करके कोई भी व्यक्ति खुफिया कैमरा लगाकर जब हम कहीं जन सभा या किसी मीटिंग में बैठे थे वहां वह आदमी हम से मिला और वहां बैठे हुए की तस्वीर ले ली। जिसके अंदर कोई भी शब्द हमने अपने मुंह से नहीं कहा उन्होंने डबिंग कर रखी है। यह झूठी सी.डी. है जिसकी जांच होगी तो सच सामने आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो इनलो की सरकार है इन्होंने हमेशा दलितों का उत्पीड़न किया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) जैसा कि मेरे माननीय साथी श्री राम किशन फौजी जी ने भी बताया कि हरियाणा में इनलो पार्टी की सरकार के समय में दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे आप गांव रसौला, जिला कैथल के काण्ड को देख लीजिए और चाहे गुणहा के काण्ड को देख लीजिए।

[श्री नरेश सेलवाल]

गुणहा गांव के लोग मेरे पड़ोस के हल्के बरवाला के देवी गढ़ गांव में जाकर बसे जिनको चौटाला सरकार ने उजाड़ा था। इसी प्रकार से रसौला गांव के लोग भी अपने गांव को छोड़कर कैथल में बसे हैं। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के साथियों ने हमेशा ही दलितों का उत्पीड़न किया है। मेरे जैसे युवा नेता को राजनीति में आगे बढ़ता हुआ देखकर इन्होंने मुझ पर भी डोर डाले और जब वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने मेरे खिलाफ षडयंत्र रचकर मुझे बदनाम करने की धिनौनी हरकत की है। मेरा विधान सभा क्षेत्र उकलाना हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विधान सभा चुनावों के दौरान इनैलो पार्टी उकलाना की सीट को नम्बर एक पर काउंट करती थी और इसके नेता यह कहा करते थे कि हरियाणा में इनैलो पार्टी कोई सीट जीते या न जीते लेकिन उकलाना की सीट हर हालत में जीतेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी इस नम्बर एक की सीट को उनकी झोली से छीना है। इस बात का इस पूरी पार्टी को आज बड़ा दुःख है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने सी.डी. प्रकरण में मेरा नाम उछालकर मुझसे उस रंजिश का बदला लिया है। जैसे अभी हिसार लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें श्री अजय चौटाला इनैलो पार्टी के उम्मीदवार थे। हमने उनको इस उपचुनाव में इतनी करारी भात दी थी कि वे दोबारा कभी भी हिसार लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। इसी रंजिश का यह परिणाम है कि हिसार लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंदर जितने भी विधान सभा क्षेत्र आते हैं उन सभी विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों के खिलाफ इनैलो पार्टी ने यह षडयंत्र रचा है। चाहे आप श्री राम किशन फौजी जी को ले लीजिए पहले इन्होंने भिवानी लोकसभा क्षेत्र में श्री अजय चौटाला को 2-3 बार हरवाया और अब जब इनका विधान सभा क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र में आ गया है तो इन्होंने उनको यहां पर भी हरवाया है। इसी प्रकार से आज हमारा विधान सभा क्षेत्र भी उसी हिसार लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर आता है। ऐसे ही श्री राम निवास घोड़ेला जी जो कुम्हार समाज के एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उनके खिलाफ भी एक सोची समझी रणनीति के तहत षडयंत्र रचा गया ताकि एक बैकवर्ड समाज का साथी राजनीति में आगे न बढ़ पाये। इसके साथ ही हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो उनको चैयरमैन पद पर बिठाया यह बात भी इनैलो पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें इनको कभी भी हजम नहीं होती कि गरीब और पिछड़े वर्ग का कोई साथी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी प्रकार से प्रो. सम्पत सिंह जी को देख लीजिए। इस सी.डी. प्रकरण में उनके बेटे का भी नाम आया है। प्रो. सम्पत सिंह जी पहले उनकी पार्टी में थे इसलिये ये उनके सारे काले कारनामों के बारे में जानते थे जिनका उन्होंने विधान सभा के पटल पर समय-समय पर पर्दाफाश किया है। इसलिए इनसे भी इनकी जाति दुश्मनी है इस कारण उनके ऊपर भी इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से वार करने की कोशिश की है। सर, जो लोग षडयंत्रकारी होते हैं वे हर किसी के ऊपर षडयंत्र रचते रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितना इन लोगों ने दलितों का उत्पीड़न किया है उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। इसी प्रकार से हमारे पंजाबी समाज की बात है। श्री विनोद म्याणा जी पंजाबी समाज से संबंध रखते

हैं। जब श्री चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय यह कहा जाता था कि बनियों और पंजाबियों को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए और न ही इनको वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए बल्कि इनको तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। वही लोग आज हमारे पंजाबी साथियों पर वार कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं श्री जलेब खान जी के बारे में कहना चाहूंगा जो कि मुस्लिम सम्प्रदाय से संबंध रखते हैं। इनकी हमेशा से यही नीति रही है और यही कोशिश रही है कि चाहे कोई व्यक्ति मुस्लिम सम्प्रदाय से संबंध रखता हो, चाहे कोई पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो या फिर दलित समाज से संबंध रखता हो इन सबको दबाया जाये। सर, मैं आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपको दिलचस्प भी लगेगी जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई श्री राम किशन फौजी जी ने कहा कि सेलवाल जी को तो सी.एल.यू. के बारे में ही पता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने यह बिल्कुल सही कहा है क्योंकि मुझे सी.एल.यू. के बारे में वास्तव में ही नहीं पता है। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैंने आज तक न तो सी.एल.यू. को देखा है और न ही करवाया ही है। इसलिए मुझे नहीं पता कि सी.एल.यू. वास्तव में क्या होता है? इसके बावजूद भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब इनैलो पार्टी की सरकार थी उस समय सी.एल.यू. का वास्तव में क्या मतलब था? उस समय सी.एल.यू. का मतलब यह था कि जहां पर भी चाहे किसी ट्रस्ट की जमीन हो, किसी पंचायत की जमीन हो, या फिर वक्फ बोर्ड की ही जमीन हो उनका सी.एल.यू. होगा यानि चौटाला लैंड यूज अर्थात् उस जमीन को चौटाला जी यूज करेंगे। यह उस समय सी.एल.यू. का मतलब था अर्थात् उस समय सी.एल.यू. का वास्तविक अर्थ यही होता था। ऐसी उन लोगों की नीति थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी सी.डी. इन्होंने झूठ का पुलिन्दा बांध कर मीडिया के माध्यम से दिखा कर हमारे ऊपर स्लेम लगाया है अगर उस बारे में कहीं पर भी किसी से किसी भी काम के लिए अगर 1 रुपये के लेनदेन की बात सिद्ध हो जाये तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करते। विपक्षी पार्टी षडयंत्र रचकर सत्ता में आने के लिए इस प्रकार का फरेब कर रही है। हमने और हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनके काले कारनामों को और उनकी नीतियों को देखा है। उनकी नीतियों को देखते हुए ही हरियाणा प्रदेश की जनता ने यह फैसला लिया कि इनैलो पार्टी को कभी भी सत्ता में नहीं आने देना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने आखिरी प्वाइंट पर आता हूँ। आप उस सी.डी. की जांच जिस भी एजेंसी से करवाना चाहते हैं, चाहे आप लोकायुक्त से करवा लें, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या किसी रिटायर्ड जज से करवा लें या विधान सभा की कमेटी से रकवा लें, हम उसके लिए हर समय तैयार हैं। अगर उसमें कहीं भी यह बात साबित हो जाये कि 1 रुपये का लेनदेन सी.एल.यू. के नाम पर हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि चौटाला लैंड यूज में कितने पैसे सी.एल.यू. के नाम पर लिये जाते थे। इस बात के हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस सी.डी. की जांच जिस भी एजेंसी से करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरदार जरनैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा जो सीडी मीडिया में पेश की गई है उसमें मेरा नाम भी उन्होंने जोड़ रखा है। सर, सन् 2000 से 2005 तक उनकी सरकार थी और मैं भी उस समय उनके साथ विधायक था। उनकी दलित विरोधी, गरीब विरोधी और किसान विरोधी नीतियों को देख कर मैंने उनका साथ छोड़ दिया। 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से मुझे रतिया से टिकट मिली और इलैक्शन में मैंने जीत दर्ज की। जो सीट 30 साल से उनके कब्जे में थी और कभी कांग्रेस उन सीट पर जीत नहीं सकी थी मैंने वही सीट माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनसे छीन ली। इसी बात का इन लोगों को बुरा लगा। आज मेरी उसी ईमानदारी को देखते हुए इनैलो के बहुत से लोग आज कांग्रेसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सब बातों को देख कर इन लोगों ने मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग कम्बोज विरोधी भी हैं तथा इन्होंने कम्बोजों के डेरे पर कब्जा कर लिया था। उस समय मैं इनके साथ विधायक था। हमारा कम्बोज बिरादरी का संघर्ष स्थल है जिसकी सैंकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा ली थी और हमारे कम्बोज बिरादरी के भाइयों पर जुर्म किये थे। ये सिख विरोधी भी रहे हैं तथा मैं भी एक गरीब सिख परिवार से सम्बन्ध रखता हूँ। सर, मैं आज हाऊस के अन्दर यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सिवाय मेरे घर के और कोई प्रोपर्टी नहीं है। लोकदल के नेताओं ने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। ये सिख विरोधी हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सिक्खों के साथ बहुत अत्याचार किये हैं। सैक्टर-9 चण्डीगढ़ में हमारा एक गुरुद्वारा था जहाँ गुरुग्रंथ साहिब रखा हुआ था। जहाँ हर रोज पाठ चलता था। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने वहाँ से गुरुग्रंथ साहिब को उठाकर फेंक दिया था। इन्होंने सिक्खों के साथ अत्याचार किए। आज वहाँ पर अभय सिंह चौटाला की कोठी है। आज मैं हाऊस के अन्दर इसकी मांग भी करता हूँ कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इनकी जांच करके इनके खिलाफ कार्यवाही करवाई जाए। इन्होंने हमारे सिक्ख भाइयों के मुंह के अन्दर पेशाब तक डाला है। इन्होंने हमारी जनता के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, ये हमारे दलित भाई, बैकवर्ड बिरादरी, मुस्लिम, सिक्ख और हरिजनों के विरोधी हैं। ये लोग आज इस तरह का षडयंत्र करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब लोकदल पार्टी राज को हासिल करने का सपना लेना छोड़ दें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के गरीब, दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। इन्होंने सिक्खों पर जो अत्याचार किये हैं और गुरुग्रंथ साहिब का अपमान किया है आज ये उसी की सजा 17 साल की जेल काट रहे हैं। क्योंकि इन्होंने गुरुग्रंथ साहिब के साथ अभद्र व्यवहार किया था। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर सर, मेरे साथी रामकिशन फौजी और नरेश सेलवाल जी ने जो बातें रखी हैं मैं भी उनके साथ अपनी बात को जोड़ते हुए अपना पक्ष रखता हूँ कि इस मामले की जिस तरीके से भी इन्कवायरी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ यह मेरे रतिया हल्के की जनता जानती है। रतिया हल्के से कोई भी आदमी ये कह दे कि जरनैल सिंह ने एक भी पैसा खाया है तो मैं राजनीति से सदा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर सर, मेरे साथियों ने जो भी बात रखी है मैं उससे सहमत हूँ। हमारी इन्कवायरी कराई जाए अगर

इसमें कोई कमी पाई गई तो हम सजा पाने के लिये तैयार हैं। अगर इनकी बात झूठी निकलती है तो इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री जलेश खां : स्पीकर सर, ये लोग मुस्लिम और दलित लोगों के विरोधी हैं। ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। पहले भी चौटाला जी ने कहा था कि जलेश खां के पास दिल्ली में 100 करोड़ रुपये की कोठी है। मैंने कहा था चौटाला जी आप मुझे 5 करोड़ रुपये दे दें और कोठी ले लें। मैंने यह भी कहा था कि अगर चौटाला जी दिल्ली में मेरी 100 करोड़ रुपये की कोठी साबित कर दें तो मैं संन्यास ले लूंगा। अगर साबित नहीं कर पाए तो चौटाला जी संन्यास ले लें। सर, ये बेशर्म और झूठे लोग हैं। मेरा अल्ला और मेरे हल्के के लोग मुझे अच्छी प्रकार से जानते हैं। सरकार चाहे जिस प्रकार से मेरी इन्कवायरी कराए मैं तैयार हूँ। सर, ये लोग मेरी लोकप्रियता से परेशान हैं। (विष्णु)

श्री रामनिवास घोड़ेला : अध्यक्ष महोदय, जो सी.डी. का मामला है उसमें इन्होंने मेरा भी नाम शामिल किया है इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे विपक्ष के लोग छोटी, ओछी और बचकानी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। ये लोग किसी ऊंचे पद पर गरीब समाज से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को देखना पसन्द नहीं करते हैं। यदि कोई दलित व पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति विधायक बन जाता है या किसी सरकारी ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है तो वह इन लोगों की आंखों में खटकने लगता है। शोषित समाज से निकलकर आये लोगों के खिलाफ विपक्ष के ये लोग छोटे तथा ओछे हथकंडे अपनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। वास्तव में आज यह भी एक सच्चाई है कि इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने के सिवाय इन विपक्ष के लोगों के पास कोई काम बचा ही नहीं है। इन लोगों द्वारा एक फर्जी मामले पर सी.डी. जारी करके सदन में फिजूल का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। सी.डी. में जो कुछ दिखाया गया है उसे केवल तोड़-मरोड़कर ही प्रदर्शित किया गया है। इस सी.डी. में दिखाई गई बातों का वास्तविकता से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। विपक्ष के लोगों को पता है कि वर्ष 2014 एक चुनावी वर्ष होगा। ये लोग इस तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने केवल किसी विशेष क्षेत्र का ही नहीं बल्कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास कार्य करवाये हैं। जिस भी विधायक ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी काम रखा है, इन्होंने बिना समय गवायें उन कामों को अमलीजामा पहनाया है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के शासन काल में पूरा हरियाणा प्रदेश विकास के रास्ते पर निरंतर अग्रसर होता जा रहा है उससे एक बात तो साफ झलकती है कि वर्ष 2014 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा शेष नहीं रहेगा जिसके बल पर ये लोग जनता में जाकर सरकार की निंदा कर सकेंगे या फिर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने यह काम नहीं किया या चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने यह काम नहीं किया। विपक्ष के छह साल के शासनकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के शासन काल में निरंतर विकास की धारा बह रही है। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की बदौलत ही मेरे जैसा गरीब समाज से संबंध रखने वाला

[श्री रामनिवास घोड़ेला]

युवा विधायक बनकर इस सदन में आ सका है। इन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत से मैं इस विधान सभा का दरवाजा देखने में कामयाब हो सका हूँ। मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और ख्याति ने विपक्ष के अन्दर एक बैचैनी तथा तकलीफ पैदा कर दी है। विपक्ष के लोग सोचने को मजबूर हो गये हैं कि आखिर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता कैसे बन गये हैं। मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने के लिए ये लोग नित नये स्वांग रच रहे हैं। इसी तरह दलित, पिछड़े व बैकवर्ड क्लासिज से संबंधित उन लोगों को जो आज राजनीति में अहम स्थान बना चुके हैं जिनमें श्री रामकिशन फौजी जी, श्री नरेश सेलवाल जी, सरदार जरनैल सिंह जी, बैकवर्ड क्लास से संबंधित जलेब खान जी हैं और कुम्हार जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति यानि खुद मुझे भी सी.डी. में दिखाकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 20-25 साल पहले जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब श्री परमानन्द जी इनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मंत्री होने के नाते उनको गाड़ी मिली हुई थी जिसको इन लोगों ने छीन लिया था महज इसलिए क्योंकि वह एक दलित परिवार से संबंध रखते थे। इन लोगों ने दलित और गरीब समाज का सदा ही अपमान किया है। वास्तव में ये लोग इस सदन में अपने परिवार के सिवाय और किसी को एम.एल.ए. के रूप में देखना ही नहीं चाहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला तो यह सोचते हैं कि उसके 90 लड़के हों और केवल वही विधान सभा का चुनाव लड़े और एम.एल.ए. बनकर इस सदन में आयें। स्पीकर सर, मैं एक आम परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने पार्टी के लिए काम किया जिससे खुश होकर मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से सिफारिश करके मुझे टिकट दिलाई और फिर जनता ने मुझे चुनकर यहां इस सदन में भेजा है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के वे सदस्य जो अपने आपको कहते तो है हिसार डिस्ट्रिक्ट का लेकिन आज तक इन लोगों ने हिसार जिले में सब डिवीजन लैवल तक पर भी काम नहीं करवाया है और किसी कॉलेज तक की नींव भी नहीं रखी है। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से हिसार जिले के बरवाला हल्के में काम करवाने की डिमांड रखी तो मुख्यमंत्री महोदय ने तुरन्त उन डिमांड्स को पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के के अन्दर विकास की आंधी चला दी है। हम जन नेता हैं और हम 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग जनता के बीच में बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उन बातों को सी.डी. में उतार कर गलत ढंग से पेश करके बदनाम करने की विपक्ष के लोगों की साजिश से उनकी संकीर्ण मानसिकता का ही अहसास होता है। विपक्ष के ये लोग तो 100 रुपये की माला भी नहीं छोड़ते थे। इस तरह के वाक्या तो मैंने खुद भी देखे हैं। जब मैं विधायक नहीं होता था एक आम नागरिक था तो इन लोगों के भाषण सुनने चला जाया करता था। ओम प्रकाश चौटाला तथा इनके बेटे अजय सिंह चौटाला 100 रुपये की माला को भी झपट लिया करते थे। इन लोगों के इस तरह के कुकृत्य के तो कितने ही साक्ष्य मिल सकते हैं जिनकी सी.डी. भी बनाई जा सकती है। मैं आज इस सदन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे आप किसी भी एजेंसी से इन्क्वायरी करवा लें और इन्क्वायरी करने के बाद अगर यह सिद्ध हो जाये कि मैंने किसी से एक रुपया भी लिया है और मैं दोषी हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए

मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो षडयंत्र इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने श्री रामकिशन फौजी जी, श्री नरेश सेलवाल जी, श्री रामनिवास घोड़ेला जी तथा चौधरी जलेब खान जी के विरुद्ध रचा है उसे देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है। आज यह बड़ी घिंता का विषय है। विपक्ष के लोगों ने राजनीति को इस तरह से बदनाम कर दिया है कि आम आदमी का राजनीतिक लोगों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। जनता हमें चुनकर इस महान सदन में भेजती है लेकिन जिस तरह के षडयंत्र आज रचे जा रहे हैं इन षडयंत्रों के राजनीति में दूरगामी व घातक परिणाम होंगे। जनता हमें चुनकर भेजती है और ये हमारे विधायकों के खिलाफ इस तरह के षडयंत्र रचते रहे हैं जो राजनीति के लिए घातक हैं इन्होंने जो गलत काम किए होंगे उन गलत कामों का ये परिणाम भोग रहे हैं। आज दलित समाज, पिछड़े समाज के ज्यादातर साथियों के ऊपर झूठी सी.डी. बनाकर के एक षडयंत्र रचा गया है। दलित समाज के लोग पता नहीं किन-किन कसौटियों से और किन-किन परिस्थितियों से निकलकर यहां आए हैं। इनके मां बाप ने मजदूरी तक की है और मजदूरी करके देश के लिए काम किया है क्योंकि देश के निर्माण में मजदूरों की गिनती भी होती है जो देश को आगे बढ़ाते हैं। दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ जिस तरह का इनका रवैया इनके शासनकाल में और अब तक रहा है उसकी वजह से इनका सब कुछ छिन गया है, यह सब इनकी गलत सोच के कारण हुआ है और आज ये गलत हथकंडे अपना कर राजनीति में आना चाहते हैं और कुर्सी छीनना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता इनकी इस बात को स्वीकार करेगी? जैसा कि नरेश सेलवाल जी, राम किशन फौजी और जलेब खान जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और इस सदन में यह बात रखी है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कमी पाई गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जिस तरह की इन्होंने हमारे विधायकों के खिलाफ सी.डी. प्रस्तुत की है इनके खिलाफ इंचायरी के लिए तो बोल ही दिया है मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएं क्योंकि इन्होंने सफेद कपड़े पहनने वालों को दुख और दर्द दिया है। जब आम जनता दुख और दर्द से कराह रही होती है तो उस समय किसके पास जाती है सबसे पहले किसी अधिकारी के पास जाती है, किसी व्यापारी के पास जाती है जब कहीं से मदद नहीं मिलती तो वह पॉलिटिकल आदमी के पास आता है और हमारे पास आना अपना अधिकार समझता है और वह उसका अधिकार है भी। आज हम चुने हुए लोगों के ऊपर ये इस तरह के षडयंत्र रच रहे हैं यह इनका राजनीति को गंदा करने का प्रयास है। इनके नेता आज इनकी इन्हीं नीतियों के कारण कहां है मैं इस बारे में चर्चा न करूँ तो अच्छा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि राजनीति में गिरावट लाने का काम किया गया है। राजनीति में गिरावट हर किसी के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, प्रदेश के लिए खतरनाक है। आज एक आदमी अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर राजनीति में सेवा की भावना लेकर के आता है, वो जनता की सेवा करता है, वह एक गरीब बस्ती में जाता है, कुष्ठ आश्रम में जाता है जहां कोई भी नहीं जा सकता। उन लोगों की मदद करता है, क्यों करता है क्योंकि उसने सेवा का माध्यम बनाया है। आज जो लोग सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, सेवा का सपना लेकर के आए हैं उन सपनों को ये लोग चूर-चूर करना चाहते हैं। जितने भी विधायक हैं उनमें से ज्यादातर एस.सी. और बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं। सिवाय प्रो. सम्पत सिंह जी के क्योंकि उनसे उनकी पर्सनल खुदक है।

प्रो. संपत सिंह : अब तो हम भी ओ.बी.सी. में आ गए हैं।

श्री राज पाल भूखड़ी : जिस तरह से इन्होंने प्रदेश को लूटा था जिस तरह से प्रदेश का कोई भी कोना था उसमें से इन्होंने जहां कहीं से भी हाथ लग सकता था वहां से इन्होंने खींच लिया था। जब तक इनके पास हर रोज रात तक करोड़ों रुपये घर में नहीं आ जाते थे तब तक ये लोग सोते नहीं थे। इन लोगों ने आज जो दलित समाज के लोगों पर प्रहार किया है उसके लिए मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, एस.सी. समुदाय से अपील करता हूं कि वे आने वाले समय में इनको मजा चखा देंगे और इनको इस बात का जवाब देंगे। ये लोग बड़ी गरीबी और कठिनाइयों के रास्ते को पार करके यहां आए हैं। उनके ऊपर ये लोग गलत आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी विधायक चौधरी राम किशन फौजी जो तीन बार विधायक रह चुके हैं। अगर कोई ईमानदार और शरीफ आदमी होता है और उसमें कोई क्वालिटी होती है तभी जनता उसको बार-बार चुनकर भेजती है। वरना एक बार चुनने के बाद दोबारा ऐसे आदमी को जनता ही नहीं चुनती। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के इनैलो के सदस्यों ने हमारे विधायकों के खिलाफ यह जो षडयंत्र रचा है यह बहुत ही शोचनीय विषय और गम्भीर विषय है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो एक बहती नदी है उसको गन्दा करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसमें वे लोग आते हैं जो ईमानदार और सही नीयत रखने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा इतिहास रहा है। इनका इतिहास क्या है वह सब जानते हैं। इनकी सरकार वर्ष 1999 से लेकर 2005 तक रही। इनकी सरकार के समय कोई झगड़ा होता था तो ये लोग एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं होने देते थे। उस समय हरसौला काण्ड हुआ कई जगह आदमियों को जिन्दा जलाया गया। राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर अगर इनके राज में ऐसे कांडों की गिनती की जाए तो इनका जुल्माना प्रकरण सामने आ जाए। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि चौटाला परिवार की सोच दलित विरोधी, बैकवर्ड विरोधी है और आने वाले समय में ये गलत हथकण्डे अपना कर राजनीति की कुर्सी छीनना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अपने हथकण्डे अपनाने में कामयाब होंगे। जनता अपने आप इनको सबक सिखा देगी। मैं अपने साथी विधायकों की बात का समर्थन करते हुए एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई भी साथी कांग्रेस पार्टी का साथी एक रुपया भी लेने में शामिल पाया जाता है तो वह कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो इनकी गलत सोच है वह एक शोचनीय विषय है। इन्होंने जनता के विश्वास को गंदा किया है। जय हिन्द।

श्री विनोद भ्याणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्यों ने जो सी.डी. जारी की है उसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह सी.डी. बिल्कुल झूठ का पुलिन्दा है। इसमें कहीं कोई सच्चाई लेशमात्र भी नहीं है। सिर्फ हमारे को बदनाम करने की कोशिश की गई है और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं हांसी हल्के का प्रतिनिधित्व करता हूं और माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से मेरे हल्के में पिछले दिनों एक रेल रैली का आयोजन किया गया था जो बहुत ही सफल

रैली हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी चार मार्गीय सड़क की नींव का पत्थर भी रखा गया जो हल्के की बहुत पुरानी मांग थी। हांसी, महम और रोहतक के बीच रेल लाईन का पत्थर भी रखा गया। इन विपक्ष के साथियों को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हरियाणा में विकास क्यों हो रहा है। इस बात को बर्दाश्त न करते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के ओछे षडयंत्र रचने शुरू कर दिए। अध्यक्ष महोदय, इस किस्म की सी.डी. में कहीं लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है। जिस सी.डी. के बारे में फौजी साहब बता रहे थे वह सी.डी. मैंने और मेरे साथियों ने पूरी तरह देखी है उसमें एक आदमी सी.डी. के बैक साइड में दिख रहा है और सबकी रिकार्डिंग कर रहा है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने इनको रिकार्ड किया है तो उसको सामने आना चाहिए। सी.डी. के बारे में जैसा फौजी साहब ने बताया मैंने भी उस सी.डी. को देखा है यह ढाई साल पहले की है। चोर को मौके पर ही पकड़ लेना चाहिए, उसका ढाई साल किस लिए इंतजार किया गया। यह केवल राजनैतिक षडयंत्र है। लोगों ने इनको ठुकरा दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपनी करनी की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से आज ये लोग जेलों में सजा काट रहे हैं। ईमानदार लोगों के ऊपर ये खवामखां अंगुली उठा रहे हैं। जिस प्रकार दलित वर्ग के भाई रामकिशन फौजी की, नरेश सेलवाल की और जरनैल सिंह की बात हुई, इसी तरह मुस्लिम वर्ग के जलेब खान को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। रामनिवास घोड़ेला पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, इन्होंने उसको बदनाम करने की कोशिश की। मैं उस वर्ग से संबंध रखता हूँ जिनका मन देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। हमारे वंशज पाकिस्तान छोड़कर हिन्दुस्तान में आ गए। अपना घर-बार, जायदाद और सब कुछ वहां छोड़ आए। यह सब देश भक्ति की भावना के अनुरूप ही है। मैं उसी वंशज का हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया मगर देश भक्ति की भावना को नहीं छोड़ा। आज मुझे बदनाम किया गया। मैं तो यह कहूंगा कि इनकी बहुत पुरानी बात है जैसा सब साथियों ने भी बताया कि ये लोग कहा करते थे कि पंजाबियों और बणियों को थोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्होंने यह बात साबित कर दी कि ये 36 बिरादरी के विरोधी हैं और किसी के हक में नहीं हैं। ये लोग जब तक सत्ता में रहे इन्होंने किसी जाति का भला नहीं किया। इस सी.डी. प्रकरण से मुझे एक बात समझ में आती है कि जनता ने इनको ठुकरा दिया है। आज हिसार लोकसभा सीट के अलावा हरियाणा की 9 लोकसभा की सीट को ये भूल गए हैं। ये किसी तरह छल, कपट और बेइमानी से हिसार लोकसभा सीट को हथियाना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि हिसार लोकसभा से जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उन सबके खिलाफ इन्होंने षडयंत्र रचा है परंतु फिर भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने माता समान सावित्री जिंदल को छोड़ दिया। ये तो घटिया से घटिया हरकत कर सकते हैं। आज हिसार लोकसभा सीट में 6 कांग्रेस के विधायक हैं और 6 में से हमारी माता सावित्री जिंदल को इन्होंने छोड़ दिया इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी 5 के 5 विधायकों के खिलाफ इन्होंने झूठा स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनाम करने की कोशिश की है। इसके लिए हिसार की जनता और हरियाणा की जनता इनको बख्शेगी नहीं और इनको जरूर सजा देगी। आने वाले चुनावों में जनता इन्हें हमेशा हमेशा के लिए घर बिठा देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि

[श्री विनोद भ्याणा]

इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। हरियाणा की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहूंगा और मैं अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे खिलाफ जो षडयंत्र रचा गया है उसके लिए वे इनके खिलाफ जरूर कोर्ट में जाएं ताकि इन्होंने जो किया है उसकी सजा इनको मिल सके।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, जो बात भाई विनोद भ्याणा जी ने कही है, मेरे से यह बात रह गई थी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस सी.डी. प्रकरण को लेकर कोर्ट में केस करूंगा और इस झूठी सी.डी. के लिए इनको सजा करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, हम आखरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।

श्री विनोद भ्याणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी सदन में कहना चाहता हूँ और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि यह सदन परमात्मा का घर है। मैंने अपने जीवन में रिश्वत का न किसी से एक पैसा लिया और न इतनी गंदी सोच रखी। जिस दिन हमारे खिलाफ कोई ऐसा प्रमाण साबित हो जाये उस दिन हम राजनीति ही नहीं बल्कि जीना भी छोड़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम किसी को प्रमाण साबित होने पर मुंह नहीं दिखायेंगे लेकिन जिस दिन इनकी यह ओच्छी हरकत प्रमाणित हो जाये उस दिन इनको भी मुख्यमंत्री जी कड़ी से कड़ी सजा दितवायें। यही मेरा निवेदन है।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह चौटाला जी ने जो मेरी साफ छवि को खराब करने की कोशिश की है इसके लिए मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा डालूंगा और वहां पूरी कार्यवाही करवाऊंगा। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे माननीय साथियों ने सी.डी. प्रकरण के बारे में काफी जिक्र किया है। इसमें इन्होंने किसी को नहीं बखशा है। चाहे वह दलित है, पिछड़ा है, चाहे अल्पसंख्यक है। अध्यक्ष महोदय, अब तो आपकी मेहरबानी से हम भी स्पेशल बैकवर्ड क्लास में आ गये हैं। परमात्मा जिसको जहां जन्म देता है उसको वहां गर्व महसूस करना चाहिए। जहां मेरा जन्म हुआ है उस पर मुझे गर्व है और हरेक को होना भी चाहिए। इन्होंने मेरे को कभी भी किसान या जाट का बेटा नहीं माना। इनकी परिभाषा में जाट भी और ही होते हैं। मेरे साथी तो इस बात को लेकर रो रहे हैं कि अनुसूचित जाति को मार रहे हैं, बैकवर्ड को मार रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं, सिख या मुस्लिम हैं उनको मार रहे हैं। सर, हम किसके आगे रोना रोयें। मैं अपने दोनों बेटों की, पत्नी की और अपनी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ और मुझे हम चारों पर बड़ा गर्व है। हम चारों की तरफ से मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यदि कोई अनियमितता या गैर कानूनी काम हम से होता है तो सम्पत सिंह उसके लिए जिम्मेवार हैं। मैं इन जिम्मेवारी को ओन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और इस सदन में आज भी बहुत से पुराने सदस्य बैठे हैं और आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि इसी परिवार में पैदा होकर जब 1977 में चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री बने और 1978 में जब

ओम प्रकाश चौटाला जी विदेश यात्रा करके आये। उस समय ऐयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने इनको पकड़ा तो उस समय मैं चौधरी देवी लाल जी के साथ पोलिटिकल सैक्रेटरी था। उस समय चौधरी देवी लाल जी पी.जी.आई. में दाखिल थे। उनको इस खबर का पता चला। उस समय उन्होंने कहा कि सम्मत इसने तो मेरा नाम खराब कर दिया और मेरी नाक कटवा दी। मैं तो इसको डिस ओन करूंगा, मैं इसको बेदखल करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम यह जिंदगी में जोड़ सके। हमने समझाया कि चौधरी साहब आप ऐसे शब्द न कहें राजनीति में कई बार फैसले बदलने पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता और उन्होंने सीधा टैलीफोन एक पत्रकार को मिलाया जो आज भी प्रैस गैलरी में बैठे हैं और उनको कहा कि दूसरे पत्रकारों को भी आप बुलाकर लाओ। वे उनके अच्छे मित्र थे। मेरे भी अच्छे मित्र थे और अब भी हैं। वे अभी भी पूरे होशो-हवास के साथ पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने सारे पत्रकार बुला लिये और कहा कि मैंने आज से ओम प्रकाश को डिसओन कर दिया है। यह मेरा खून नहीं है। मैं इसको अपना नहीं मानता। मैं इसको बेदखल करता हूँ। सर, ऐसा उस समय उन्होंने किया। सर, अब वे भी यही चाहते थे कि सम्मत सिंह यह कह देगा कि मेरा क्या कसूर है बेटे का कसूर है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो अपने परिवार पर गर्व है। चाहे मैंने बहुत छोटे से परिवार में जन्म लिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे मां-बाप दोनों अनपढ़ रहे हैं। उन्होंने हाली का, पाली का, दूध और पानी का काम करके मुझे पढ़ाया है। मुझे गर्व है कि उनकी वजह से और जनता की मेहरबानी की वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ। मैं अपने बेटे को ओन कर रहा हूँ। सिर्फ एक बेटे को नहीं बल्कि अपने परिवार के चारों मੈम्बरों में से अगर भविष्य में भी किसी को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सम्मत सिंह ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं इनकी तरह डिसओन करने वालों में से नहीं हूँ। सर, राजनीति में आदर्श स्थापित किये जाते हैं। अब मैं जिस बात के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ पिछली बार भी मैंने इस बारे में सदन में बोला था उस समय मेरी इस बात को मजाक समझा गया था। इसलिए मैं आज फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों की करतूतों की वजह से राजनीति बदनाम हो चुकी है। अगर आज कहीं आर्टिकल लिखे जाते हैं तो वे राजनीतिक लोगों के बारे में ही लिखे जाते हैं। आज मीडिया में भी राजनीतिक लोगों के बारे में बात की जाती है। आज अगर यूथ बोलता है तो वह भी राजनीतिक लोगों के बारे में बोलता है। अगर आज कोई फिल्म बनती है तो वह भी राजनीतिक लोगों के बारे में बनती है। अगर कोई सीरियल बनता है तो वह भी राजनीतिक लोगों के बारे में ही बनता है। आज अगर कोई कवि बोलता है तो वह भी राजनीतिक लोगों के बारे में बोलता है। इन लोगों ने समाज में राजनीतिक लोगों के बारे में एक ऐसा परिदृश्य बना दिया कि ये तो बेईमान हैं और ये तो अपराधी हैं। सर, अगर सभी राजनीतिक लोग इन्हीं की तरह से हो और ऐसे ही दूसरे लोग राजनीति में आगे आ जायें तो नवयुवकों और समस्त समाज के मन में राजनीतिक लोगों की छवि गहरे उतरना स्वाभाविक है। इसका शिकार हमें भी होना पड़ता है। अगर हम कुर्ता पायजामा डाल लेंगे तो लोग बोलेंगे कि यह भी नेता जा रहा है। जबकि उसको वास्तविकता का पता नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आपकी और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सभी को पहचान हो गई है लेकिन 36 वर्ष का राजनीतिक जीवन होने के बावजूद भी बहुत से लोगों को हमारी पहचान नहीं है। मेरा तो शरीर भी ऐसा ही है कि

[श्री सम्पत सिंह]

अगर मैं कुर्ता पायजामा पहन लूं तो लोग कहते हैं कि ये नेताजी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने लगभग-लगभग कुर्ता पायजामा पहनना छोड़ दिया है लेकिन दुर्भाग्यवश वैसे मैं तो इसको कहूंगा कि सौभाग्यवश पिछली बार आपकी पार्टी की कृपा से मेरा बेटा गौरव हिसार लोकसभा क्षेत्र से युथ का प्रधान बन गया। अध्यक्ष महोदय, वह नया बच्चा है, पढ़ा-लिखा है, एम.बी.ए. पास है, आपके बेटे के साथ भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे के साथ भी उसने मेव कालेज से एजुकेशन ली है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें एजुकेशन के संस्कार हैं लेकिन थोड़ा सा शोक कुर्ते पायजामे का आ गया। मैंने उसको कहा भी कि वह कुर्ता पायजामा न पहने लेकिन उसका कुर्ता पायजामा पहनना चौटाला परिवार को नहीं सुहाया। उनकी सोच के अनुसार तो कुर्ता पायजामा पहनने का अधिकार तो हमारा है, हमारे बेटों का है, हमारे पोतों का, हमारे पड़पौतों का है अर्थात् कुर्ता-पायजामा पहनना सिर्फ उनके परिवार के सदस्यों का ही विशेषाधिकार है। अभी यहां पर जिक्र आ रहा था कि ये यह चाहते हैं कि हमारे कौरवों की तरह 100 लड़के हों ताकि हरियाणा के 90 विधान सभा क्षेत्रों में हमारा बेड़ा पार हो जायेगा। सर, बाकी बातें तो मैं बाद में करूंगा जब मैं श्री गोपाल काण्डा जी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वे बार-बार यही प्रश्न उठा रहे थे यही कह रहे थे कि श्री गोपाल काण्डा जी को विधान सभा में क्यों आने दिया? सर, इस बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं है लेकिन जितना अखबारों के माध्यम से मैं जान पाया हूँ उसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में गोपाल काण्डा क्या करे क्योंकि श्री गोपाल काण्डा तो कोर्ट के हुक्म से विधान सभा का अधिवेशन अटैण्ड करने के लिए आया है। इसके लिए गोपाल काण्डा जी ने कोर्ट में अपील डाली है जिस पर कोर्ट ने यह कहा है कि आप जाओ असैम्बली का सेशन अटैण्ड करो और विधान सभा से हाजरी की सर्टीफाईड कॉपी लेकर आओ अर्थात् उन्हें हाजरी की कापी लेकर वापिस जाना है और ये कहते हैं कि श्री गोपाल काण्डा जी विधान सभा में क्यों आये हैं? ये श्री गोपाल काण्डा जी को दोबारा जेल में भेजना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि श्री गोपाल काण्डा जी विधान सभा में सेशन अटैण्ड करने नहीं आते तो इनकी जमानत अगले दिन ही कैसिल हो जाती। इन्हें इस बात का भी बहुत ज्यादा अफसोस है कि गोपाल काण्डा बाहर और चौटाला की जमानत कैसिल हो गई। इनको यह तकलीफ है। अब ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है क्योंकि इनको एक नहीं अनेकों तकलीफें हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि श्री गोपाल काण्डा जी का सेशन अटैण्ड करना भी उनके हंगामों का एक कारण बना है सर, मैंने तो इनके चैलेंजिज और इनका विरोध पार्टी में रहते हुए बहुत सहा है और बहुत साहसिक तरीके से सहा है। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी भी पूछते हैं और आप भी पूछते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ इतने समय तक कैसा रहा? जब भी हम लाईट मूड में बैठते हैं तो लोग यह प्रश्न चिह्न मेरे ऊपर लगाते हैं कि उनके साथ आप इतने साल तक कैसे रहे? अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मेरी हिम्मत है कि उनके साथ रह कर मैंने मेरा ईमानदारी रूपी गहना अपने पास बरकरार रखा। मेरे पास तो यही एक गहना है, उनके पास तो अनेकों गहने हो सकते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है और मैंने कभी भी दूसरे के घर में झांक कर नहीं देखा। मैं कभी भी अपनी पृष्ठभूमि नहीं भूला हूँ। मैं जिस पृष्ठभूमि से उठ कर आया हूँ उसका

नाम बदनाम न हो जाये। इसलिए मैंने सारी जिन्दगी ईमानदारी से काम किया है और यही संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिये हैं। सर, मैं 1993 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं विपक्ष का नेता था तथा यहां हाउस में डिप्टी स्पीकर के साथ बैठता था। उस समय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे। उस समय मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था। इस बारे में पत्रकार दीर्घा में बहुत से लोग जानते हैं और शायद आप भी जानते होंगे। 2 घंटे तक मैंने डट कर उनसे लड़ाई लड़ी तथा आखिर में वे तंग हो गये तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा रोग तो काटूंगा। मैंने कहा कि जी काट लेना अगर आपके अकेले के हाथ में है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है तो काट लेना। उस समय आज जैसा सिस्टम नहीं था। आज मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मुख्य मंत्री बने हुए 9 साल हो गये हैं लेकिन कोई भी बता दे कि किसी के खिलाफ भी राजनीतिक द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज करवाया गया हो। यहां तक कि अधिकारियों की बदली भी राजनीतिक आधार पर नहीं होती। अगर कोई हमारा विधायक साथी या कार्यकर्ता कह भी देता है कि यह फलां पार्टी का है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी का हो उसको काम करने दो। इन्होंने तो राजनीति का अर्थ ही बदल कर रख दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि इन्होंने राजनीति का युग बदल दिया है। उन्होंने तो धिनीना खेल खेला। उन्होंने मुझे चेता तो दिया कि आपको रगड़ा लगाऊंगा लेकिन यह नहीं बताया कि क्या करूंगा। तेरी रड़क निकालूंगा, मैंने कहा कि ठीक है जी, मुख्यमंत्री हो किसी की भी रड़क निकाल सकते हो। मैंने कहा कि मेरे अन्दर वह रड़क निकलवाने के लिए भी दम है उस रड़क से मैं नहीं मरता। वे दिन जैसे थे वह सबको पता है। वह कांग्रेस पार्टी का काम नहीं था वह और ही बात थी। वे मुख्यमंत्री जरूर कांग्रेस के थे लेकिन उस समय सिस्टम कुछ और ही था। जिस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम आज है या चौधरी बंसीलाल जी के समय में था वैसा सिस्टम उस समय नहीं था। उस समय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और उनका सिस्टम अलग ही था। कई साथियों ने कहा कि जी दो-चार आदमी रखा करो तो मैंने कहा कि मैं किसी को अपने साथ नहीं रखता मैं तो जो 60-65 किलो का आदमी हूँ वही काफी हूँ। अध्यक्ष महोदय, 25 दिसम्बर, 1992 की बात थी। 9 जनवरी, 1993 को रोहतक में पार्टी की मीटिंग थी। सुबह ठीक 7 बजे मेरे घर पर रेड डलवाई और एफ.आई.आर. चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के छोटे भाई प्रताप सिंह चौटाला की तरफ से दर्ज करवाई गई। बात यहां तक थी कि इससे पहले इस बारे में चौटाला साहब से बात की गई। जब 1991 का चुनाव हुआ था तो चौधरी देवीलाल जी ने चौटाला साहब को चुनाव नहीं लड़ने दिया था। उन्होंने कह दिया था कि तू बदनाम हो चुका है इसलिए चुनाव मत लड़ना। उनको यह भी तकलीफ थी कि मैं विपक्ष का नेता बन गया क्योंकि उस समय चौधरी देवी लाल जी भी प्रो. छतरपाल सिंह के खिलाफ धिराय से चुनाव हार गये थे। मैं जीत कर आ गया और न चाहते हुए भी मुझे विपक्ष का नेता बनाना पड़ा। इनको यह तकलीफ थी इसलिए चौधरी भजन लाल जी से मिलकर और भाई से बात करके इन्होंने यह षडयंत्र रचा। कहने को तो कहते थे कि भाई अलग हैं लेकिन अन्दर से ये सब मिले हुए थे। आज उनको 17-17 साल की जेल हुई तो कहते हैं कि परिवार पर संकट आ गया है इसलिए हम सब इकट्ठे हैं। इसका मतलब आप तो परिवार की सेवा करने के लिए हो, आपको पार्टी से, आम आदमी से या जनता

[श्री सम्पत सिंह]

से कोई मतलब नहीं है। परिवार पर संकट आये तो सारे इकट्ठे हो जाओ वना अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलापते रहो। अध्यक्ष महोदय, मेरी रिश्तेदारियां छोटे-छोटे घरों में हैं और उन सबके घरों पर भी रेड डाली गई। जिस किसी के साथ भी मेरे संबंध थे वहीं पर रेड डाली गई। कुलदीप शर्मा जी के साथ इनका सांझा है तो वहां भी रेड डाली गई, फलां आदमी के साथ सांझा है तो वहां भी रेड डाल दी। कुल मिलाकर 28 जगह मेरी रिश्तेदारियों में रेड डाली गई थी तथा 28 के 28 डी.एस.पी. ने रेड डाली क्योंकि उस समय मेरा कैबिनेट रैंक था। डी.एस.पी. ही मेरे घर में चैकिंग के लिये जा सकता था नीचे का अधिकारी नहीं जा सकता था। स्पीकर सर, मेरा सौभाग्य यह निकला कि किसी को मेरे घर में एक ऐसा कागज भी नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि सम्पत सिंह ने मुझे इतने रुपये उधार दिये या उधार लिये। उधार तो आदमी ले भी लेता है और उधार दे भी देता है क्योंकि यह तो आपस में व्यवहार भी होता है। एक मेरा पासपोर्ट और एक मेरा प्वाइंट फोर बोर का लाईसेंस जिनकी मैं दो महीने से तलाश कर रहा था लेकिन दोनों नहीं मिल रहे थे, पुलिस ने सर्च करके दोनों चीजें मेरे घर से ढूंढ ली। मैंने उस टाईम पुलिस का भी धन्यवाद किया और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया। सर, उस समय मेरी पत्नी घर पर थी। वह बच्चों को ले जा रही थी क्योंकि दिसम्बर की छुट्टियां हो रही थी। लेकिन वह वहीं बैठ गई और उसने पुलिस वालों को कहा कि जिन्हें चाय पीनी है चाय पियो जिसको अन्दर जाना है अन्दर जाओ। पुलिस वालों ने कहा कि कोई लोकर या ताला हो तो मेरी पत्नी ने कहा कि हमारे घर में कोई लोकर नहीं, कोई ताला नहीं, आराम से जाओ। अब तो वह भी कहती है कि मुझे उन पर नजर रखनी चाहिये थी, क्योंकि पता नहीं वे घर में क्या रख देते। लेकिन उसमें एक विश्वास था। वे सारी छानबीन कर ले गये। स्पीकर सर, मैंने वह मुकद्मा 12 साल तक सहा है। एज ए वित्त मंत्री होते हुए मैंने कोर्ट की तारीखें भुगती हैं और मैं बाकायदा सेशन कोर्ट हिसार से बाइज्जत बरी होकर आया। उसके बाद इन्होंने प्रताप सिंह द्वारा हाई कोर्ट में केस करवाया। फिर मैंने इस केस को हाई कोर्ट में भुगता। सर, आखिर में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस केस में जो मौके पर डिसाइडिंग जज था उसने फाईल कम्प्लेन्ट के मुंह पर फेंक कर मारी और कहा कि एक भले आदमी को तुमने 12 साल से तंग कर रखा है और वह अपना सा मुंह लेकर चला गया। सर, वह सम्पत सिंह ही है जिसका गहना ईमानदारी है। अध्यक्ष महोदय, जब ये भाषण देते थे और जब इनको मुझे बुलाना होता था तो यह कहते थे कि ईमानदारी व बुद्धिमत्ता के प्रतीक अब सम्पत सिंह जी आपके सामने बोलेंगे, जैसे आजकल चौधरी विरेन्द्र सिंह बुलाते हैं। अब सम्पत सिंह बेईमान हो गया? सम्पत सिंह का इम्तिहान तो लोकदल के नेता बहुत बार ले चुके हैं और जितने इन्होंने सम्पत सिंह के इम्तिहान लिये हैं, जितना इन्होंने मुझे आग में डालने का प्रयास किया है उतना ही सम्पत सिंह बाद में सोने की तरह निखर कर आया है। जहां तक इनके हालात हैं इन्होंने मुझे राजनीतिक तौर पर भी बार-बार मारने का प्रयास किया। सन् 1998 में पार्लियामेंट का बार्ड इलैक्शन आया तो ये मुझे कहने लगे कि तुझे पार्लियामेंट का इलैक्शन लड़ना है, मैंने कहा कि लड़ लूंगा कोई बात नहीं। जब इनको पता चला कि यह तो यहां से जीतेगा और पार्लियामेंट में चला गया तो हमारे खिलाफ मुसीबत खड़ी कर देगा। फतेहाबाद इलैक्शन हो रहा था उस समय

हरमहेंद्र जी की डैथ हो गई थी जो मेरे साथी रहे हैं। हम दोनों इकट्ठी लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनकी अकस्मात् मृत्यु हो गई उस समय चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मेरा विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी फिर भी मैं बेदाग रह गया। मैं कोयले की काठरियो में रहा। (विष्णु)

श्री आनन्द सिंह दांगी : सम्पत सिंह जी, आपने भी उनको खूब सहा है।

प्रो. सम्पत सिंह : हां, मैंने खूब सहा है। दांगी साहब, आप थोड़ी जल्दी आ गये। मैं उनको सहता रहा। यह मेरी सहन शक्ति है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : सम्पत सिंह जी, आपमें सहन शक्ति बहुत है।

प्रो. सम्पत सिंह : हां, बहन जी पूरी शक्ति है कोई कम नहीं हो रही है। आप मेरी बहन हो तो मैं यह नहीं कहूंगा कि किसकी क्या कम हो रही है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि मेरी शक्ति कम नहीं हो रही।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप थोड़ा शोर्ट कर लो।

प्रो. सम्पत सिंह : सर, क्या करूँ कहानी ही इतनी लम्बी है। मैं शोर्ट करूँ कहां से। सर, मुझे ये बातें बताने का शौक नहीं था। लेकिन आज मैं आहत हूँ, आज मैं पीड़ित हूँ। पूरे हरियाणा में कहीं भी एक आदमी भी चाहे लोकदल पार्टी का वर्कर ही यह कह दे कि सम्पत सिंह बेईमान है तो सम्पत सिंह उस दिन राजनीति छोड़ देगा। सम्पत सिंह वह आदमी है जिसके पास ईमानदारी का एक गहना है उसको भी ये छीनने का प्रयास कर रहे हैं। सर, वह गहना मैं कैसे छिनने दूंगा। जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा, एक बूंद रहेगी तब तक मैं ऐसे जुल्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूंगा। स्पीकर सर, इनको तकलीफ क्या हो रही है इन्होंने फतेहाबाद से बाई इलैक्शन लड़ाया कि सरकारी पार्टी है और स्वाभाविक है जब पत्नी चुनाव लड़ती है तो हमदर्दी भी होती है और पंजाबी डोमीनेटिड ऐरिया है। सर, मालिक ने इतनी कृपा की कि मैं उस टाईम अपोजिशन में होते हुए भी 9 हजार वोटों से जीत कर आया। यह सब मालिक की कृपा है। आज भी उसी मालिक की कृपा है। सर, जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया उसी दिन इनको इतनी जबरदस्त तकलीफ हो गई और कहने लगे कि मार दिया भई इस आदमी ने तो। चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे कि इनकी चिट्ठी पढ़ने वाला तो केवल एक ही आदमी है और वह आदमी प्रो. सम्पत सिंह है। उस समय मुझे पार्लियमेंट के चुनाव में केवल इसलिए हराया गया था क्योंकि भिवानी से अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहा था। मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी से कहा कि चौधरी साहब आप मेरी खिलाफत क्यों करवा रहे हैं, इस तरह से तो मैं हार जाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो केवल अजय सिंह चौटाला की चिंता है और कोई चिंता ही नहीं है। स्पीकर सर, मैंने उनको पहले से ही एक लाख वोटों से हारने के बारे में बता दिया था लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि क्या तू ज्योतिषी है? मैंने तुरन्त उत्तर दिया कि हां मैं ज्योतिषी हूँ। जब परिणाम आये तो देखिये अजय सिंह चौटाला एक लाख से थोड़े कम वोटों से हार गया। उसकी हार तो एक लाख वोटों से ही होनी थी लेकिन कुछ कारण रहे जिनकी वजह से

[श्री सम्पत सिंह]

ऐसा नहीं हो पाया इसके बारे में मैडम किरण चौधरी जी ज्यादा जानती हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि कहां इतनी तैयारियों के बाद भी अजय सिंह चौटाला एक लाख के करीब वोटों से हारा और कहां सम्पत सिंह जो अपने ही आदमियों की हेरा-फेरी का शिकार हुआ था महज छह हजार वोटों से हारा? इंडियन नेशनल लोकदल सभी नौ लोकसभा क्षेत्रों में तो एक-एक लाख वोटों से हारी लेकिन हिसार में पार्टी की हार का अंतर महज छह हजार से था। (विष्ण)

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : प्रो. साहब, आपको तो अपने वालों ने ही मारा था? (विष्ण)

श्री नरेश कुमार बादली : प्रो. साहब, रोहतक में भी इन लोगों को साढ़े पांच लाख वोटों से हार नसीब हुई थी।

प्रो. सम्पत सिंह : नरेश जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल की कहीं पर एक लाख, कहीं पर तीन लाख, कहीं पर दो लाख के अन्तर से हार और प्रो. सम्पत सिंह की महज छह हजार वोटों से हार, इन लोगों के अन्दर तकलीफ की मेन वजह थी। फिर इन लोगों ने कहा कि प्रो. साहब आप हार के कारणों का पता लगाओ। स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नो हल्कों में स्वयं गया और हार के कारणों की सी.डी.ज. तैयार करवाई और जो हार के कारण थे उनके बारे में स्पष्ट जानकारी दी। मैंने कहा कि चौधरी साहब जो यह आप लोगों से माला लेते हैं यही आपकी हार का मुख्य कारण रहा है। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के ट्रस्ट में गरीब वर्ग के परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा उनको चिकित्सा की सुविधायें प्रदान कराने के बहाने, मैम्बरशिप के बहाने या ट्रस्ट के नाम पर जो लोगों की नेककमाई से पैसा वसूला जा रहा है यही इंडियन नेशनल लोकदल की हार का मुख्य कारण है। स्पीकर सर, अब मैं विपक्ष के लोगों की पैसे गिनने की क्षमता के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार उचाना रैली में एक पंडित जी ने एक लाख रुपये अनाउंस कर दिये। उसने पैसे अनाउंस तो कर दिये थे लेकिन ये पैसे पार्टी को प्राप्त नहीं हुए थे। मैंने चौटाला साहब को कहा कि उसने आधे पैसे तो दे दिये हैं लेकिन अभी आधा बकाया है, आप बतायें मैं क्या करूँ? चौटाला जी बोले कि जितने पैसे दिये हैं उन्हें रख लो और बाकी उसकी बात को अब छोड़ दो। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उस व्यक्ति से टेलिफोन किया और कहा कि आपने पैसे अनाउंस तो कर दिये थे लेकिन अभी दिये नहीं है, उसने तपाक से उत्तर दिया कि सम्पत जी आप क्या बात रक रहे हैं वह बाकी पैसे तो मैंने चौटाला जी को दे दिये हैं। मैंने उनसे कहा कि चौटाला साहब तो कह रहे हैं कि इन पैसों को देने की जरूरत नहीं है। वह बोला प्रोफेसर साहब मेरे साथ तो इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी हैं। उसने बताया कि एक बार पहले भी उसने एक लाख रुपये अनाउंस किये थे। मौके पर मेरे पास केवल 50 हजार रुपये ही थे। मैंने 50 हजार रुपये उसी समय पकड़ा दिये और मेरा यह प्लान था कि बाकी के बचे 50 हजार रुपये मैं बाद में दे दूंगा। चौटाला जी ने 50 हजार रुपये के बजट से अनुमान पहले ही लगा लिया था कि पैसे कम हैं और इस पैसे को अलग रख लिया। जब पैसे गिने गये तो वह 50 हजार रुपये ही निकलने थे। यह कहने लग गये कि भई तूने अनाउंस तो

एक लाख रुपये किये थे और दिये 50 हजार रुपये हैं? उस व्यक्ति ने साफ बात दिया कि चौधरी साहब मेरे पास मौके पर 50 हजार रुपये ही थे जिसे मैंने आपको दे दिया है। बाकी बचे 50 हजार रुपये मैंने आपको बाद में देने थे, आप थोड़ा सब्र तो कर लें। (हंसी) स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह लोग तो पैसे को हाथ से तोलकर ही बता देते हैं कि कितने पैसे हैं। (हंसी) स्पीकर सर, मैं आपको एक और वाक्या सुनाता हूँ। जैसे घर पर न्यौता जाता है तो हम सब बिना लोभ लालच के उस घर में जाते हैं जहाँ से न्यौता मिलता है लेकिन ये लोग तो न्यौते को भी मोलभाव जानकर ही स्वीकार/अस्वीकार करते हैं। यदि ठीक-ठाक व्यक्ति से न्यौता प्राप्त होता है तो ये कहते हैं कि इसके घर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यह आदमी कभी ज्यैलरी देता है कभी कुछ चीज देता है। एक ऐसा ही व्यक्ति एक दिन इनके पास आया हुआ था। जब ये उनसे बात कर रहे थे तो इसी बीच एक अन्य आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर प्रवेश करता है। उसको देखते ही ये बोले कि इसके घर भी जाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास बड़ा डिब्बा है। (हंसी) वहाँ पास ही एक बहादुर खड़ा था। चौटाला जी ने उनको कहा कि डिब्बा खोलो। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अन्दर-अन्दर पांच सात बादाम थे, पांच सात काजू थे और पांच सात कुछ और चीजें रखी गई थीं। ये तुरन्त उस आंगतुक से बोले कि तेरा नाश हो, तेरे जैसे आदमी के घर कौन जायेगा। (शेम शेम की आवाजें व हंसी) मैं इनकी ये सब बातें बताना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि इन भ्रष्ट लोगों ने मेरे बेटे गौरव को जो अबोध बच्चा है और जिसको राजनीति के बारे में क-ख-ग तक का ज्ञान नहीं है, को फंसाने की कोशिश है। जब ये लोग इतनी ओछी राजनीति पर आ ही गये हैं तो फिर मैं इनको कैसे बर्खास सकता हूँ। मुझे इनके इस कुकृत्य से बहुत पीड़ा हुई है। अगर ये लोग मेरे पर कोई आक्षेप करते तो कोई बात नहीं थी लेकिन मेरे बेटे पर इस तरह जो इन लोगों ने आक्षेप किया है, यह मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। मां-बाप अपनी चोट सहन कर सकता है लेकिन उसके बच्चे को चोट लगे यह किसी भी मां-बाप के लिए सहन करने वाली बात नहीं हो सकती है। यह चोट मुझे पहुंची है इसलिए मैं आज ये सब बातें सदन में बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार आपके करनाल जिले में लिबर्टी इंडस्ट्री में रुक गया। मेरा वहाँ 1977 से आना जाना था। उस समय डी.पी. गुप्ता जी थे उनको म्युनिसिपल ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और यह सोचकर बनाया गया था कि बहुत अच्छे उद्योगपति हैं और ठीक काम करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी 1999 में मुख्यमंत्री बने और दोबारा वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बने। उन्हीं दिनों में उनके यहाँ रुक गया और मैं उनके यहाँ से जूस पानी पीकर के चंडीगढ़ आ गया। उसके जस्ट बाद ही मेरे पास चौटाला साहब का फोन आ गया कि मैंने उनके ऊपर इतने रेड डलवाए थे और तू उनके यहाँ चाय पी रहा था। मैंने उनके खिलाफ इतने सारे इंसपेक्टर भेज रखे हैं। एक अधिकारी उन दिनों करनाल के डी.सी. थे वे आज भी सदन में मौजूद हैं। उनको उन्होंने फोन किया और कहा कि लिबर्टी के गेट के आगे खाई खुदवा दो, फैक्ट्री के गेट के आगे पीपल लगवा दो। मैंने भी उनको फोन किया, वे बहुत ही अच्छे अधिकारी थे। हालांकि ज्यादातर अफसर तो उनकी बात से बाहर नहीं जाते थे लेकिन उस अधिकारी ने कहा कि आप चिंता न करो मैं थोड़ी बहुत मिट्टी खुरचा दूँगा और ज्यादा कुछ नहीं करवाऊँगा। मुझे ऐसे अधिकारियों पर फख है। आज वे मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर में काम भी कर

[श्री सम्पत सिंह]

रहे हैं। यहां तक कि उस समय के मुख्यमंत्री पारले और सूर्या ट्यूब के खिलाफ भी काफी कुछ किया। लेकिन उन्होंने आडवाणी जी से कहकर के अपना पिंडा इनसे छुड़वाया। आज सरकार काम कर रही है, 24 घंटे मेहनत कर रही है इसलिए ऐसा किया जाए तो यह गलत है। सर, जिस तरह से यह बात हो रही है तो ऐसे में इनकी जगह है कहां? दो लोगों की जगह तो पहले ही फिक्स हो गई है और तीसरे की भी तिहाड़ जेल इंतजार कर रही है। जब डिस्पोज़नेट ऑफ प्रॉपर्टी का फैसला आएगा तो उनकी जगह भी फिक्स हो जाएगी।

श्रीमती किरण चौधरी : आई.ओ.सी. ने तो कह ही दिया है।

प्रो. सम्पत सिंह : ऐसी तो कई आई.ओ.सी. होंगी। मैंने तो इनको इतने टाइम तक देखा है। मैं तो इनके बारे में बहुत बड़ी किताब भी लिख सकता हूँ। (विघ्न) चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे लिए तो चौधरी देवीलाल जी राजनीति के प्रेरक थे। जब चौधरी देवी लाल गुजर गए उसके बाद मैंने इनके साथ कुछ दिन तो रहने का प्रयास किया मगर मैं समझ गया था कि अब मेरी यहां जगह नहीं है। जब पूरी तरह मुझे ऐसा लग गया तो मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे-बड़े सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने मुझे सहर्ष स्वीकार किया और सभी सदस्यों ने मुझे पूरा सम्मान दिया है और जब चुनाव लड़ने की बात आई तो मैं तीन महीने पहले ही पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस के सामने लड़कर आया था फिर भी मुझे उसी पार्लियामेंट्री कांस्टीच्यूएंसी के नलवा हल्के से ही विधान सभा का चुनाव लड़ाया गया और मैंने इस बारे में पार्टी के विश्वास को पक्का रखा। जो मेरी इयूटी लगी थी मैंने उसको पूरी तरह से निभाया। इनकी क्या औकात है? आखिर ये यहां तक ले आए थे कि चश्मा और जस्मा दोनों इकट्ठे कर दिए। चश्मा तो इनैलो का चुनाव चिन्ह था और जस्मा चौधरी भजन लाल की पत्नी का नाम था जो वहां से हरियाणा जनहित कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रही थी। इन्होंने चश्मा और जस्मा का नारा लगाया था। इन्होंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। इन दोनों के इकट्ठे होते हुए मैंने वहां से चुनाव लड़ा और आप सबके सहयोग से मैं 11 हजार वोटों से चुनाव जीता। जैसा कि फौजी साहब ने जिक्र किया कि मैं अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता था। लेकिन जिस स्थिति में ये थे यह तो हमें चुनावों के परिणाम के बाद मालूम हुआ क्योंकि ये तो राज के सपने संजोए हुए बैठे थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय किन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी एक हल्के में हिसार में नहीं जीत पाई थी तो इनके दिमाग में यह बात आ गई कि हिसार की सीट तो तुम्हारी आ ही जायेगी लेकिन जब असैम्बली का चुनाव आया तो देखा कि वहां के नौ हल्कों में ये एकदम जीरो हो गये। जब कांग्रेस पार्टी की वहां से छः सीटें आ गई तो इतनी सीटें आते ही इनको तकलीफ हो गई। इन्होंने सोचा कि तुम्हारा तो नाश कर दिया। उस दिन से इनको हमारे से बैर हो रहा है। इनको उस दिन से बैर और ज्यादा हो गया जब इनको 17 साल की सजा हुई। अब कह देते हैं कि कैबिनेट में तो आप इकट्ठे थे यह तो कैबिनेट का मेनडेट था लेकिन कैबिनेट का मेनडेट तो यह था कि इस एजेन्सी की बजाए उस एजेन्सी से रिक्रूटमेंट करवाओ। आज भी सरकार एन्वायंटमेंट कर रही है। आप स्ट्रफ सलैक्शन कमिशन की बजाए टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से भर्ती कर रहे

हैं। कैबिनेट ने तो यही मेनडेट दिया था। कैबिनेट ने यह मेनडेट नहीं दिया था कि आप लिस्ट को बदल दें और लिस्ट को बदलकर आप नकली लिस्ट तैयार करके रिजल्ट आऊट कर दें। ऐसा तो कैबिनेट का मेनडेट नहीं था। कैबिनेट का यह भी मेनडेट नहीं था कि जो अलमारी की सील है उस को तोड़ दो। तब एक अधिकारी ने इनकी बात नहीं मानी और जब उस अधिकारी का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो उस अधिकारी ने अलमारी में उस रिकार्ड को कपड़े से बांध कर उसको सील कर दिया और उसके बाद उस अलमारी के ताले को सील कर दिया और उस ताले की चाबी को भी सील कर दिया। जब इन्होंने उस अधिकारी की जगह अपना चहेता अधिकारी लगाया तो वह अधिकारी कहने लगा कि इस पर तो सील लग रही है इसको मैं कैसे तोड़ू तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं अलमारी आगे सरका कर अलमारी को पीछे से काटकर रिकार्ड को निकाल लो और फिर अलमारी को वैल्व करवाकर फिर वहीं पर सरका देना। अब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यह किया और सी.बी.आई. ने यह किया। क्या यह मेनडेट भी कैबिनेट ने दिया था। यह ब्यान कोर्ट के फैसले के अन्दर उस कम्प्लेमेंट श्री संजीव कुमार का है जिस अधिकारी को यह लिस्ट तैयार करने के लिए इन्होंने लगाया था। यह हमारा ब्यान नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी का ब्यान है यह तो उस अधिकारी का ब्यान है। यह ब्यान न तो सी.बी.आई. का है। उस अधिकारी का यह ब्यान है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वयं यह काम करने के लिए कहा था कि भइया, आपको यह काम करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसे तरीके मुझे बहुत आते हैं। आप इस अलमारी को ऐसे आगे सरकाओ, ऐसे काटो और ऐसे वैल्व करो और वापिस दीवार के साथ लगा दो तो कल्याण हो जायेगा। वह कल्याण ऐसा हुआ कि सारे 17-17 साल के लिए अन्दर बैठ गये। अब ज्यों-ज्यों यह प्रोपर्टी वाला डिस्प्रीपोरशनेट वाला केस नजदीक आ रहा है त्यों त्यों सारे परिवार के पसीने छूट रहे हैं। अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। अब अपने ही चार बछेरे मैदान में उतार दिए। वे सारे उनके गुणगान में लग गये अब मुझे अफसोस होता है कि उनकी जगह केवल भीड़िया में मिलती है लेकिन यह समझ नहीं आता कि क्या चीज है? गांव में यह कहते हैं कि नाक पौछना तो आता नहीं और लीडर बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अब मेरे को रो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? यह तो वही बात हो गई कि किसी जगह पर 15-20 आदमी बैठे थे एक आदमी बार-बार आंखों से आंसू पौछ रहा था वे दूसरे लोग बोले कि भाई तेरे क्या हो गया है क्यों रो रहा है। वह बोला कि भाई रो नहीं रहा हूँ बल्कि आंसू आ रहे हैं। वे बोले कि किस बात के आंसू आ रहे हैं। वह बोला कि धुआं आ रहा है। वे बोले कि और किसी के तो आंसू आ नहीं रहे तुझे क्यों आ रहे हैं। वह कहने लगा कि यह तो भाई एक बहाना है बाकी तो रो ही रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बहाना ही है वे तो मुझे रो ही रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है? मैं अगर जालिमों के साथ न रहूँ, अपराधियों के साथ न रहूँ तो मेरा क्या कसूर है? जितने दिन रह लिया वह बहुत है। मेरे से जितना उनके लिए हो सकता था वह मैंने बहुत कर लिया। वे कभी भी जिन्दगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। जब मैंने लोकदल पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो मैंने उनसे माफी मांगी कि ओमप्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने में मैं कसूरवार हूँ। चौधरी देवीलाल ने जब वी.पी. सिंह जी प्रधान मंत्री बन रहे थे तो इन्कार कर दिया था कि मैं सेंटर में नहीं जाऊंगा और सुनने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा

[श्री सम्पत सिंह]

कि मैं सेंटर में नहीं जाऊंगा और यही रहूंगा। मैं रात को उनके पास गया, दिन में मैं नहीं गया और उनके परिवार के बीच में मैं नहीं पड़ा। रात को 11 बजे मुख्यमंत्री का हरियाणा भवन में सूट होता है मैं उसमें गया। वे सारी जो तीसरी पनीरी है, दोनों इनके बेटे, चौधरी साहब राम के पोते भी थे, कोई प्रताप का लड़का, कोई और का लड़का, सारी तीसरी पनीरी वहां बैठी थी। वे कहने लगे कि चौधरी साहब आप इनको किसी तरीके से मनाओ क्योंकि वे हमारा कहना नहीं मानते। मैंने कहा कि आपका कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूँ तो कहने लगे कि नहीं एक बार आप ट्राई जरूर करो। मैं अंदर गया और अंदर जाते ही चौधरी देवीलाल जी कहने लगे कि कौन है। वहां अंधेरा था। मैंने कहा कि मैं सम्पत हूँ। मैंने कहा कि जाग रहे हो या सो गए हो तो कहने लगे कि नहीं मैं जाग रहा हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा कि नींद क्यों नहीं आ रही। कहने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आपको सेंटर में जाना चाहिए और वहीं से मेरी भूल हुई। वे बोले कि सेंटर में जाऊंगा तो पार्टी का नाश हो जाएगा क्योंकि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे। कहने लगे कि पक्की गारंटी है। मैंने कहा पक्की बात है हम संभाल लेंगे, अब तो संभाल लेंगे लेकिन आगे का पता नहीं। उन्होंने उसी टाइम वी.पी. सिंह को फोन मिलाया और कहने लगे कि मैं भी सुबह आपके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ओय ले रहा हूँ। यह कहकर फोन बंद कर दिया। मैं उनको यह कहकर कि आप सो जाओ, हम मैनेज करते हैं और बाहर आ गया। हमने रातों रात बच्चों को कह दिया कि तुम सो जाओ, दो बच्चे जो आज अपने आपको नेता बने फिरते हैं। (विष्णु) धर्मबीर जी, आप भी किसी न किसी दिन पकड़े जाओगे इसलिए आप ये भेष छोड़ दो। तेरा बड़ा भाई हूँ, शुभचिंतक हूँ, पकड़ा जाएगा। ये कुर्ता बदल लो ठीक रहोगे सुख पाओगे नहीं तो बाद में पकड़ा जाएगा और टेलीफोन करते रहोगे कि मैं धर्मबीर हूँ तो लोग कहेंगे कि कोई धर्मानंद होगा। कहोगे सोहना से हूँ तो लोग कहेंगे कि कोई सोनानंद होगा। (हंसी)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, प्रो. साहब धर्मबीर जी को कुर्ता बदलने को कह रहे हैं। जिस कुर्ते की वजह से ये विधायक बन गए इसको ये कैसे बदल लें। क्योंकि जब ये पहली बार सोहना गए तो लोग इनको नहीं जानते थे उस समय यही कुर्ता पहने हुए। ये रोज लोगों के बीच में जाते थे तो यह आम चर्चा सोहना में थी कि हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत गरीब है, इसके पास एक ही कुर्ता है जिसको रात को धो लेता है और सुबह पहन लेता है। (हंसी)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी आज यह बात न बताते तो यह राज भी न खुलता। यह राज राज रह जाता। सर, हम यह विश कर रहे हैं कि जल्दी डिसप्रोपोशनेट प्रोपर्टी केस का फैसला आ जाए। अगर वह केस आ जाता है तो मुझे बैंक मिलेगा। उनको तकलीफ यह होती है कि मैं इनके ऊपर सवाल उठाता क्यों हूँ लेकिन मैं रिप्लेट जरूर करूंगा मैं बख्शाता नहीं और मैं इनसे डरता नहीं और मैं इनकी परवाह नहीं करता। मैंने इन सबको देख रखा है। चाहे मीडिया में देख लिया जाए, चाहे अखबार में देख लिया जाए, मेरे से कोई पूछता है कि आप क्यों इनके खिलाफ रिप्लेट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं इनकी परवाह नहीं करता। मुझे औरों का तो पता नहीं लेकिन मैं इनके

खिलाफ रिप्लेट करूंगा और सारी उम्र लड़ूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा बाकी है मैं इनके पापों और अपराधों को खत्म करूंगा। ये मेरा काम है। मैं इनके वध के लिए नहीं आ रहा हूँ बल्कि इनके अंदर जो पाप और अपराध हैं मैं उनके वध के लिए पैदा हुआ हूँ। ये लोग तो छोटे परिवारों में पैदा होने वालों को अपनी चारपाई पर नहीं बैठने दिया करते थे। गांव में प्राइमरी का स्कूल नहीं खोलने दिया करते थे और कहते थे कि ये लोग पढ़ जाएंगे तो हमारे बराबर बैठेंगे। हालांकि कोई लम्बी चौड़ी जायदाद वाली बात नहीं थी। मेरा कहना शोभा नहीं देता कि वे क्या करते थे। वे जो करते थे इस बारे में सबको पता है। किस चीज में चलते थे, क्या पहनते थे, क्या पीते थे, यह सबको पता है। मेरा कहने का मतलब ये लोग अपने आप को फ्यूडल लोड मानते थे कि हम तो फ्यूडल लोड हैं और आम आदमी को कोई अधिकार ही नहीं है और उनको अपने बराबर नहीं पनपने देने देते थे। यह तो मैंने बैकवर्ड की बात, हरिजन की बात और अल्पसंख्यकों की बात की। इन्होंने किसी जाट को भी नहीं बखशा। इनको पता लगा कि बलराम जाखड़ रोहतक से इलैक्शन लड़ रहा है तो कहने लगे कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा, पता लगा कि सीकर से लड़ रहे हैं तो कहने लगे कि सीकर से लड़ूंगा और जब पता चला कि फिरोजपुर से लड़ रहे हैं तो कहने लगे फिरोजपुर से लड़ूंगा। उन्होंने तीनों जगह से फार्म भरवा दिये। अब बताओ ये लोग किसके शुभचिंतक हैं? वहां तो दलित नहीं खड़ा था। इसी तरह से यू.पी. के चुनावों में मैं 15 दिन पहले अलीगढ़ में गया। वहां 7 विकट थी, 6 तो मैंने जाते ही गिरा दी। वहां 7 कैंडीडेट खड़े कर रखे थे। 6 ने तो मेरे जाते ही मेरे व्यवहार से देख लिया कि यह तो काबू नहीं आयेगा और वे हट गये। एक डाक्टर टाईप का कैंडीडेट बचा था। वह आखिर में बोला कि मुझे तो गनर चाहिए। मैंने कहा कि गनर का क्या करोगे आप? उसने कहा कि मेरे सामने इकैत खड़ा है। मैंने उसे कहा कि आपको किसी डाक्टर ने बता रखा है कि आप किसी इकैत के सामने चुनाव लड़ो। बाद में आखिरी दिन वह भी बैठ गया। वरना वहां भी ये लोग यही सोचकर गये थे कि चौधरी अजीत सिंह का काम तमाम कर दें। इसी तरीके से राजस्थान में जब जनता दल और बी.जे.पी. का समझौता हुआ उस समय वहां लोगों में एक आशा जगी थी कि शायद जो पिछड़ी हुई कास्ट है उसका बेटा राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि राजस्थान में उससे पहले कभी जाट मुख्यमंत्री नहीं बना था और अब तक भी नहीं बना है। उस समय लोगों में आशा जगी थी। लेकिन अजय सिंह को दाता रामगढ़ से चुनाव लड़वा दिया और वही कारण बन गया भैरों सिंह के मुख्यमंत्री बनने का। मैं जब वहां होम मिनिस्टर के रूप में गया और मुझ से पूछा कि सम्मत क्या हाल है। मैंने कहा कि बुरी तरह हार रहा है। वे बोले यही रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। मैंने कहा एक गलत काम आप न कर लेना, बोला क्या, मैंने कहा घेर घोटकर 100 प्रतिशत आपसे काम करवायेंगे। बोला क्या काम, मैंने कहा किसी की एनाउंसमेंट मत कर देना। लोग भर जायेंगे। क्योंकि यहां के लोग जाट मुख्यमंत्री बनने की बहुत आस लगाये बैठे हैं। बोला नहीं करूंगा लेकिन आखिर में देवली या पता नहीं कौन सी जगह हाई वे पर थी वहां भैरों सिंह जी ने एक मीटिंग रख ली, जलसा रख लिया और सारा मीडिया बुला लिया। वे सीनियर और कद्दावर नेता थे, सभी आ गये। चौधरी देवी लाल जी भी वहां चले गये। आखिर मैं नीचे उतरने लगे तब उनको पता चल गया और दस्त

[श्री सम्पत सिंह]

लगवाने शुरू कर दिये कि वह तो गया हार, वह तो गया हार और बदनामी हो जायेगी। सारे घर के इकट्ठे हो गये कि यह तो मरेगा। इसका नाश हो जायेगा। कई बार कहते रहे होने दो भई होने दो। आखिर में वे दबाव में आये और पत्रकारों ने पूछा कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बोले यह लम्बा तर्डंग 7 फिट का तुम्हारे सामने खड़ा और कौन बनेगा यही बनेगा। अगले दिन हमारे जैसे जो छोटे मोटे जाट थे वे तो उसी दिन सो गये। बोला कर दिया नाश इस आदमी ने यहां आकर। इसलिए यह बताओ कि ये लोग किसको बख्शते हैं? यह शुक है कि हुड्डा साहब ने कल्याण कर दिया है और यह पीढ़ी इनको याद करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, सवाल यह नहीं है कि मेरा या राम निवास का या फौजी जी या किसी और आदमी का सी.डी. में नाम है। सवाल यहां कांग्रेस पार्टी का भी आता है। इन्होंने साजिश रचकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए यह षडयंत्र रचा है। क्रिमीनल कान्सपेरेंसी इन्होंने रची है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जिस एजेंसी पर सही मायने में जनता विश्वास करे उसके बारे में स्ट्रॉंग फैसला आज आप ले लें ताकि उस सी.डी. का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। हम यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से फैसला आये, क्योंकि आपके बारे में भी कहा जाता है कि आपके पास एक ईमानदारी का गहना है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में आप पैदा हुए हो। प्रजातंत्र में आप विश्वास रखता हो और जो आदमी जैसा दिखता है वैसा होना भी चाहिए। यह आपका विश्वास है, एक फर्म डिटेर्मिनेशन है। आप पर हमारे जैसे लोगों का कितना दबाव आता होगा लेकिन कभी भी आप द्वेषता की राजनीति नहीं करते हैं। लोग तो कई बार कहते हैं कि पता नहीं इनका क्यों इतना लम्बा मामला चलने लग रहा है। अब तक यदि कोई और मुख्यमंत्री होता तो इनको अंदर ठोक देता। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री तो ऐसे काम नहीं करता। इस तरह की बातों में इनका कोई इन्स्ट्रट नहीं है और न ही कोई लेना देना है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत सीरियस है। पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं इसीलिए इन्होंने यह क्रिमीनल कान्सपेरेंसी रची है। इस क्रिमीनल कान्सपेरेंसी की इन्क्वायरी करवाकर पता लगवायें। अगर कहीं भी मेरा पुत्र दोषी है तो उसमें अकेला पुत्र नहीं बल्कि मैं भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा पुत्र दोषी पाया गया तो दोनों बाप-बेटे सजा भुगतेंगे। मैं बाप के नाते यह आश्वासन सदन को देता हूँ। मैं डिसऑन करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहता हूँ कि यह काम सरकार का है लेकिन सरकार यह भी पता करे कि कौन लोग हैं जिन्होंने किस चीज से यह वीडियो बनाया है। क्योंकि आजकल बटन में, पैन में और दूसरी चीजों में भी वीडियो बनाने का सिस्टम आ रहा है। उन्होंने यह वीडियो क्यों बनाया है? इसके पीछे उनकी क्या इन्टेंशन है? जैसे माननीय साथी ने धीरनवास का जिक्र किया। वहां के उस लड़के का कौन सा सी.एल.यू. है? इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कोई न कोई षडयंत्रकारी है। उस लड़के से पूछा जाये कि क्या उसे कोई पैसे दिये गये, क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया। मैं यह चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी इन्वैस्टिगेशन करवायें। सी.डी. देने वाले का नाम जो इनके द्वारा दिया गया है उसकी इन्वैस्टिगेशन करवाई जाये, उसकी छानबीन करवाई जाये और उससे पूछा

17.00 बजे

जाये कि भईया क्या ये सी.डी. तेरी बनाई हुई हैं? उससे यह भी पूछा जाये कि तुझसे ये किसने और किस परपज से बनवाई हैं? क्या तुझे किसी के द्वारा इराया गया या तुझे किसी के द्वारा धमकाया गया? उससे यह भी पूछा जाये कि उसका इन सी.डी. को बनाने के पीछे क्या मकसद था? उससे भी इस बात की इन्वैस्टीगेशन की जानी चाहिए ताकि पूरे का पूरा सच सामने आ जाये। सर, मेरा तो यह इरादा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इनको नंगा करके छोड़ूंगा। मैं इनको ऐसे नहीं धूमने दूंगा। मैं हरियाणा को ऐसे नहीं चलने दूंगा। मैं इस मामले में सरकार का सिर्फ इतना ही सहयोग चाहता हूँ कि वह निडर और निष्पक्ष होकर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करे। माननीय मुख्यमंत्री जी यह न सोचे कि कल वे यह कहेंगे कि हम आपके कुलीन हैं आपने यह क्या कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज यह हमारी इज्जत का सवाल बन गया है, हमारी पार्टी की इज्जत का सवाल बन गया है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी हमारी मां होती है और हम सभी पार्टी की औलाद हैं। आज हम जो भी हैं वह पार्टी की वजह से हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जल्दी से जल्दी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवायें। जहां तक कानूनी लड़ाई की बात है मैंने तो कानूनी विशेषज्ञों से लगभग लगभग राय ले ली है। जैसा कि फौजी साहब ने कहा कि मैं भी अपनी तरफ से चाहे एफ.आई.आर. की बात हो या फिर डैफरमेशन की बात हो मैं इनको ऐसा रगड़ा लगाऊंगा कि आने वाले समय में ये अपराधी किस्म के लोग किसी ईमानदार आदमी के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत न कर सकें। कोई ईमानदार आदमी की तरफ ऊंगली करने की कोशिश न कर सके और न ही ईमानदार आदमी को कोई परेशान करने की हिम्मत कर सके। मैं यह चाहता हूँ कि इस प्रकार के एलीमेंट्स राजनीति से बाहर हो जायें ताकि हमारा प्रजातंत्र स्वच्छ हो और इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का खात्मा हो। आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री गोपाल काण्डा : स्पीकर सर, आपने मुझे बहुचर्चित सी.डी. प्रकरण पर अपने विचार प्रकट करने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे कुछ बातें तो अपने सिरसा विधान सभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों की करनी थी क्योंकि अब दूसरा विषय चल रहा है इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि उसके लिए मुझे बाद में समय दिया जाये। अब मैं सी.डी. प्रकरण के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, चौदाला जी के बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर मेरे जितने भी साथी बैठे हैं, बाहर जितने लोग खड़े हैं और मीडिया वाले साथी सब जानते हैं। जैसा कि भाई राम किशन फौजी जी ने कहा कि मैं उनको सजा दिलवाऊंगा और किसी ने कहा कि मैं उनको नंगा करूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि इनमें से किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने, उस ऊपरवाले ने उनको सजा दे दी है। अब वे बाहर ही नहीं आयेंगे। वे बाहर आयेंगे तभी तो कुछ कर पायेंगे और अगर वे बाहर ही नहीं आयेंगे तो फिर कोई उनको सजा कैसे दिलवायेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक है यह सब जानती है। अध्यक्ष महोदय, हमेशा से ही उस परिवार ने दूसरों को बदनाम करने की कोशिश की है। जो उनके बारे में यहां पर बातें कही गई हैं यह तो सारे जानते हैं क्योंकि ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। मैं तो उनकी नॉन-पॉलिटिकल बातें भी जानता हूँ जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। किसी

[श्री गोपाल काण्डा]

को भी उनके कारनामों के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा प्रदेश उनके कारनामों से वाकिफ है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछली बार मेरे बारे में यह कहा था कि गोपाल काण्डा ने दिल्ली से एक लड़की का किडनैप किया लेकिन थोड़े दिन के बाद वे इस बात से मुकर गये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये तो हमेशा से ही झूठ और लूट-खसूट की राजनीति करते आये हैं। इन लोगों की तो ऐसी-ऐसी बातें हैं जिन्हें सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपको लिखकर दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, काण्डा जी आप उन्हें लिखकर मुझे दे देना।

श्री गोपाल काण्डा : स्पीकर सर, ठीक है मैं उनके बारे में आपको लिखकर दे दूँगा। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो श्री ओम प्रकाश चौटाला और श्री अजय चौटाला को 10 साल और 17 साल की सजा हुई है यह इनके काले कारनामों को देखते हुए बहुत कम है क्योंकि जैसे इनके कारनामे हैं अगर हरियाणा प्रदेश की जनता इनको पत्थर मार-मार कर मार भी दे तो भी थोड़ा है। प्रो. सम्पत सिंह जी उनके साथ पोलिटिकली रहते थे लेकिन मैं तो नॉन पोलिटिकली ही रहा हूँ इसलिए आपके साथ ऐसी बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति ने अग्रवाल समाज के बारे में और पंजाबी विरादरी के बारे में यह बात कही है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उनको पता तो तब चलेगा जब इस प्रदेश का हर बनिया, हर अग्रवाल, हर पंजाबी जब इलैक्शन के वक्त में उनको बता देगा कि हमारे वोट में कितनी पॉवर है, कितनी ताकत है। जिनको लूटते हैं उन्हीं के बारे में कहते हैं कि उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जिन घड़ियों का जिक्र किया गया था उस बारे में मैं आपको एक अन्दर की बात बता दूँ, वे घड़ियाँ भी हांगकांग से एक बनिये से फ्री में ली गई थी। यह बात किसी को पता नहीं है। इसके साथ ही ज्यादा कुछ न कहते हुए अध्यक्ष महोदय मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर हमारे बहुत से साथियों ने जो चर्चा की वह बहुत अहम है। पिछले दो दिनों से अखबारों में जिन-जिन साथियों के नाम लिये जा रहे थे उन्होंने उसके बारे में अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से रखी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रजातांत्रिक सिस्टम है और प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं। प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कुछ गरिमाएं होती हैं। विपक्ष अपना काम करता है और कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव देता है। सरकार के कार्यों में कोई कमी दिखाई देती है तो उसके बारे में बात करता है ताकि लोगों का और भला हो सके। इसके साथ ही साथ सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि अगर विपक्ष कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे तो उस पर विचार करे तथा द्वेष भावना से काम न करे। अध्यक्ष महोदय, आज जिन साथियों ने यहाँ पर चर्चा की है वे पक्ष और विपक्ष दोनों में ही रहे हैं। जब ये उस सरकार में थे तो वे लोग किस प्रकार से द्वेष भावना से काम करते थे उनके ऊपर झूठे मुकदमों तक बनवाते थे। यहाँ पर उसके प्रत्यक्ष उदाहरण दांगी साहब और सम्पत सिंह जी भी बैठे हुये हैं तथा और भी बहुत से लोगों पर झूठे

मुकदमे बनाये गये। आज के दिन हरियाणा में बहुत से लोग मिल जायेंगे जिनके ऊपर झूठे मुकदमें बनाये गये थे। अध्यक्ष महोदय, हम भी विपक्ष में रहे और मैं भी विपक्ष का नेता रहा हूँ। प्रो. सम्पत सिंह जी उस समय सरकार में वित्त मंत्री थे। हमने बहुत से सुझाव दिये और जो बात सही थी उसको सही बताया लेकिन कभी इस किस्म की बात नहीं की, अपनी गरिमा से नहीं गिरे। राजनीति करने का कोई स्तर होता है लेकिन जिस प्रकार की राजनीति इन साथियों ने की वह ठीक नहीं है। हमारे सभी साथियों ने कहा कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यह जो सी.डी. जारी की गई है इसके जरिये इन साथियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इन सभी ने अपनी-अपनी सफाई दी है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने आरोप लगाया और हमारी बहन कविता जी भी कह रही थी कि सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि प्रदेश में सी.एल.यू. और लाईसेंस जारी करने में पैसे का आदान-प्रदान हुआ है और यही उस सी.डी. में दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो लाईसेंस देने की बात है मैं समझता हूँ कि उन साथियों से प्रदेश जो विकास कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है वह हजम नहीं हो रहा है। 14वें नम्बर से आज हरियाणा नम्बर 1 पर पहुँच गया है। प्रो. सम्पत सिंह जी बतला देंगे जब उनकी सरकार में वित्त मंत्री होते थे और बजट पेश करते थे तो कितने का बजट पेश होता था। उस समय प्लान बजट 2300 करोड़ रुपये का होता था और रिसोर्सिज मोबिलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है तो 2108 करोड़ रुपये खर्च होते थे। आज हरियाणा में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज कितने आए, आज कितने का बजट है इस बारे में चट्टा साहब बता देंगे कि इन्होंने कितना बजट दिया। आज 27 हजार करोड़ रुपये का बजट है। आठ साल में 23 सौ करोड़ से 27 हजार करोड़ रुपये का बजट आ पहुँचा है। यह बजट 23 सौ करोड़ रुपये से 27 हजार करोड़ रुपये इसलिए पहुँचा क्योंकि प्रदेश का विकास हुआ है। आज हरियाणा 14वें नम्बर से नम्बर-1 पर कैसे पहुँचा है। अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लाईसेंस दिए गए। लाईसेंस तो विकास के लिए होते हैं। हमने सारी स्टेट में जो डिवलपमेंट प्लान पास किये उसके लिए लाईसेंस दिये जाते हैं। इनका क्या काम था बिना लाईसेंस के अनअथोराइज्ड कालोनियां किसी से कटवा दी। उस समय तो इन्होंने अपने लोभ और लालच में अनअथोराइज्ड कालोनियां कटवा दी लेकिन आज वे सब अनअथोराइज्ड कालोनीज संकट में हैं। अब जो डिवलपमेंट प्लान है उसके लिए लाईसेंस दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता। इनके कार्यकाल में सन् 1999 से 2005 तक इनका न तो बजट बढ़ा और न ही प्लान बजट बढ़ा, तो फिर लोगों का विकास कैसे होगा। जब तक मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज नहीं आएंगे, आमदनी ही नहीं आयेगी तो खर्चा कहां से होगा और खर्चा नहीं होगा तो लोगों का विकास क्या करेंगे? सन् 1999 से लेकर 2005 तक सिर्फ एक विभाग टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग की बात करते हैं जिसका रिवेन्यू 662 करोड़ रुपये हुआ। हमारे समय में इसी महकमे का रिवेन्यू 10647 करोड़ रुपये हुआ है तभी हमारा बजट बढ़ा है। यह तो अनअथोराइज्ड कालोनीज काटते थे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जितने लाईसेंस दिये उसमें से 70% अकेले गुड़गांव के दिये और हमारे समय में 60% से ज्यादा लाईसेंस अदर दैन गुड़गांव छोटे-छोटे शहरों में हमने दिये हैं। रतिया में भी हमने डिवलपमेंट प्लान बनाया है। स्टेट की भी आमदनी हो, अच्छी सड़कें बनें, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनें,

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

विकास हो, वह इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरकार के खिलाफ इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है। जब ये लोगों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हरियाणा विकास कर रहा है। जाँकड़े बताते हैं कि प्लानिंग बजट में, प्लानिंग कमीशन में, प्रति व्यक्ति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में, सोशल मोबिलाईजेशन में, और प्रति व्यक्ति बजट में, प्लान बजट का एक्सपेंडीचर ये सब पैरामीटर किसी भी प्रदेश या देश के विकास के प्रतीक होते हैं उसमें हरियाणा आज पूरे देश में सबसे अज्वल है। यह इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार कैसे बन गई। सन् 2005 में जब ये सरकार में होते थे और मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन था तो इनके कितने एम.एल.ए. चुनकर आए थे केवल 9 एम.एल.ए. आए थे, 10 भी नहीं आए थे। जहाँ तक मेरा सवाल है मेरी ज्यादा व्यक्तिगत निन्दा करने की आदत नहीं है। प्रो. सम्पत सिंह ने ठीक कहा है कि इनकी सदा से यही सोच रही है कि कोई व्यक्ति नेतृत्व में उभरता हो तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें चाहे आनन्द सिंह दांगी हो, चाहे प्रो. सम्पत सिंह हो, चाहे और कोई नेता हो उसके खिलाफ मुकदमे बना देते थे। मेरे मुकाबले में तीन बार चौधरी देवी लाल जी चुनाव लड़े। वे बुजुर्ग आदमी थे, मेरे पिता जी की उम्र के थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। जब वे इस हालात में भी नहीं थे कि अपने आप चल सकें, लेकिन ओमप्रकाश चौटाला जी ने दबाव देकर मेरे खिलाफ तीन बार चुनाव लड़वाया और तीनों ही बार उनकी हार का मुँह देखना पड़ा। हालांकि उनके पास बहुत स्कोप था। जब इन्होंने देखा कि हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी आवाज उठ रही है जो हरियाणा में उनके अस्तित्व को तहस-नहस करेगी तो इस खतरे को भांपते हुए इन्होंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को मेरे खिलाफ चुनाव लड़वाया और उसका जो परिणाम सामने निकलकर आया उसके बारे में तो सभी को मालूम ही है। इन लोगों की तो सदा से ही यह सोच रही है कि किसी को उभरने न दिया जाये। दलित व पिछड़े वर्ग जोकि कांग्रेस पार्टी के स्तम्भ हैं और कांग्रेस पार्टी का सदा से ही साथ देते रहे हैं उनको भी दबाने का प्रयास इन लोगों द्वारा किया जाता है। आज जो यह सीडी प्रकरण चल रहा है यह भी हमारे दलित व बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को दबाने की एक साजिश है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं आज ऑन द फ्लोर ऑफ दि हाउस यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस सरकार में भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार के साथ चाहे हमारा कोई भी साथी क्यों न हो, चाहे मैं खुद ही क्यों न हूँ, यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। (इस समय मेर्जे थपथपाई गई।) हमारी सरकार हर वह कदम उठाने के लिए तैयार है जिससे भ्रष्टाचार का खात्मा हो। हमारे विपक्ष के साथियों को भ्रष्टाचार के खात्मे से कोई मतलब नहीं है, उनके बारे में तो जैसाकि हमारे साथियों ने भी अभी सदन में कहा है कि भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट में उन पर केस चले हुए हैं तथा कुछ को तो सजा भी हुई है और चार्जिज भी फ्रेम हुए हैं। इन लोगों ने अपने स्वार्थ को देश हित से ऊपर रखा हुआ है। हमारे खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। इन खिलाड़ियों ने क्या कसूर किया है जो आज वे ओलम्पिक में नहीं जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी (आई.ओ.सी.) ने यह साफतौर से कह दिया है कि जिस देश में खेलों से संबंधित किसी बड़े पद पर कोई ऐसा पदाधिकारी पदासीन होगा जो चार्ज

शीटिड है या जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो वह देश ओलम्पिक में भाग नहीं ले सकता है। भारतीय ओलम्पिक एसोशियेशन (आई.ओ.ए.) के अध्यक्ष का पद खेल से जुड़ा एक ऐसा ही बड़ा पद है। इस पद पर आसीन व्यक्ति चार्ज शीटिड है और उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं अतः इसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश के खिलाड़ी ओलम्पिक में भाग नहीं ले सकेंगे। हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत से हिंदुस्तान का नाम विदेशों में रोशन करते हैं। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी लगन व मेहनत से कॉमनवेल्थ गेम्स में 38 गोल्ड मैडल्स में से 22 गोल्ड मैडल प्राप्त किये थे लेकिन आज यह इन खिलाड़ियों के लिए कितने दुर्भाग्य की बात बन गई है कि ये लोग किसी पदाधिकारी की वजह से ओलम्पिक खेलों में नहीं जा सकेंगे, यह कितने अफसोस की बात है। इस तरह हमारे खिलाड़ियों का फ्यूचर क्या होगा? मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी (आई.ओ.सी.) का आभारी हूँ कि उन्होंने रेसलिंग को ओलम्पिक खेलों में शामिल कर लिया है लेकिन रेसलिंग को ओलम्पिक खेलों में शामिल करने का फायदा क्या है क्योंकि जो हिदायत अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी (आई.ओ.सी.) ने जारी की है उसके हिसाब से तो हमारे देश के खिलाड़ी ओलम्पिक गेम्स में भाग ले ही नहीं सकते हैं। हमने अपने खिलाड़ियों के लिए बड़े-बड़े इनाम रखे हुए हैं ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और वे देश-विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें लेकिन अपने स्वार्थ की खातिर इन लोगों ने खिलाड़ियों के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया है। ये लोग आने स्वार्थ से ऊपर सोच नहीं सकते हैं। जब विपक्ष सत्तारूढ़ था और हम विपक्ष में बैठा करते थे, उस वक्त हमने कुछ गरिमायें निश्चित कर रखी थी। हमने विपक्ष में रहते हुए भी कभी इस किस्म की बात नहीं की जो असंसदीय, अमर्यादित, अशोभनीय या फिर झूठ पर आधारित हो। जो बात सही होती थी वही बात हम सदन में उठाते थे। उस सही बात पर अमल करना या न करना इनके विवेक पर था। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार स्थान पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने से पूरी संस्था की ही बदनामी होती है। अतः इस तरह के व्यवहार से बचना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ दि हाउस आज साफतौर से कहा है कि इस सरकार के अन्दर यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। अगर कोई ऐसा मसला किसी के नॉलेज में है तो उस मसले को उठाने का इस सदन से बेहतर कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमारे विपक्ष के साथी इस हाउस में कोई मुद्दा उठाने की बजाय बाहर प्रेस में सी.डी.जी. जारी करते हैं, सदन में आते हैं तो प्रश्न काल को चलने नहीं देते जोकि बहुत अशोभनीय बात है। स्पीकर सर, आपने बहुत संयम से काम लेते हुए विपक्ष को कितनी ही बार अपने प्रश्न पूछने का मौका दिया। प्रश्न काल में अपने क्षेत्र/इलाके की समस्याओं को उठाया जाता है। लेकिन विपक्ष के लोगों ने बार-बार सदन का समय बर्बाद किया और प्रश्न काल जिसको सदन में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, नहीं चलने दिया। आपके लाख समझाने के बावजूद भी कि यदि आपने कोई बात उठानी है तो प्रश्न काल के बाद उठाओ लेकिन इन विपक्ष के साथियों ने प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया। इस तरह का असंसदीय और अशोभनीय व्यवहार देखकर बहुत पीड़ा होती है। अध्यक्ष महोदय, श्री भारत भूषण जी की अध्यक्षता में विधानसभा द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट जो पूरी तरह से तैयार है और सदन में पेश की जायेगी, यह रिपोर्ट विपक्ष के

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

लोगों की ट्रस्ट्स और सोसायटीज में हुए घपलों की पोल खोलेंगी। उस रिपोर्ट से ध्यान भटकाने के लिए ही इन लोगों ने सदन में इस तरह की स्थिति पैदा की है। विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले इनके ट्रस्ट्स और सोसायटीज में जितने भी घपले हुए हैं उन सबका पता तो अब सदन और हरियाणा प्रदेश की जनता को लगना ही लगना है। इस संबंध में हमारे किसी साथी का कालिंग अटेंशन मोशन भी आया हुआ है। जब इसका जवाब दिया जायेगा तो सारे सदन को इन ट्रस्ट्स और सोसायटीज में हुए घपलों का पता लग ही जायेगा कि किस तरह से सरकारी जायदाद को इन लोगों ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया है। आज हमारी बहन जी ने भी इस बात को उठाया है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जहां तक हरियाणा सरकार पर सी.एल.यू. देने के बारे में सवाल उठे हैं या लाइसेंस देने की बात आई है, पेट्रोल पंप या स्कूल के लिए सी.एल.यू. देने की बात है तो उसके लिए तो नीति निर्धारित है। उसमें यह है कि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट के पास ऐप्लीकेशन देगा, जिसकी भी दरखास्त आएगी, जो भी व्यक्ति टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करेगा, उसको सी.एल.यू. मिलेगी। ओम प्रकाश चौटाला के सगे भतीजे जगदीश ने लाइसेंस रेजीडेंशियल के लिए लिया है उसने किस एम.एल.ए. को पैसे दिए हैं। आज सुबह कविता जैन सवाल उठा रही थीं, सोनीपत में एक महावीर ट्रस्ट है उसने लाइसेंस लिया है जिसमें उनके हस्बैंड ट्रस्टी हैं उन्होंने किस एम.एल.ए. को पैसे दिए हैं। अपनी बारी हो तो पाक हैं और दूसरे की बारी हो तो वह दोषी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि साजिश के तहत यह सारा कार्य हो रहा है। जहां तक इन्होंने जो सी.डी. वाली बात उठाई है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे यहां संस्थाएं बनी हुई हैं अगर उनके पास कोई ऐसी सी.डी. है तो उसके लिए मुकदमा दर्ज कराएं, कंसेंट करें। किसने मना किया है, एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं कराते? एक संस्था लोकायुक्त की बनी हुई है उसका काम ही यही है किसी की शिकायत आए तो वे जांच करते हैं उसमें वे दरखास्त दे सकते हैं। क्यों दरखास्त नहीं देते, क्यों कंसेंट नहीं कराते? वे सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और पब्लिक में बयान देने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हरियाणा के लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने यह सब किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस कहता हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचारी हागा उसको माफ नहीं किया जाएगा। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने सभी ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और मैं भी जानता हूँ फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जिसने जो किया है उसको भुगतना चाहिए। इसी वास्ते हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि ये जो भी मामला है इसे लोकायुक्त को हम रैफर करेंगे, इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। ये लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि इनके दिलों में चोर है और मैं समझ सकता हूँ कि उनके समय में ऐसे काम होते होंगे तो वे समझते हैं कि सभी के समय में ऐसे काम होते होंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बात आपके सामने हैं कि डिस्पोजिशन ऑफ असेट्स में ये चार्जशीट हैं, चार्जशीट फ्रेम हैं लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बारे में लोकायुक्त फैसला करेगा। हरियाणा सरकार उनको रैफ्रेंस देगी कि आया इस मामले में कोई पैसे का लेन देन हुआ है और किस आदमी के कहने से सी.एल.यू. हुई कि नहीं हुई ताकि बेकसूर

आदमी को कोई बदनाम न कर पाए। हम इस मामले में लोकायुक्त को रैफ़रेंस देंगे और उनसे नतीजा लेंगे। जैसा कि संपत सिंह जी ने कहा, राम किशन फौजी ने कहा कि उनके खिलाफ क्रिमीनल डैफरमेंशन का मुकदमा दर्ज करना चाहिए ताकि वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करता हूँ कि कुछ परम्पराएँ हैं, कुछ गरिमाएँ हैं उनको कायम रखना चाहिए तभी लोगों में इस संस्था पर विश्वास रहेगा। यह तो वह बात है कि खुद चोर कोतवाल को डाँटे। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कहते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

विद्यालयों में परोसे जा रहे मिड-डे-मील के मामले संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 14 from Shri Aftab Ahmed, MLA regarding issue of Mid Day-Meal being served in Schools. I have admitted it. Shri Ram Pal Majra and Shri Ashok Kumar Arora, MLAs have also given Calling Attention Notice No. 7 on the similar subject and the same has been bracketed/clubbed with the Calling Attention Notice No. 14. They are also allowed to raise supplementary but they are not present in the House. Shri Sampat Singh, MLA had also given a Calling Attention Notice No. 34 on the similar subject. He will also be allowed to raise supplementary. Now, Shri Aftab Ahmed may read out his notice please.

श्री आफताब अहमद : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह सामान्यतः देखा गया है कि विद्यालयों में मिड-डे-मील के वितरण के संबंध में तथा मिड-डे-मील योजना की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में भी बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सरकार द्वारा प्रति वर्ष इस योजना पर कुल कितना बजट खर्च किया जा रहा है। योजना के अनुसार मिड-डे-मील की मात्रा के निर्धारण के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है। गुणवत्ता तथा स्वास्थ्यकारी अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्रियाविधि अपनाई जा रही है। मिड-डे-मील के इस फिज को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं। मिड-डे-मील योजना की कार्यप्रणाली संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। मिड-डे-मील योजना में इसे तैयार करने, वितरण करने तथा स्वास्थ्यकारी अवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं।

इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-7

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ ब्रेकटिड/क्लबड की गई

श्री राम पाल माजरा, एम.एल.ए. तथा श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए. इस

[श्री आफताब अहमद]

महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हाल ही में राज्य के राजकीय विद्यालयों में मिड-डे-मील खाने से हजारों छात्र-छात्राओं के बीमार पड़ने की खबरें दैनिक अखबारों में निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। यह घटनाएं छात्रों को वितरण किए जा रहे कुपोषित खाने व इसमें उपयोग में लाये जाने वाली बहुत ही घटिया किस्म की खाद्य सामग्री व दूषित पीने के पानी के कारण हो रही है। मिड-डे-मील के नाम पर यह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ है। सरकार की निष्क्रियता के कारण मिड-डे-मील के खाने से विद्यार्थियों के बीमार पड़ने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मिड-डे-मील में उपयोग किया जाने वाला सामान, इसे स्टोर करने की बुरी व्यवस्था तथा इसके रख-रखाव व तैयार करने में बरती जा रही लापरवाही इसके मुख्य कारण हैं। सरकार को तुरंत जागना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के जीवन व स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए मिड-डे-मील के नाम पर विद्यार्थियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोक जा सके।

इसलिए, वे निवेदन करते हैं कि सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य—

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी—

Smt. Geeta Bhukal Matanhail : Hon'le Speaker Sir, this is a very important issue raised by some of our MLAs. The National Programme of Nutritional Support for Primary Education, under which the centrally sponsored Mid Day Meal (cooked food) Scheme provides cooked food to the children of Primary Classes (I-V) and Upper Primary Classes (VI-VIII) in all the Government schools, Local Bodies and Government Aided Privately managed Primary Schools, was launched in the entire State on 15 August 2004. The main objective of the scheme over the years has been to boost universalization of Primary Education by increasing the enrolment, retention and attendance of students in schools while also simultaneously impacting positively the nutrition levels in students of primary classes.

The total approved budget for Mid Day Meal Scheme (MDMS) for the financial year 2013-14, is 35280.00 Lac (Rs.27380.00 Lacs Centre's Share + Rs. 7900.00 Lacs State's Share) of which the earmarked budget for Primary Education is Rs. 18533.45 Lac (Rs. 14333.45 Lacs Centre's Share + 4200.00 Lac State Share) and for the budget earmarked for Upper Primary Education is Rs. 16746.55 Lac (Rs. 13046.55 Lacs Centre's Share + 3700.00 Lacs State's Share).

The work of preparing and serving of Mid Day Meal to the children has been given to the Self Help Groups (SHGs). In the districts of Faridabad,

Gurgaon, Palwal (except Hathin Block) & Kurukshetra (except Shahahad & Babain Block) Mid Day Meal is being served to 2,63,000 students by ISKCON which is a Non Governmental Organization (NGO). As per the Govt. of India norms under the scheme, free food grains (Wheat/Rice) are provided by the Govt. of India through Food Corporation of India (FCI) @ 100 grams for each student per day at primary stage and 150 grams for each student per day at upper primary stage. Freshly cooked food of these cereals is provided to children on every school day. 450 calories and 12 grams of proteins for primary students and 700 calories and 20 grams of proteins for the Upper Primary student are provided through the prepared meal to children every day. The cooking cost is Rs. 3.34 per student per school day for primary students & Rs. 5.00 per student per school day for upper primary school.

This scheme is currently being executed in 9448 Primary and 5432 Upper Primary Schools. In the current financial year 13,72,547 primary students, 7,08,995 upper primary schools and 7453 students of National Child Labour Project (NCLP) school's students are getting the benefit of Mid Day Meal. Instructions have been issued by the Government from time to time for maintaining quality and hygiene and nutritional Value of the Mid Day Meal. The instructions dated 21.10.2008, 06.06.2011 and 02.04.2012 are enclosed herewith as Annexure 1,2 & 3 respectively and recently the following instructions have been issued by the Department *vide* letter No. 4/37-2013 MDM(1) dated 18-07-2013 for maintaining quality and hygiene and nutritional Value and to prevent incidents of pilferage of Mid Day Meal :—

1. Following aspects are kept in mind before lifting the foodgrains relating to Mid Day Meal :
 - (a) Quality and quantity is checked before lifting the foodgrains from Food Corporation of India depots.
 - (b) The foodgrains which are kept in open space are not lifted.
 - (c) Foodgrains are lifted from Food Corporation of India depots only.
 - (d) On the day of lifting of foodgrains the District Elementary Education Officer/Deputy District Education Officer is present. If any complaint is received regarding the quality of foodgrains, the onus will lie on the concerned officer.
 - (e) All the District Elementary Education Officers shall ensure that when the delivery of Mid Day Meal foodgrains is done by HAFED in their respective districts, member of Self Help Groups are present in the school for taking delivery of foodgrains and before taking delivery of foodgrains the weight is checked on their own weighing machine full weight of foodgrains is ensured.

[Smt. Geeta Bhukal]

2. While preparing Mid Day Meal, the following are kept in mind:
 - (a) Preparing Mid Day Meal, foodgrains are cleaned properly and the Mid Day Meal is put in neat & clean utensils. Mid Day Meal is kept in a neat & clean place and is served in hygienic manner. The sealed/packed oil/ghee of good company is used in place of open oil/ghee purchased from market.
 - (b) Mid Day Meal is prepared in kitchen only and not in open space/under tree(s).
3. Before serving Mid Day Meal the following aspects are kept in mind:
 - (a) Before serving the Mid Day Meal to the students and after taking Mid Day Meal, washing of hands with soap of all the students is being ensured.
 - (b) The recipe prepared out of 16 recipes listed by the Directorate for Mid Day Meal, are prepared in the school premises and under the supervision of school head. The Head of school ensures the quality and quantity of food and taste the Mid Day Meal himself/herself before the same is served to the students.

All the District Elementary Education Officers/Block Education Officers/Block Elementary Education Officers inspect the schools from time to time and ensure that Mid Day Meal being provided to students is neat & clean, qualitative and a daily report of it is sent to the Directorate. **(At this time Mr. Deputy Speaker occupied the chair).**

The District Elementary Education Officers of those districts where ISKCON Food Relief Foundation is providing Mid Day Meal, will issue instructions to their school heads/Mid Day Meal incharges that they will check the Mid Day Meal supplied by ISKCON Food Relief Foundation, Mid Day Meal should be received in neat & clean utensils and kept in hygienic environment, served after tasting the same. School head/Mid Day Meal incharge will taste the Mid Day Meal supplied by ISKCON Food Relief Foundation and he/she will ensure that Mid Day Meal supplied by ISKCON Food Relief Foundation is qualitative, not contaminated and prepared upto standard. If it is found "not up to the standard", ISKCON Food Relief Foundation may be intimated.

In the current financial year 46 complaints of routine nature have been received and no complaint relating to supply of poor foodgrains and supply of contaminated Mid Day Meal has been received. However, acting on a complaint of Government Primary School (GPS), Chando Kalan (Fatehabad),

GPS Tarnaspura (Fatehabad) and GPS Dhani Dhan (Fatehabad) district, 2 JBT teachers & 1 JBT head teacher have been placed under suspension, due to negligence on their part regarding the non preparation of Mid Day Meal in their respective schools. As per their report/inquiry of the DEEOs, 9 out of 14 were found false and have been filed at the Directorate level while 32 others are under consideration. Action will be taken on receipt of the inquiry report. As per procedure, on receiving the complaints from the general public and on telephone number (0172-6531244) of grievance cell which has been installed exclusively for Mid Day Meal Scheme at Directorate, the concerned District Elementary Education Officer is directed to inquire into the complaints.

Although under Mid Day Meal Scheme in Haryana, students are getting meal without interruption, yet the Government as a matter of precaution measure has taken steps for checking and monitoring the scheme by assigning duties to Head Quarter Officers, Divisional level officers and District level officers and employees engaged under this scheme who have been directed to check Mid Day Meal in five schools every week for effective implementation of the Mid Day Meal Scheme. The main functions of these committees are to guide the various implementation agencies, to monitor programme implementation, assess its impact, take corrective steps, to take action on reports of independent monitoring/evaluation agencies, to effect coordination and convergence among concerned departments, agencies (e.g. FCI) and schemes and to mobilize community support for promoting public private partnership for the programme. For proper and effective implementation of this scheme in the State, the instructions dated 07.07.2011 were also issued (Copy enclosed at Annexure 4). The members of Self Help Groups (SHGs) are also imparted one day training twice in a year. These trainings are imparted for educating the SHGs for maintaining storage of food grains, maintaining of proper records related to the Mid Day Meal Scheme and preparing Mid Day Meal in a hygienic manner. The total No. of cook cum helpers is 31596. In the month of October 10, 2012) cum cook-cum-helpers were given training on personal hygiene and nutrition by the Chef of Oberoi Hotel at Delhi and in the month of January 2013, one day training session (on pilot basis) was organized in Govt. Senior Secondary School Akbarpur Barota of Sonapat where 15 cooks were given training on cooking by the Chef of Oberoi Hotel Delhi and in the current financial year 18 cooks cum helper were given training on personal hygienic and nutrition by the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Jyotisar, Kurukshetra. Similar training will soon be imparted by the State Institute of Hotel Management, Tilyar Lake, Rohtak in the near future.

The reported incidence of students falling ill is not due to consuming the Mid Day Meal. For arrangement of storage of foodgrains, 18320 containers have been provided for proper storage of foodgrains and all the District Elementary Education Officers have been requested to send their demands of containers for the remaining schools.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से मेरे कालिंग अटेंशन मोशन का जवाब दिया है। इसमें मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि शिकायतों की रिइसल के लिए मैकेनिज्म का क्या प्रावधान रखा है? मिड डे मील में कई राज्यों में बहुत से इंसीडेंट्स हुए हैं जहाँ बहुत से मासूम बच्चों को जानें गवानी पड़ी है जिससे पूरे महकमें और सरकार की बदनामी हुई है। सौभाग्य से हमारे राज्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मैं चाहता हूँ कि जो अफसरान हैं वे पीरियोडिकली इस सिस्टम में चैकिंग करें और उनकी जिम्मेवारी भी फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो कम्युनिटी किचन होती हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई न कोई लापरवाही हो सकती है। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें सुधार करने के लिए चैकिंग रेगुलर होनी चाहिए। इससे आने वाले समय में फूड की गुणवत्ता भी आयेगी और हाईजैनिक फूड बच्चों को मिलेगी लेकिन इसमें रेगुलर चैकिंग होनी चाहिए। मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है।

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी भाई आफताब अहमद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने लेकर आये हैं। मैं इस बारे में पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि श्री पल्लम राजू जी जोकि हमारे एच.आर.डी. मिनिस्टर हैं हमने इस संबंध में उनसे बात की है कि नैशनल लेवल पर भी इस मामले में कोई मॉनीटरिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना चाहिए। राईट टू एजुकेशन एक्ट पास हो जाने के बाद हमारी यह जिम्मेवारी भी है कि हम शिक्षा के साथ-साथ अपने विद्यार्थियों को अच्छा एवं पौष्टिक भोजन दें। इस समय तो हमारी यू.पी.ए. गवर्नमेंट राईट टू फूड एक्ट भी लेकर आ चुकी है। जो माननीय सदस्य ने ट्रेनिंग और मॉनीटरिंग की बातें कही हैं मैं भी मानती हूँ कि ये दोनों बातें आज के संदर्भ में बहुत जरूरी हैं। हमने इसके लिए सुनिश्चित प्रयास किये हैं। इसके अंतर्गत हमने अपना हैल्प लाईन नम्बर बहुत पहले से शुरू किया हुआ है। इसके साथ-साथ हमारा स्वयं का ई-मेल एड्रेस भी है। इसके अलावा भी हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम और मॉनीटरिंग स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया हुआ है जोकि विभिन्न स्तरों जैसे डायरेक्टोरेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर कार्यरत है। इसके तहत हमने एक जनरल मैनेजर, एक जनरल मैनेजर एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 मॉनीटरिंग ऑफिसर्स, 40 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, जिला स्तर पर 40 एकाऊंटस एग्जीक्यूटिव्स और ब्लॉक लेवल पर कांट्रैक्ट बेस पर 119 एकाऊंटस एग्जीक्यूटिव्स नियुक्त किये हुए हैं जो कि रेगुलर स्टाफ के अतिरिक्त हैं जो कि इस स्कीम की बैटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। हमने इस स्कीम को Management and Monitoring Evaluation of Mid-Day Meal का नाम दिया है जिसके लिए हमने यह स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मिड-डे मील की जो सप्लाई है वह Food Corporation of India से हमारे पास आती है जो कि हैफड के माध्यम से हमारे स्कूलों में पहुंचती है। इस मामले में हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर कहीं भी चावल, गेहूँ, दाल या अन्य किसी खाद्य पदार्थ की क्वालिटी पुअर है तो इसके लिए हमने हमारे ऑफिसर्स को और सैल्फ हैल्प ग्रुप के मैम्बर्स को ये हिदायतें जारी की हुई है कि वे इस प्रकार की सप्लाई लेने से साफ तौर पर इनकार कर दें और अगर इस प्रकार की वस्तुओं का सप्लाई लेने के बाद पता चलता है या फिर गलती से इस प्रकार की सप्लाई आ भी जाती है तो वे इस बात को इन्श्योर करें कि इस प्रकार

के अनाजों और दूसरी वस्तुओं का खाना वे बिल्कुल भी न बनायें। हमने इस परपज के लिए हेड ऑफिस से भी चार आफिसर्स को रेगुलरली चैक अप के लिए आदेश जारी किये हुए हैं जो कि समय-समय पर इसकी चैकिंग करते हैं। वे यह भी चैक करते हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरह से बैटर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को भी हम इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं। वाकई में ही यह पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना कि जब बिहार में इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 22 बच्चों की पोयजनस खाना खाने के कारण डैथ हो गई। इस पूरे मामले की जांच के बाद जो तथ्य सामने आये हैं उनसे यह पता चलता है कि यह हादसा मिड-डे मील में कमी की वजह से नहीं हुआ बल्कि किसी पोयजन के किसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में मिल जाने के कारण यह हादसा हुआ। यह एक बहुत ही बड़ा गम्भीर मसला है क्योंकि हम अपने नौनिहालों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके साथ ही साथ हमें उनकी सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त तौर पर निर्देश दिये हैं जिसके तहत इस समय हमारे सभी स्कूलों में बच्चों के हैल्थ की चैक अप का प्रोग्राम चल रहा है। शुक्रवार को एक कालिंग अटेंशन मोशन इस बारे में भी लगा हुआ था कि हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत ज्यादा बच्चे एनैमिक हैं, उनके दांत खराब हैं, उनके पेट में कीड़े हैं और उनमें खून की भी काफी ज्यादा कमी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत बच्चों का मेडिकल हैल्थ चैक अप चल रहा है। इसमें यह बात निकलकर आई कि यह हमारे बच्चों के लिए अति आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया और न्यूट्रीशियस फूड दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहूंगी कि पहले हमारे स्कूलों में केवल पांच प्रकार की चीजें जैसे मीठा दलिया या खिचड़ी इत्यादि प्रोवाइड की जाती थीं। शायद बच्चों को यह पसंद भी नहीं था। अब हमने मिड-डे मील में फोर्टीफाईड चीजों को शामिल किया है। इसके तहत हम बच्चों को फोर्टीफाईड सात्त और क्रशड सोयाबीन दे रहे हैं। इसके अलावा मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगी कि हमने मिड-डे मील के मीनू की आईटम्स की संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2010-11 से 16 कर दिया है। इस प्रकार से इसमें आठ आईटम्स व्हीट बेस्ड हैं जिसमें मौसमी सब्जी के साथ रोटी है, हलवा, काला चना, दाल और रोटी, आलू परांठा, मीठा दलिया, आटे की सेवईयां, आलू-मटर की सब्जी के साथ रोटी और मौसमी सब्जियों के साथ भरवां परांठा इत्यादि चीजें हम अपने विद्यार्थियों को मिड-डे मील में दे रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें हमारा राईस बेस्ड मीनू है जिसमें हम सब्जियों के साथ पुलाव देते हैं, पौष्टिक खिचड़ी देते हैं, दाल और चावल देते हैं, चावल और कढ़ी देते हैं, चावल और राजमा देते हैं, चावल और काला चना देते हैं, आलू, खीर और सफेद चना इत्यादि देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि चाहे बिहार का मामला हो या फिर तमिलनाडु इत्यादि देश के दूसरे राज्यों में मिड-डे मील के संबंध में घटी दुर्घटनाएं हों इनको देखते हुए हमारी सरकार ने मिड-डे मील की व्यवस्था को बहुत गम्भीरता से लिया है। हमने जहां इसकी मॉनीटरिंग को दुरुस्त किया वहां मैंने विभिन्न स्थानों पर खुद भी इस संबंध में चैकिंग की। हमारे स्कूलों में किस प्रकार से इन खाद्य वस्तुओं का किस प्रकार से भण्डारण किया जा रहा है और वहां पर खाद्य वस्तुओं की क्वालिटी कैसी है यह मैंने खुद भी चैक किया है। इसके अलावा मैंने तैयार खाने को स्वयं

[श्रीमती गीता भुक्कल]

भी खाकर देखा और अपने अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई कि स्कूलों में मिड-डे मील के तहत जो खाना दिया जा रहा है वे यह चेक करें कि क्या वह हाईजैनिक तरीके से बनाया जा रहा है और हाईजैनिक तरीके से ही हमारे बच्चों को दिया जा रहा है। हमने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मैनटेन रखने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है ताकि बच्चों को अच्छा व पौष्टिक खाना मिले। सख्त आदेशों के साथ हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे स्कूल का हैड है खाना उसके सुपरविजन में बने और बच्चों को सर्व किये जाने से पहले वह उसको खाकर चेक भी करे। जैसा कि पहले हमारे स्कूलों में मिड-डे मील की खाद्य वस्तुएं बोरियों में ही पड़ी रहती थी जिस कारण वह अनाज और दूसरी वस्तुएं खराब हो जाया करती थी इस समस्या को दूर करने के लिए हमने स्कूलों में मैटेल्क बेस की व्यवस्था करवा दी है ताकि हमारा गेहूं, चावल और दूसरी खाद्य वस्तुएं सही ढंग से स्टोर हो सकें। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो रोटी-दाल योजना है जिसे गरीबों के लिए शुरू किया जा रहा है वह बहुत अच्छी है। हम यह चाहते हैं कि उसमें जो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाल मिलेगी हमने भी यह अनुरोध किया है कि हमारे स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील के लिए भी इसी रेट पर दाल हमें उपलब्ध करवाई जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं उनसे मैं एक अनुरोध अवश्य करना चाहूंगी, मैंने हमारे जो एच.आर.डी. मिनिस्टर हैं उनसे भी अनुरोध किया था कि जो हैल्पर-कम-कुक हैं जिनको हम कुल 1150/- रुपये का ऑनरेरियम देते हैं। उसमें से 750/- रुपये केन्द्र का शेयर है और लगभग 400/- रुपये के करीब स्टेट शेयर देती है। 1 से 25 बच्चों की संख्या तक एक कुक का प्रावधान है तथा 26 से 100 तक 2 कुक रखे जाते हैं और 100 से ऊपर प्रति 100 पर 1 कुक अतिरिक्त दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारे जो हैल्पर-कम-कुक हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाये ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकें। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन दे सकें। हमने यह भी इन्क्योर किया है कि जहां से भी हमें कोई भी शिकायत आती है तो उस पर विभाग की तरफ से तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, मिड-डे मील स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। हमारी जो यू.पी.ए. सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था इसका मुख्य उद्देश्य लिट्रेसी रेट को इन्क्रीज करना था। मिड-डे मील सर्व हो रहा है तो उसको सर्व करने का उद्देश्य यह था कि बच्चा स्कूल जाये, वहां जाकर उसको अच्छी शिक्षा मिले तथा बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़े और ड्रॉप-आउट्स कम हो। मैं ज्यादा डिटेल् में न जाते हुए बताना चाहता हूं कि जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय हमारा लिट्रेसी रेट 12% था, उसके बाद 2011 में लिट्रेसी रेट 74% था और जब से यह मिड-डे-मील स्कीम चली है तब से यह बढ़कर 2012 में 82.14% लड़कों का और लड़कियों का लिट्रेसी रेट 65.43% तक पहुंच गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ड्रॉप-आउट रेट के बारे में भी पूछना चाहता हूं कि ड्रॉप-आउट रेट बढ़ा है या घटा है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम मिड-डे मील सर्व करते हैं तो इसीलिए सर्व करते हैं कि बच्चों को एक अट्रैक्शन हो और स्कूल में भोजन

मिले और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। कृपया मंत्री जी बतायें कि पिछले 2, 3 सालों में स्कूलों में ड्रॉप-आउट रेट बढ़ा है या घटा है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जो मिड-डे मील योजना है उसका मतलब एनरोलमेंट रिटेंशन यानी बच्चों को रखना और उनकी हाजिरी को इन्श्योर भी करना है। राइट-टू-एजुकेशन एक्ट आने के बाद हर बच्चे को जहां मुफ्त में कॉपी, किताब और वर्दी दी जा रही है वहीं पर बढ़िया खाना देने का भी उसमें प्रावधान है। इससे जहां बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट कंट्रोल हुआ है वहीं पर उनका एडमिशन और रिटेंशन रेट बढ़ा है।

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, मिड-डे मील योजना बहुत अच्छी योजना है और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब जिलावार मोनिट्रिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें यह शिकायत आती है कि खाना खुले में बनता है। जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में मिड-डे मील की घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए जहां रसोई नहीं बनी है वहां पर रसोई बनाई जायें। इस बारे में सभी जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई जायें। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है कि हम हैल्पर-कम-कुकों के वेतन में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो मैं उसके लिए मंत्री जी की सराहना करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, please look into these demands.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय साथी ने कहा कि खाना खुले में बनता है। यह बात सही है कि पहले खाना खुले में बनता था। पहले रसोई का प्रावधान नहीं था। आज के दिन 6434 किचन-कम-स्टोर का निर्माण कम्पलीट हो चुका है और 1505 का निर्माण कार्य तरक्की पर है और हम इन्श्योर करेंगे कि हमारे हर स्कूल में किचन अच्छी बने ताकि बच्चों को प्रोपर हाईजैनिक तरीके से तैयार किया हुआ खाना मिल सके।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 को अस्थगित करना

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, the House is shortly going to adjourn and there is a little time left today to take up this Calling Attention Notice No.12 given by Shri Naresh Sharma, MLA regarding irregularities/illegalities committed in transferring of Government properties to various Trusts between 1999-2005. Therefore, I would request you to take the sense of the House to defer this Calling Attention Motion Notice for tomorrow.

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that this Calling Attention Motion Notice 12 be deferred for tomorrow?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The Calling Attention Notice No. 12 given notice of by Shri Naresh Sharma, M LA regarding irregularities/illegalities committed in transferring of Government properties to various Trusts between 1999- 2005 is deferred and will be taken up tomorrow.

अनुपस्थिति सम्बन्धी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Rao Yadavendra Singh, MLA in which he has expressed his inability to attend the sittings of the House on 9th September, 2013 and 10th September, 2013 due to his personal commitments.

वर्ष 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-11 के लिए अनुदानों/प्रभारों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the Finance Minister will present the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to present the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Honble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

(i) Demands for the year 2008-2009

That a grant of a sum not exceeding ₹ 11,45,87,266/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding ₹ 86,04,74,019/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Buildings & Roads.

वर्ष 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-11 के लिए अनुदानों/प्रभारों (2)89
तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना चर्चा तथा मतदान

That a grant of a sum not exceeding ₹19,81,69,137/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of **Medical & Public Health.**

That a grant of a sum not exceeding ₹ 171,01,14,868/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of **Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding ₹ 1,76,75,027/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of **Forests.**

That a grant of a sum not exceeding ₹ 750/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of **Cooperation.**

(ii) Demands for the year 2009-2010

That a grant of a sum not exceeding ₹ 194,62,17,581/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2009-2010 in respect of **Finance.**

That a grant of a sum not exceeding ₹ 61,75,64,262/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2009-2010 in respect of **Medical & Public Health.**

That a grant of a sum not exceeding ₹ 177,25,38,840/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2009-2010 in respect of **Irrigation.**

(iii) Demands for the year 2010-2011

That a grant of a sum not exceeding ₹ 20,21,82,496/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2010 & 2011 in respect of **Finance.**

That a grant of a sum not exceeding ₹ 198,58,13,506/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2010-2011 in respect of **Irrigation.**

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker : Hon'ble members, I shall put various demands for the year 2008-2009 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 11,45,87,266/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 86,04,74,019/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Buildings & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 19,81,59,137/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding ₹ 171,01,14,868/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding ₹ 1,76,75,027/ be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-09 in respect of Forests.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 750/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2008-2009 in respect of Cooperation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Member, now I shall put the various demands for the year 2009-2010 to the vote of the House.

Mr Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 194,62,17,581/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2009-2010 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding ₹ 61,75,64,262/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2009-2010 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 177,25,38,840/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2009-2010 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble members, now I shall put the various demands for the years 2010-11 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 20,21,82,496/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2010-2011 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding ₹ 198,58,13,506/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2010-2011 in respect of Irrigation.

The motion is carried.

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (First Installment) 2013-2014.

[Mr. Speaker]

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Installment) 2013-2014.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Rao Dharampal, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Installment) 2013-2014.

Rao Dharampal Singh (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Installment) 2013-2014.

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates (First Installment) for the year 2013-2014 will take place.

As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands on the order paper No.2 to 8, 13, 15, 19 to 21, 23, 25, 30 to 33, 35 to 38, 40, 42, 43 & 45 will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,01,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 4,82,46,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 3-General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 9,14,20,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 4- Revenue.**

That a supplementary sum not exceeding ₹ 5,12,40,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों (2)93
पर चर्चा तथा मतदान

in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,05,42,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 6- Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **35,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 7-Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **7,00,000/-** for revenue expenditure and ₹ **500,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,66,93,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 13-Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **70,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 15- Local Government.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **12,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **38,07,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 20- Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,42,02,000/-** for revenue expenditure and ₹ **7,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 21- Women and Child Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **108,27,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 23- Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **96,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will

[Mr. Speaker]

come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 25- Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 1,75,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 30- Forest and Wild Life.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 17,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 31-Ecology and Environment.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 28,05,51,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 32- Rural and Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 16,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 33- Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 1,30,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 35- Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 41,42,95,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 36- Home.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 4,45,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 37- Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 2,000/-** for revenue expenditure and **₹ 8,11,98,000** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 38- Public Health and Water Supply.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 458,10,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 40- Energy & Power.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 8,67,40,000/-** for revenue

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों (2)95 पर चर्चा तथा मतदान

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 42- Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 21,11,10,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 43- Prisons.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 5,74,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 45- Loans and Advances by State Government.**

श्री. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से डिमांड नं. 2, 4, 13, 15, 19, 23, 35, 36, 38, 40 तथा डिमांड नं. 43 पर अपने संक्षिप्त विचार सदन में रखना चाहता हूँ। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं डिमांड नं. 4 जोकि रिवेन्यू से रिलेटिड है, पर अपने विचार सदन में रखना चाहता हूँ। स्पीकर सर, आप एक बहुत अच्छे वकील तथा जनता से जुड़े व्यक्ति रहे हैं। मैं आपका ध्यान लम्बित पड़े हुए रिवेन्यू केसिज की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं कि रिवेन्यू के जो केसिज हैं वह बहुत लंबे-लंबे समय तक लटकते रहते हैं और काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पाते हैं। फैमिली पार्टिशन के रिवेन्यू केसिज में तो मर्डर तक भी हो जाते हैं। जैसाकि आपको पता ही है कि खेवट बड़ी होती जा रही है। अखबारों ने इस संबंध में एक दुष्प्रचार भी किया गया था। मान लो किसी का 1/1632 हिस्सा है उसमें से किसी को एक रुपया तथा किसी को दो रुपया ही प्राप्त होता है लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल क्लीयर कह दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 500 रुपये हिस्से के तौर पर अवश्य दिये जायें। मान लो कि एक जमीन के 1632 हिस्सेदार हैं और उस जमीन पर उगी फसल पर ओले पड़ जाते हैं और मुआवजा राशि बनती है 80 हजार रुपये तो 1632 हिस्सेदारों में यह 80 हजार रुपये की राशि किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगी? उनके हिस्से तो कुछ भी नहीं आयेगा। मैं चाहता हूँ कि जो रिवेन्यू से रिलेटिड केसिज हैं उनको टाइम बाउंड किया जाये। एक निश्चित समयावधि निश्चित की जाये कि तहसीलदार रिवेन्यू केस को इतने दिन के अन्दर फाइनल करेगा और कमिश्नर रिवेन्यू केस को इतने दिन में फाइनल करेगा और एफ. सी. इतने दिन में फाइनल करेगा। प्रायः यह देखा गया है कि 20-20 साल तक लोगों के रिवेन्यू केसिज पैडिंग पड़े रहते हैं और सालों-साल झगड़े चलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि रिवेन्यू केसिज के संबंध में कोई ऐसा प्रोविजन किया जाये कि इस तरह के केसिज के लिए टाइम बाउंड कर दिया जाये। सर, इसके बाद मैं थोड़ा सा इन्फोर्मेट करना चाहता हूँ। मैं आपकी परमिशन से डिमांड नं. 2 पर अपने विचार रखना चाहता हूँ जोकि गर्वनर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ से बनते हैं उसकी पहली कड़ी एम.एल.ए. होता है। वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में एम.एल.ए. के इमोल्त्यूमेंट्स/फैसिलिटिज वगैरज बढ़ाई गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमाचल प्रदेश के

[प्रो. सम्पत सिंह]

मंत्रियों और विधायकों के वेतनभत्तों में जो बढ़ोतरी की गई है उसकी तर्ज पर हरियाणा के मंत्रियों और विधायकों के वेतनमान और भत्ते भी संशोधित किये जायें। इसके साथ ही साथ इनके वेतन के साथ-साथ स्पोर्ट रिसर्च और अन्य तमाम मदों में भी बढ़ोतरी की जाये क्योंकि पर्सज के लिए तन्खाह बहुत महत्व रखती है। बेईमान व्यक्ति के लिए तन्खाह का कोई महत्व नहीं होता है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जो हमारे भत्ते या सैलरी है उनके आप जितना उचित समझते हैं इजाफा करें। मैं आपके सामने कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर रहा हूँ। आजकल एक एम.एल.ए. को तैयारी करने के लिए कुछ चीजों पर रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है जिन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके ऑफिस के खर्चे होते हैं, उनके पास कांस्टीब्युएँसी से लोग मिलने आते हैं उन पर भी खर्च होता है। अतः मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि समय की मांग बन गया है। आपको पता ही है कि हमारे पास कितना समय होता है? कोई धंधा हम नहीं कर सकते हैं, बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो 24 घंटे केवल जनता की सेवा के लिए ही बने हैं। हमारे वेतन भत्ते बढ़ाने से मैं मानता हूँ कि अखबारों में भी

18.00 बजे दो दिन खबरें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लिए तो कोई कमीशन भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि हमारे लिए भी कोई कमीशन अच्चायंट कर दो। इम्प्लौयीज के लिए तो पांचवा वेतन आयोग बैठा, छठा वेतन आयोग बैठा। उनको तो समय-समय पर पे स्केल मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हमारे लिए भी चाहे कोई कमीशन बैठा दें वह हमें जनता की सेवा करने के लिए जो इमौल्युमेंट्स तय कर दे, वह हमें मंजूर होंगे। अध्यक्ष महोदय, डिमांड नंबर-2 वैसे तो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ से बनते हैं वह एम.एल.ए. से ही बनते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही अनुमति ले ली थी कि मैं कुछ इन्फोर्चमेंट कर रहा हूँ और इसलिए मैंने डिमांड नंबर 2 के माध्यम से अपनी बात कही है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं डिमांड नंबर 13 पर हैल्थ के बारे में बोलना चाहता हूँ। सर, हैल्थ पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी को फ्री और प्रोपर मैडीसिज दी जा रही है और अच्छी क्वालिटी की मैडीसिज दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी होस्पिटल वैल इक्विप्ट होने चाहिए। सभी सब सेंटर्ज वैल इक्विप्ट होने चाहिए। जिन होस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं उनको चाहे बंद कर दीजिए। जिस तरह से 102 नंबर पर वैन चल पड़ी है उसी तरह की कुछ वैन और लगा दी जाए ताकि जिस अस्पताल में डॉक्टर हो वहाँ मरीज को ये वैन ले जा सके, वह ज्यादा बेहतर है। इससे वहाँ पेशेन्ट का इलाज हो सकेगा। आज हमारे यहाँ के होस्पिटल रैफ्रल होस्पिटल बन कर रह गए हैं चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लैवल के होस्पिटल हैं या सब डिवीजन लैवल के होस्पिटल हैं, वहाँ पूरे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिसार के अस्पताल का वैटीलेटर काफी टाइम तक बंद पड़ा रहा। कई सालों से बहन सुमिता सिंह करनाल के बारे में प्रश्न उठा रही है कि उनके करनाल में दो वैटीलेटर कई साल से खरीदे पड़े रहे लेकिन ऑपरेटर न होने की वजह से नहीं चल सके और वह सील बंद रहे। इसी तरह से हिसार का वैटीलेटर ऑपरेटर न होने की वजह से बंद पड़ा था इसलिए उसको पी.जी.आई. रोहतक में भेज दिया गया ताकि उसकी यूटीलाइजेशन हो सके। लोग तो यह भी कह देंगे कि पी.जी.आई.

रोहतक में वैंटीलेटर भेज दिया, क्यों भेज दिया लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हिसार में उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था इसलिए भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि असैट्स का प्रोपर यूज होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लैवल के हॉस्पिटल्ज और सब डिवीजन के हॉस्पिटल वैल इक्विपड होने चाहिए। मैंने सरकार को कई बार लिखा है कि इतने हमारे हॉस्पिटल हैं, इतने में बिल्डिंग काम नहीं कर रही हैं और इतने में हमारी पी.एच.सीज. नॉन फंक्शनल हैं। इस बारे में जब भारत सरकार के मैंने आंकड़े पढ़े तो मुझे बहुत अचम्भा हुआ कि किस किस स्टेट में कितनी पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. नॉन फंक्शनल हैं। वह हैडिंग देखकर मैं चौकन्ना हो गया कि हमारे यहां पी.एच.सीज. नॉन फंक्शनल भी हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको फंक्शनल बनाएं या उनको बंद करें। सब सैंटर्स का लैवल मजबूत करें, चाहे आप नयी पी.एच.सी. अब न खोलें लेकिन जो खोलें उनके अंदर प्रोपर डाक्टर्स अवेलेबल हों। हर चीज के लिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। हर चीज के लिए मैडिकल कॉलेज रोहतक भेजना या चंडीगढ़ भेजना या ऐम्स में भेजने से बात नहीं बनती है। गरीब आदमी के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि रैफरल की बजाय सही मानों में अस्पताल हों। आज स्थिति यह है कि कहीं ऑपरेशन थियेटर काम नहीं कर रहा है, कहीं अटैण्डेंट नहीं हैं, कहीं ऑपरेटर नहीं है। इससे तो अच्छा है कि ऐसी पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. को सरकार बंद कर दे और जो वैन हैं वह फ्रिक्वेंटली चलती रहें। जैसे मैंने शिक्षा विभाग के बारे में राय दी थी उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। अब मैं डिमांड नंबर 15 जो कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में है उस पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। अनअथोराइज्ड कालोनीज के बारे में प्रश्नकाल में आज सुबह कप्तान साहब भी बोल रहे थे। जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं उनके बारे में सरकार कानून बनाने जा रही है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और अनअथोराइज्ड कालोनीज को सरकार ने रेगुलर कर दिया था। इसे मैं सरकार की ही मेहरबानी मानता हूँ लेकिन कुछ कानूनी अड़चन के कारण उसमें स्टे मिल गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून को बनायें और इन कालोनियों को रेगुलराइज करें। सर, रजिस्ट्री का काम हमारे लिए बहुत भयानक काम हो गया है। स्पीकर सर, हम और आप तो ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कई रास्ते बेईमानी के घक्के से खुल जाते हैं और अनाधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्रियां हो जाती हैं क्योंकि सारे लोग साफ और ईमानदार नहीं होते। अगर आप रेवेन्यू विभाग से पूछेंगे तो श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी तो जानते हैं कि इन्होंने कितने नायब तहसीलदारों को चार्जशीट किया है लेकिन फिर भी कमजोरियां और कमियां पाई जाती हैं। किसी भी रीजन से चाहे वह पैसे के बल पर या किसी और लाभ के लिए रजिस्ट्रियां कर दी जाती हैं। कानून बन जाने से यह कलंक भी मिट जायेगा और आम आदमी उस मकान का मालिक भी बन जायेगा वरना क्या हो रहा है कि कोई किसी का सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है, कोई पावर आफ अटोर्नी ला रहा है और कोई नम्बर चेंज करा रहा है। कोई सोसायटी फ्लैट का एक नम्बर दे रही है कोई दो नम्बर दे रही है और वह बार-बार कई आदमियों के नाम चढ़े जा रही है। स्पीकर सर, आप भी कई जगह जाते हैं क्योंकि आप भी पब्लिक मैन हो। जिस भी शहर के अन्दर जाते हो हर शहर और गांव में गरीब आदमी बसते हैं चाहे वह माईग्रेंट होकर आया है चाहे वह रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी है या वह छोटा मुलाजिम है ऐसे गरीब लोग ही ऐसी कालोनियों में

[प्रो. सम्पत सिंह]

रहते हैं हम जिन्हें अनाधिकृत कालोनी कहते हैं। कोलोनाइज़र तो अपनी कालोनी काटकर चले गये। वे तो अपना पैसा खा गये और हज्म कर गये लेकिन गरीब आदमी उन कालोनियों में फंस गया। एक तरफ तो इन कालोनियों में सरकार कोई फ़ैसिलिटी नहीं दे पाती और बाद में उसको धक्का बस्ती कहते हैं इसलिए यह धक्का बस्ती वाला कलंक मिट जाना चाहिए। इस तरह का कानून सरकार को जल्दी लाना चाहिए।

अब मैं मांग नं० 19 के बारे में कहना चाहता हूँ। यह अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम है। जितना हरियाणा प्रदेश में पैसा दिया जाता है और इतनी संख्या में लड़के लाभान्वित होते हैं वह अपने आप में हिन्दुस्तान में एक रिकार्ड की बात है। इस बारे में कई बार शिकायत भी आती है कि पैसा टाइम पर नहीं मिलता इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे पैसा कम कर दो लेकिन यह पैसा हर महीने बच्चों को मिलना चाहिए क्योंकि इससे काफी संख्या में बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और यह पैसा समय पर न मिलने से बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है।

अब मैं मांग नं० 23 पर बोलना चाहता हूँ। यह मांग फूड एण्ड सप्लाय विभाग से संबंधित है। यह एक कड़वा सच है जो हमारी सरकार ने किया है। इस विभाग में जो कैरोसीन बांटा जा रहा है वह पूरा कैरोसीन तो यूज नहीं हो रहा है। देहात में इसका जो परप्ज है वह सारा का सारा फेल है। आज कोई आदमी कैरोसीन यूज नहीं करता। हमारे पास शिकायत आती है कि हमारे डिपो में कैरोसीन नहीं आता। मैंने कहा कि मैं शाम को आपके गांव में आऊंगा आप मुझे बता देना कि क्या किसी घर में कैरोसीन प्रयोग करते हो? तब ये लोग पीछे हट गये और कहने लगे कि प्रयोग तो नहीं लेते जी। मैंने कहा कि फिर आपको कैरोसीन की क्या जरूरत है? स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूँ कि आप शहरों में और गांवों में गरीब आदमियों और मजदूरों को सब्सिडाइज्ड रेट पर गैस देने का प्रावधान करें। एक तो कैरोसीन को विदड़ा करके जैसे दिल्ली सरकार ने विदड़ा किया है। श्रीमती शीला दीक्षित ने हिम्मत दिखाई है। हमें भी हिम्मत दिखानी चाहिए। यह कोई बुराई वाली बात नहीं है। श्री महेन्द्र प्रताप जी एक बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं, एक ईमानदार आदमी हैं और बिल्कुल इंटीग्रेटी वाले मंत्री हैं। लेकिन ये अकेले क्या कर सकते हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आप अपने हल्के में अकेले क्या कर सकते हैं। जो कैरोसीन दिया जा रहा है वह आम आदमी के पास नहीं जा रहा है। बल्कि वह बाहर ही बिक रहा है। इससे सरकार की बदनामी भी हो रही है और सरकार का पैसा भी जाया हो रहा है। इसको किसी तरीके से चाहे भारत सरकार से बातचीत करें। अगर आप से संबंधित है तो आप बात करें। इसमें चाहे आप गैस के अन्दर सब्सिडी दिला दें या फिर गरीब आदमियों को गैस चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट दिला दें या फिर डीजल के अन्दर सब्सिडी दिला दें। ये दोनों चीजें आम आदमी को फायदा देंगी। यह कैरोसीन तो किसान के जड़ में बैठ रही है। किसान पेट्रोल पम्पों पर जहां भी जाता है तो उसकी मशीन बैठ जाती है, ट्रैक्टर बैठ जाता है उसकी मशीन का सत्यानाश हो जाता है और न उसका वह कर्जा चुका पाता है। आज डेली यूज के लिए कैरोसीन मिल ही नहीं रहा है। इसमें दिक्कत ही आ जाती है।

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों (2)99
पर चर्चा तथा मतदान

अब मैं डिमाण्ड नं० 35 के बारे में कहना चाहता हूँ जोकि टूरिज्म से संबंधित है। मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता क्योंकि यह मांग मैंने पिछली बार भी रखी थी। इसके बारे में मेरी एक मांग है। हमारे पार्लियामेंट्री एफेयर्स मंत्री जी हमारे बीच में नहीं बैठे हैं यह मांग उनके इलाके की है लेकिन मांग हमारी सबकी है जब भी हम चण्डीगढ़ से चलते हैं। हम हाइवे पर जाएं तो हम देखते हैं कि हर जगह हरियाणा का टूरिज्म बैस्ट है। हिन्दुस्तान में हरियाणा का टूरिज्म सबसे बढ़िया है हालांकि हमारे पास कोई नैचुरल स्पोर्ट नहीं है। हमारी अपनी सरकार की बनाई हुई स्पोर्ट्स हैं फिर भी हमारा टूरिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछली बार मैंने कन्वेंशनल हाल का जिक्र किया था और मैंने देखा है कि काफी जगहों पर कन्वेंशनल हाल बन रहे हैं। कैथल के अंदर जो कोयल टूरिज्म काम्प्लैक्स है वह कैथल के अंदर है और बाहर बाई पास पर कोई टूरिज्म काम्प्लैक्स नहीं है। हिसार तक जब हम जाते हैं तो पेट्रोल पम्प पर टॉयलैट के लिए जा सकते हैं वरना कोई टूरिज्म काम्प्लैक्स नहीं है। पेहवा में टूरिज्म काम्प्लैक्स है लेकिन वह जंगल में है और अर्बंडन टाइप मड़ा हुआ है। चट्टा जी को पता है कि वहां कोई नहीं जाता है और वहां ऐसे जैसे लोग ही जाते हैं। क्योंकि वहां आम आदमी जा नहीं पाता। अध्यक्ष महोदय, पेहवा बहुत बड़ा रिलीजियस कस्बा है, चाहे पेहवा और कैथल के बीच में कोई टूरिज्म काम्प्लैक्स खोले या पेहवा में कोई टूरिज्म काम्प्लैक्स बनाएं, चाहे कैथल में बनाएं लेकिन एक टूरिज्म काम्प्लैक्स पेहवा और कैथल के बीच में जरूर खोलें। मैं तो वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि पेहवा में ही टूरिज्म काम्प्लैक्स बना दें क्योंकि पेहवा आपका भी क्षेत्र है और हमें भी रास्ते में फायदा मिल जाएगा तथा औरों को भी फायदा मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगली डिमांड नम्बर 30 पब्लिक हेल्थ एण्ड वाटर सप्लाई पर मैं कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा न कहकर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने एक अच्छा नेक कैसला लिया है, हम लोगों ने सजेशन भी दिए थे और सरकार ने उनको माना भी है कि सरकार ने पब्लिक हेल्थ, इरीगेशन और पावर डिपार्टमेंट की विधान सभा की कमेटी बना दी। उसके साथ आपने पी.डब्ल्यू.बी.एण्ड आर. और जोड़ दिया जो बहुत अच्छी बात है। उस कमेटी की मीटिंग में हमने डिपार्टमेंट का प्रोग्राम मांगा यानि सालाना वर्क लिस्ट मांगी तो हमने पाया कि उस वर्क लिस्ट के अंदर अर्बन वाटर सप्लाई के लिए न्यू स्कीम के लिए कहीं बजट नहीं मिला। आन गोइंग स्कीम में तो पैसा है लेकिन न्यू स्कीम का पैसा नहीं है तब डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हम बजट बढ़ाएंगे और इस बारे में हमारी मीटिंग हो रही है लेकिन अब मैं देख रहा हूँ और मैंने पूरी तरह से डिमांड की डिटेल्ड भी पढ़ ली, इस डिटेल्ड में कहीं भी एक नया पैसा अर्बन सप्लाई के लिए नई सप्लाई के लिए नहीं था। हम तो उम्मीद करते थे कि इस सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स में पैसा आएगा लेकिन नहीं आ पाया इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि सरकार को अर्बन में न्यू स्कीम में वाटर सप्लाई के लिए पैसा जोड़ना चाहिए क्योंकि अकेली आन गोइंग स्कीम से काम नहीं चलेगा, नई स्कीम की भी जरूरत पड़ सकती है। कहीं भी हम जाते हैं तो लोग हमसे डिमांड करते हैं कि हमारे यहां पाइप की जरूरत है, हमारे यहां फलानी चीज की जरूरत है, बूस्टिंग स्टेशन की जरूरत है, इस मौहल्ले में इस चीज की जरूरत है उस चीज की जरूरत है, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उसके लिए बजट न हो। अगली डिमांड नम्बर 40 एनर्जी एण्ड पावर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसका मैंने सुबह मंत्री जी को कह दिया

[प्रो. सम्पत सिंह]

था। प्रश्न काल में 10 परसेंट वाली बात हो गई थी कि पिलर बाक्स का पहले आपने रेगुलर के लिए 10 परसेंट माफ कर दिया जोकि अच्छी बात है लेकिन जहां पिलर बाक्स लगा रहे हैं उसके लिए इन एडिशन 10 परसेंट लेकर आए ताकि लोग उसको एडाप्ट करें, इससे हमारी पावर की कंजम्पशन ठीक रहेगी। मेरे इलाके में पिलर बाक्स लगे हुए हैं और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे यहां दो गांवों के अंदर ये पिलर बाक्स लगे हैं, उन दोनों गांवों की पिछली अप्रैल और इस अप्रैल की बिजली की कंजम्पशन की तुलना की गई। उन दोनों गांवों में पिछले साल के अप्रैल में 160 लाख यूनिट खर्च हुई और इस बार 150 लाख यूनिट खर्च हुई है। पिछली बार 11 घंटे सप्लाई थी और इस बार 24 घंटे सप्लाई थी। अध्यक्ष महोदय, 11 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और कंजम्पशन सब स्टेशन से डाउन आ रही है। गांव की कंजम्पशन का ही सवाल नहीं है। बल्कि सब स्टेशन से कंजम्पशन डाउन आ रही है क्योंकि चोरी खत्म हो गई है। इस प्रकार बिजली की बहुत बचत हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप चार्जिज दो रुपये भी कम कर देते हैं यानी 30 परसेंट चार्जिज कम कर देते हैं तो भी उसमें कारपोरेशन को फायदा है और आम आदमी को भी फायदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 36 होम पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी दूसरी स्टेट से हम बराबरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन आज हरियाणा नम्बर वन स्टेट है। पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम नम्बर वन हैं और पर कैपिटल इन्कम में हम नम्बर वन पर हैं तथा और भी बहुत से दायरों में हम नम्बर वन हैं। मोबिलाइजेशन आफ रिसेर्सिज में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नम्बर वन पर हैं और यह हकीकत है। कम से कम 53 कम्पौनेंट ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि we are leading in the Country. इससे बढ़िया सौभाग्य हमारी स्टेट के लिए और क्या हो सकता है। ऐसे वक्त के अंदर जहां बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरी है जहां आपकी एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर जरूरी है उसके साथ-साथ लॉ एण्ड आर्डर भी जरूरी है। लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन किया जाए। मैं पढ़ रहा था कि पलवल एरिया में करेंट लगने से किसी की मौत मर गई। आफताब जी और महेन्द्र प्रताप जी को इस बारे में जानकारी होगी। उसका मुआवजा मिलने में देरी होने के कारण वहां लोगों ने आगरा हाई वे चार घंटे तक रोक दिया और पुलिस की आफत आ गई। इसी तरह पता नहीं पुलिस वालों की कब कहां ड्यूटी आ जाये। जब भी कभी थाने में फोन करते हैं तो कहते हैं कि सर, हमारी फोर्स फलानी जगह गई हुई है कभी थाने में नहीं मिलती। लोग प्रोटैस्ट करने में एक मिनट नहीं लगाते। यदि बस में जाते हुए किसी का बच्चा गिर गया तो लोग प्रोटैस्ट कर देते हैं तो उनको वहां भी जाना पड़ता है। जो कुछ पटीवी में हुआ उस बारे में सबको मालूम है। वो तो बाबा टी.वी. पर टाईम ले गया अदरवाईज हमारा बहुत नाश हो जाता। उन दिनों बाबा आसाराम का जिक्र चलने लग रहा था। वहां 100 गाड़ियां लोगों ने फूँकी और वहां भी पुलिस की आफत आ गई। इसमें पुलिस क्या करेगी? ये लोग न रोटी टाईम पर खा सकते हैं और न टाईम पर आराम कर सकते हैं। शनिवार और इतवार की सभी की छुट्टी होती है लेकिन उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। हम और सभी कर्मचारी त्योहार मनाते हैं लेकिन

पुलिस वालों की उस समय सख्त ड्यूटी होती है। लेकिन पुलिस वाले बेचारे क्या करें इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको बेचारा न रखा जाये। उनको इज्जत दें जैसे आप यूरोप और अमेरिका में जाकर देखते हैं। आज यदि आपको इंटरलीजेंट इन्फोर्मेशन कलैक्ट करनी है और आपको इंटरलीजेंट वर्क करना है तो आपके पास अच्छी पुलिस फोर्स होनी चाहिए। पिछले दिनों में पढ़ रहा था और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अच्छी क्वालीफिकेशन के बच्चे पुलिस में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पासिंग आऊट परेड पर सुनारिया गये थे। इसके अतिरिक्त दूसरा सैंटर भौंडसी का है जहां पर शायद डी.जी. साहब गये होंगे। मैंने देखा सर, 50 प्रतिशत बच्चे ग्रेजुएशन थे। इतने बढ़िया पढ़े लिखे बच्चे आज पुलिस में आ रहे हैं। एल.एल.बी., एम.बी.ए. बच्चे भी पुलिस में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पोलटेक्निक और बी.एस.सी. कम्प्यूटर पास बच्चे भी पुलिस में आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे पुलिस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर, पुलिस में आने के बाद वे डंडा ही लिये फिरे और उनकी कोई तनख्वाह ही न हो तो यह ठीक नहीं है। उनकी एकाउंटेंटिबिलिटी बहुत होती है। हर बात के ऊपर उन पर कार्यवाही करने की कोशिश होती है। उनको रिस्पॉसिबिलिटी तो दे दी है लेकिन उस के मुताबिक उनको फाईनेंशियली भी स्ट्रॉंग करना चाहिए। हम बहुत अच्छे स्कूल बना रहे हैं मैं चाहता हूँ कि इनको ज्यादा संख्या में बनाया जाये ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रोल भौंडल के तौर पर अम्बाला में पुलिस का स्कूल शुरू हुआ था। उसके बाद हिसार और दूसरी जगहों पर भी ऐसे स्कूल बनाये गये ताकि पुलिस वालों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि पुलिस वालों की तनख्वाहें, भत्ते और दूसरी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार तो इतना अनफोरव्यूनेट हुआ लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पुलिस वालों के डी.ए. से संबंधित प्रश्न लगा और उसके बाद उनको डी.ए. मिल गया। अदरवाइज पुलिस वालों को 35-36 लाख रुपये का डी.ए. साल भर का पैडिंग पड़ा था। इसके अतिरिक्त जो एल.टी.सी. होती है वह तो किसी पुलिस वाले को मिल ही नहीं रही थी। यह हालत आज पुलिस वालों की है। यदि उनकी एल.टी.सी. न मिले और दूसरी सुविधाएं न मिलें तो वे फ्रस्ट्रेट होते हैं। पुलिस वालों की सबसे ज्यादा सख्त ड्यूटी है और वे एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए सरकार को इनके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और उनकी तनख्वाहें और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी रिहायश और उनके बच्चों की एजुकेशन की प्रोजीशन बढ़ाई भी जानी चाहिए ताकि वे प्रीली काम कर सकें। यदि उनके बच्चों को सरकार एडोप्ट करके पढ़ाती है तो वह भी कोई सरकार के लिए महंगा नहीं पड़ेगा। इससे पुलिस वाले घर की जिम्मेवारी से फ्री हो जायेंगे और अपनी ड्यूटी लगन से करेंगे। इसी तरीके से जो पुलिस के इन्फ्रूपमैंटस उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। कई जगह पर उनको इम्प्रूव तो कर लिया गया है लेकिन वे फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय और किसी की जरूरत ही नहीं है वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये पुलिस वालों का कल्याण कर दें। यह पूरे सदन की राय है चाहे आप इस बारे में किसी से भी पूछ लीजिए।

आवाजें : ठीक है जी, इनका कल्याण कर दिया जाये।

श्री सम्पत सिंह : वित्त मंत्री जी, कम से कम इनकी तनख्वाह वगैरा पंजाब के बराबर

[प्रो. सम्पत सिंह]

तो कर दी जायें, बल्कि पंजाब से भी ज्यादा होनी चाहिए। हमारे जल्थेदार सबसे सीनियर नेता आज वित्तमंत्री हैं। इनके आगे पंजाब क्या करेगा? ये ज्वायंट पंजाब में भी मंत्री रहे हैं। इनका बहुत बढ़िया काम है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। प्रदेश के 193 रिसोर्सिज हैं, जबकि दूसरी स्टेट्स में 93 हैं। चट्ठा साहब, आप पुलिस का भी थोड़ा कल्याण करें। आप नहर महकमें का बहुत अच्छा कल्याण कर रहे हो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सिंचाई विभाग तो 1972 में भी संभाला था। मैं जब कालेज में पढ़ाता था उस समय आप हमारे यहां भट्टू माईनर का उद्घाटन करने आये थे। मुझे यह नहीं पता कि उस समय आप कैबिनेट मंत्री थे या स्टेट मंत्री थे। उस समय 1972 में मैं कालेज में लैक्चरर लगा था उस समय आप वहां आये थे। चट्ठा साहब, इस मामले में जितना काम आपके रहते हुए हो सकता है उतना किसी के रहते नहीं हो सकता। With due respect to all Cabinet Ministers, मेरा यह मानना है कि इस समय आपसे भला, चंगा और समझदार और कोई मंत्री नहीं हो सकता। हमारे बाकी मंत्री भी काबिल, भले और समझदार हैं।

वित्तमंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी समय निकाल कर मेरे पास आ जायें। हम बैठकर विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अकेले सम्पत सिंह जी की राय नहीं है बल्कि सभी मैम्बर्ज की राय है।

श्री सम्पत सिंह : ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय निकाल कर चट्ठा साहब से मिल लूंगा। यह बात भी सही है कि यह फीलिंग सभी मैम्बर्ज की है, हां, कह मैं जरूर रहा हूँ। दिन प्रति दिन क्राईम बढ़ते जा रहे हैं। क्राईम भी पहले वाले नहीं रहे हैं। पहले तो कोई छोटा-मोटा झगड़ा हो जाया करता था। (विज्ज) आज तो ऐसे-ऐसे क्राईम हो रहे हैं जिनका पता ही नहीं चलता। कई बार घरों में यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि किली का मर्डर हो गया और जब बाद में जांच की जाती है तो पता चलता है कि वह तो सुसाईड था। इसका कारण थाना घेर लिया जाता है और थानों में आम तक लगा दी जाती है। (विज्ज) वित्त मंत्री महोदय से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे मुझे यह आश्वासन दे दें कि वे मेरे व्यूज को कंसीडर करेंगे।

Sardar Harmohinder Singh Chhatha : Sir, this issue is to be decided by a number of factions.

Prof. Sampat Singh : Deputy Speaker Sir, I agree with our Finance Minister. चाहे आज ये फाईनैस मिनिस्टर हैं या पहले मैं फाईनैस मिनिस्टर था सबकी अपनी-अपनी मजबूरियां होती हैं। सभी के साथ बात करके और खजाने को देखकर ही कोई निर्णय किया जा सकता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि फाईनैस मिनिस्टर साहब मेरी बातों पर गौर करें। (विज्ज)

Mr. Deputy Speaker : Mr. Sampat Singh Ji, hence it is a very genuine demand but it is time to wind-up please.

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों (2)103
पर चर्चा तथा मतदान

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात प्रिजन विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रिजन विभाग के जो मुलाजिम हैं वे भी सो नहीं सकते क्योंकि प्रत्येक चार घंटे बाद उनकी ड्यूटी बदलती है। सांगवान साहब को इस बारे में ज्यादा पता है क्योंकि इनका बेटा उस विभाग में सर्विस करता है। चार घंटे बाद ड्यूटी बदलने के कारण एक दिन के लिए भी जेल वार्डन या जेल अधिकारी ने सोकर नहीं देखा होगा। स्पीकर सर, आप कानून विशेषज्ञ भी हैं इसलिए आप सभी कुछ जानते हैं। ये जो हमारी जेलें हैं इस बारे में एक एक्ट आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये एक्ट कई बार तो मौके पर ही आते हैं जिन्हें हम समय की कमी के कारण अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए हमें कुछ बातों का बाद में पता चलता है कि एक्ट में अमेंडमेंट आई है जैसे पैरोल से संबंधित एक्ट पर अमेंडमेंट आई। आप वकील भी हैं और इंटीलीजेंट भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस एक्ट के अंदर एक बात यह आ गई थी कि एक बार किसी आदमी ने पैरोल जम्प कर लिया जिस कारण उसको बाद में पैरोल नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोसपैक्टिव लागू किया जाता बल्कि ऐसा न करके इसको रिट्रेसपैक्टिव लागू कर दिया गया। जैसे तो इसको प्रोसपैक्टिवली लागू किया जाना भी गलत था। (विष्णु)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the demands will be put to vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,01,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 2- Governor and Council of Ministers.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 4,82,46,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 3- General Administration.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 9,14,20,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 4- Revenue.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,12,40,000/ for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 5- Excise and Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 2,05,42,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

[Mr. Speaker]

charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 6- Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 35,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 7- Planning and Statistics.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 7,00,000/-** for revenue expenditure and **₹ 500,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 8- Buildings & Roads.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹1,66,93,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 13- Health.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹70,00,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 15- Local Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹12,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 19- Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 38,07,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों (2)105 पर चर्चा तथा मतदान

year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 20- Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,42,02,000/-** for revenue expenditure and ₹ **7,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 21- Women and Child Development**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **108,27,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 23- Food and Supplies.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **96,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 25- Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,75,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 30- Forest and Wild Life.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **17,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 31- Ecology and Environment**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **28,05,51,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 32- Rural and Community Development.**

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 16,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 33- Co-operation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,30,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 35- Tourism.

That a Supplementary sum not exceeding Supplementary ₹ 41,42,95,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 36- Home.

That a Supplementary sum not exceeding Supplementary ₹ 4,45,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 37- Elections.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 2,000/- for revenue expenditure and ₹ 8,11,98,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 38- Public Health and Water Supply.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 458,10,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of Demand No. 40- Energy & Power.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 8,67,40,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों (2)107 पर चर्चा तथा मतदान

ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 42- Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 21,11,10,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 43- Prisons.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **₹ 5,74,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2014 in respect of **Demand No. 45- Loan and Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, tomorrow we are taking up about 18 Bills. (Interruption) You should know what we are going to discuss tomorrow. If you want to speak on any subject, you can speak tomorrow. They are—The Haryana Appropriation Bill, The Motor Vehicles Taxation Bill, The Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill, The Haryana Good Conduct of Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, The Haryana Protection of Interest of Depositors in the Financial Establishment Bill, Indira Gandhi University, Meerpur Bill, The Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill 2013, The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, The Haryana Municipal (Amendment) Bill, The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Bill 2013, Haryana Registration of Societies (Amendment) Bill 2013 etc. and there are three more Bills for facilities to the Members which we are taking up tomorrow. This is for your kind knowledge. So, if you want to speak on any of the subject, then you can reserve your comments for tomorrow.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि सम्पत सिंह जी ने और दांगी साहब ने जो डिमांड रखी है तथा सारा हाउस भी उसको स्पोर्ट करता है कि पुलिस वालों के वेतनमान बढ़ाए जायें तो मैं भी अपने आपको उससे जोड़ता हूँ कि पुलिस वालों के वेतनमान बढ़ाए जायें। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उनका वेतन बढ़ाने का कुछ प्रावधान किया जाये। दूसरी बात यह है कि जिला-जिल



[श्री भारत भूषण बतरा]

मंत्रियों के विभागों की डिमांड सदस्यों ने रखी हैं और उस विभाग के मंत्री हाउस में उपस्थित नहीं हैं तो उनकी डिमांडों को पास कर दिया जाये। पहली बात तो यह है कि संबंधित विभाग के मंत्री हाउस में मौजूद रहने चाहिए। अगर मंत्री यहां उपस्थित ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस सदस्य ने कौन सी मांग उठाई है। तीसरी मेरी मांग है जैसा कि प्रो. सम्पत सिंह जी ने बताया कि पब्लिक हेल्थ में अर्बन सैनीटेशन के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है इसलिए चाहे कोई भी विधायक सिफारिश कर ले लेकिन सैनीटेशन का कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि बजट का ही प्रावधान नहीं है। पब्लिक हेल्थ में पब्लिक के कामों के लिए जब बजट ही नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा? इस समय माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं मेरा उनसे भी अनुरोध है कि 31 मार्च से पहले-पहले अर्बन सैनीटेशन के लिए बजट का प्रावधान करके पैसे दे दिये जायें ताकि समय रहते काम हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो पैसा रखा गया है लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए पैसा नहीं रखा गया है इसलिए वह भी प्रावधान किया जाये। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 10th September, 2013.

*18.29 Hrs.

(The Sabha then *adjourned till 10.00 AM, on Tuesday, the 10th September, 2013)